राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम सत्र का 59वां दिवस [संख्या 34

बुधवार,

दिनांक 12-5-1971.

विधान सभा की बैठक म0पू0 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(जन-स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, गृह, राजस्व, स्वायत्त शासन, सहकारिता, उद्योग, कारागृह, खनिज विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री रावतराम ।

तहसील सुजानगढ़ के गावों की जल प्रदाय योजना

735. श्री रावतराम (छापर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1. क्या यह सही है कि ग्राम सांडवा, कानूता तथा मूंडवा के तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासियों ने उक्त गांवों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना चालू करने के लिये अपने की धनराशि नियमानुसार विभाग में जमा कराई है ? यदि हां, तो किन किन तारीखों में ?

2. क्या यह सही है कि विभाग ने अभी तक उक्त गांवों का सर्वे करवा कर योजना प्रारम्भ करने के आदेश नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

3. क्या यह सही है कि उक्त गांवों की जनसंख्या पानी की उपलब्धता व जन सहयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार को अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करना चाहिये ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

राज-मंत्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) केवल दो ग्राम ।

(1) कानूता से 3375) रुपये सितम्बर 70 में

(2) सान्डवा से 5000) रुपये जून 70 में जन सहयोग के रूप में प्राप्त हुए हैं । मूंडवा से नहीं ।

(2) व (3) कानूता की योजना स्वीकृत की जाकर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । ग्राम सान्डवा की योजना बनाई जा चुकी है एवं सरकार के विचाराधीन है । ग्राम मूंडवा की जन संख्या 2000 से कम होने के कारण जल प्रदाय योजना लागू नहीं की जा सकती ।

Page No 2

(श्रीमती सुमित्रा)

मूंडवा के सम्बन्ध में पंचायत समिति की मार्फत विकास विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कुए आदि निर्माण कराये जाने की कार्यवाही करें।

श्री रावतराम : मूंडवा के लिये आप कहती हैं कि जमा नहीं हुआ। पंचायत समिति सुजानगढ की मार्फत रकम जमा करायी गयी है और कलेक्टर चूरू ने रिपोर्ट भेजी है।

श्रीमती सुमित्रा : विभाग को अब तक इसका पता नहीं है।

श्री रावतराम : कलेक्टर चूरू ने तो लिख दिया है।

श्रीमती सुमित्रा : जिलाधीश के यहां हो सकता है। जब तक विभाग को ट्रांसफर नहीं किया जावेगा हम कैसे माने।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मूंडवा के लिये बताया कि दो हजार की जनसंख्या होनी चाहिये और कानूता से कम है यह सही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : पहले जन संख्या का क्राइटेरिया इस प्रकार से लागू नहीं था। जन सहयोग की राशि पहले जमा की जा चुकी थी अब क्राइटेरिया के अनुसार की जा रही है कि दो हजार से कम जहां जन संख्या है इससे नीचे कोई योजना लागू नहीं की जावेगी।

श्री रावतराम : आपने कानूता की योजना स्वीकार करली है। क्या यह सही है कि कानूता पंचायत समिति के अन्तर्गत एक गांव मगरासर है और 1॥ हजार की जन संख्या है। पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेज कर यह कहा है कि कानूता से मगरासर का दो मील का अन्तर है इसलिये रीजनल स्कीम बना कर पानी दिया जाय।

श्रीमती सुमित्रा : मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री रावतराम : पंचायत समिति का प्रस्ताव स्वीकृत होकर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को भेजा है और उन्होंने यह निवेदन किया है। चूरू और नागौर डिस्ट्रिक्ट के बोर्डर पर यह गांव है। इसी योजना में ही इसको लिया जा सकता है वरना नहीं लिया जा सकेगा। कानूता में पर्याप्त पानी है और वहां पर खारा पानी होने से यहां से जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की जा सकती है।

श्रीमती सुमित्रा : कानूता को पहले प्रारम्भ किया गया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मगरासर काफी बड़ा गांव है। काफी बड़ी आबादी है। नागौर और चूरू के बोर्डर पर है। किसी प्रकार यहां की जन संख्या को पानी पहुंचाया जाय और कानूता में पर्याप्त पानी है। क्या राज्य सरकार इसको उचित नहीं समझती है कि इस योजना में इसको भी शरीक कर लिया जाय ?

श्रीमती सुमित्रा : सारा सर्वे वापिस किया जावेगा, दुबारा टैक्निकल रिपोर्ट बनेगी।

श्री दौलतराम सारण : इसमें आपत्ति है ?

श्रीमती सुमित्रा : आगे तो सुन लीजिये। माननीय सदस्य का कहना है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव विभाग के पास आया है कि कानूता

Page No 3

(श्रीमती सुमित्रा)
की ग्रामीण जल प्रदाय योजना के साथ इसको रख दिया जाय तो इसको सम्मिलित कर लिया जाय। इसके लिये विचार कर दुबारा रिपोर्ट मंगवा ली जायगी विभाग की क्योंकि कानूता की योजना प्रारम्भ हो चुकी है।

श्री रावतराम : योजना तो स्वीकार कर ली है लेकिन कानूता में काम शुरू नहीं हुआ है और कानूता के लोग भी यह चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने बहुत स्पष्ट निवेदन कर दिया है। पंचायत का ऐसा प्रस्ताव आया होगा तो इसको सम्मिलित करने के बारे में विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : सान्डवा की योजना कब शुरू हो रही है ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न 2 का उत्तर आपने सुना नहीं।

श्री गोरधन सोनी : प्रारम्भ हो गयी क्या ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 736

श्री नथी लाल

(अनुपस्थित) कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 737

श्री हरलाल मीणा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 738

श्री मोहन मोदी।

सहायक जिलाधीश नीम का थाना के विरुद्ध जांच

738. **श्री मोहनलाल मोदी : (नीम का थाना)** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री दुलीचन्द जैन, आर. ए. एस. ने नीम-का-थाना की अदालत में सहायक जिलाधीश के पद पर कार्य किया था ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या श्री दुलीचन्द जैन के विरुद्ध अपने उक्त पद पर कार्य करने के समय भ्रष्ट कार्यवाही की कोई शिकायतें राज्य सरकार में प्रस्तुत की गई थीं और उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच हेतु भेजी गई थीं ? यदि हां, तो इसके लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या श्री दुलीचन्द एवं हनुमान प्रसाद खंडेलवाल वकील व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में फजियत व भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो किन धाराओं में और कब ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें की तफसील भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डी. वाई. एस. पी. कर रहे थे ? यदि हां, तो इसमें कितने साक्षियों के बयान लिये गये थे और अब किस स्टेज पर है व कितनी जांच शेष है ? कौन अधिकारी मुकदमें की जांच कर रहे हैं तथा इतनी देरी के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत बुरी बात है।

श्री अध्यक्ष: इन दिनों दूरी हो गयी है।

इसको वापिस ले लूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन　।

बाडमेर जिले के ग्रामों का रेवेन्यू ग्रामों में विभाजन करने के लिये सिफारिश

739. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) बाडमेर जिले के सुन्दरा, हरसाणी मदूसर, जसिधर एवं गिराब ग्राम का कितना क्षेत्रफल है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों को अनेक रेवन्यू ग्रामों में विभाजित करने के लिये जिलाधीश, बाडमेर एवं रेवेन्यू बोर्ड ने राज्य सरकार को काफी अर्से पहले सिफारिशें भेजी हैं? यदि हां, तो निश्चित तारीखों से अवगत कराने की कृपा करें?

(3) उक्त सिफारिशों का क्रियान्वयन करने में क्यों विलम्ब हुआ?

(4) राज्य सरकार उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर देगी?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) क्षेत्रफल ग्रामवार एकडों में निम्न प्रकार से है:—

	नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड में
1.	सुन्दरा	331840
2.	हरसाणी	99439
3.	मेदूसर	79527
4.	जैसिधर	91379
5.	गिराब	100160

(2) जी हां। जिलाधीश, बाडमेर का प्रथम पत्र दिनांक 1-4-65 का है। तथा राजस्व मंडल का 8-12-67 का है।

(3) आपत्कालीन स्थिति, पुनर्सीमा निर्धारण कमेटी द्वारा निर्णय में देरी जनगणना कार्य तथा लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के कारण विलम्ब हुआ है।

(4) मामले में यथा सम्भव शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, जवाब से यह स्पष्ट होता है कि 1-4-65 को जिलाधीश ने रिकमन्डेशन भेजी। रेवेन्यू बोर्ड ने दिसम्बर 67 में रिकमन्डेशन भेजी अब तक विलम्ब का क्या कारण है। जल्दी से जल्दी कार्यान्वियन का प्रश्न है। बहुत बडा एरिया है। प्रशासनिक दृष्टि से भी इतना बडा एरिया रखना उपयुक्त नहीं है। यह गवर्नमेन्ट के हित में है।

श्री गंगाराम चौधरी: जनगणना के कारण भारत सरकार के आदेश के अनुसार कि कोई विभाजन का कार्य हाथ में नहीं लिया जाय इसका कारण नहीं लिया गया। केबिनेट में प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं और जल्दी निर्णय लिया जावेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन: कब तक कैबिनेट में भेज दिया जावेगा?

श्री गंगाराम चौधरी: राजस्व विभाग की तैयारी है, बस भेजा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री दौलतराम सारण।

आवास भू-खण्ड की सीमा

740. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़):

(श्री दौलतराम सारण)
क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा आवास भूखण्ड कितना लम्बा चौड़ा हो इसकी सीमा निर्धारित कर रखी है ? और उस सीमा से अधिक लम्बाई चौड़ाई का भूखण्ड जयपुर में नगर सुधार न्यास द्वारा किसी को नहीं दिया जा सकता है ? यदि हां, तो वह सीमा क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इस निर्धारित सीमा से बड़े भू-खण्ड जयपुर में कुछ व्यक्तियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन को और कितने कितने बड़े भूखण्ड दिये गये हैं व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिनके पास अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के पास आवास के लिये भवन मौजद हैं और भूखण्ड मौजूद है उसे नया भूखण्ड नहीं दिया जा सकता ? एसे कौन कौन व्यक्ति है जिनके पास पहले से ही भवन एवं भूखण्ड है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों के नाम भवन और भूखण्ड मौजूद हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि भवन निर्माण के लिये पेश किये गये नक्शे पर स्वीकृति देने में न्यास की ओर से नागरिकों को बड़ा परेशान किया जाता है ? कम्पाउन्ड केसेज में बड़ा भारी विलम्ब होता है ? एक साल से पुराने नक्शे स्वीकृति एवं कम्पाउन्ड केसेज कितने पेन्डिग हैं व क्यों ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसका विभाग से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं प्राप्त हुआ है और क्या कारण है ?

श्री माधोसिंह : विभाग ने यह सूचना दी है। मैंने तकाजा किया था। अधिकारियों को ताड़ना दे दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : ताड़ना कोई मानेगा क्या ?

श्री माधोसिंह : सरकार की ताड़ना मानेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय कहते हैं कि सूचना नहीं दी है। सूचना तो दी है। सूचना तो जयपुर से लेनी थी, सूचना उनके बस्ते में है।

श्री माधोसिंह : मेरे बस्ते में सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: देखिये तो सही। सूचना उनके पास है अध्यक्ष महोदय, सूचना इनके पास है लेकिन प्रश्न इतना जटिल है कि उप-मंत्री जी उसका जवाब देकर फंसना नहीं चाहते तो या तो उप-मंत्री जी को प्रश्न के उत्तर देने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी और जब ली है तो उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय प्रश्न तो बहुत सरल है...........

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, नैक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : इसमें केवल रेकर्ड की जानकारी का सवाल है और इसमें कहीं से छानबीन करके मुद्दा पेश करने का सवाल नही है।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय,

Page No 6

(श्री माधोसिंह)
बातों की जानकारी करके उत्तर पेश करना पड़ता है और जब एक दो बातों की कमी रह जाये तो उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसके अलावा जनसंघ के माननीय नेता महोदय इसके लिए बहुत जागरूक हैं इसलिए कि जयपुर का मामला है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो साफ हो गया कि उत्तर तो है माननीय उप-मंत्री जी के पास लेकिन उसमें हीं गड़बड़ी है इसलिए ये उत्तर देना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : जैसा उत्तर ह वैसा ही दे दीजिए।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना इकट्ठी नहीं हुई है और पूरी सूचना प्राप्त होने पर ही उत्तर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी मुझे उत्तर बताया था लेकिन अभी वो देना नहीं चाहते हैं ......

श्री शंकरलाल : इसका निर्णय हो जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या अभी उप-मंत्री जी ने माननी : सदस्य को कोई उत्तर बताया था ?

श्री माधोसिंह : वह तो मजाक में बात की थी और उसको माननीय सदस्य यहां सदन में कह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री जी ने मुझे सवाल का जवाब बताया था और उस समय मेरे साथ प्रेमसिंह जी बैठ थे और उस समय मंत्री जी ने कहा था कि मामला बहुत टेढ़ा है इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हां अध्यक्ष महोदय यह बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष : देखिये उप-मंत्री महोदय आप ऐसे ही उत्तर के लिए हां भर लेते हैं।

श्री माधोसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आ रहा था और माननीय सदस्य बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि सब उत्तर है मेरे पास मैं दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर तो है लेकिन अध्यक्ष महोदय उसे टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो चुका है, स्थगित किया जाये।

नैक्स्ट, श्री शंकरलाल।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह आपस में प्रेमालाप में मेरे प्रश्न को इधर उधर फैंकने की बात हो रही है। इसका उत्तर कब दिला दिया जायेगा ?

श्री माधोसिंह : अगले टर्न पर।

श्री दौलतराम सारण : इसी सत्र में ?

श्री माधोसिंह : हां।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ......

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर दे दिया जायेगा।

नैक्स्ट, श्री शंकरलाल।

कृषकों के ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र

741. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले की जैतारण और

Page No 7

(श्री शंकरलाल)
रायपुर तहसीलों को गत दो वर्षों में किन किन काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र किन किन तारीखों में ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि विकास बैंक पाली को प्राप्त हुये और कितनी कितनी धनराशि हेतु प्राप्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन प्रार्थना-पत्रों के आवेदकों में से किन किन को ऋण कौन कौन सी तारीखों को कितनी कितनी धनराशि का दे दिया गया और किन किन के प्रार्थना-पत्र किन किन कारणों से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किन किन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये ?

(4) विचाराधीन आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

(5) स्वीकृत आवेदन-पत्रों के काश्तकारों को ऋण प्राप्त करने हेतु हिस्सा राशि व अन्य खर्च की कितनी रकम किस हिसाब से कटानी पड़ती है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव): अध्यक्ष महोदय, दो साल की सूचना तारीखवार मांगी गयी है और सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है इसलिए निवेदन है कि अगले टर्न के लिए स्थगित करने की कृपा करें।

श्री शंकरलाल : कब तक आ जायेगा ?

श्री अमृतलाल यादव : अगले टर्न पर।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, यं मंत्री मण्डल है या कबूतरखाना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

नारायणपुर के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

742. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसुर)** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि अलवर जिले के नारायणपुर पुलिस स्टेशन के थानेदार के खिलाफ कुछ महीने पहिले उस इलाके के कुछ व्यक्तियों ने रिश्वत की शिकायत अलवर के पुलिस अधीक्षक को की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) यह शिकायत किस किस की ओर से की गई है ? शिकायतों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या शिकायत करने वालों ने जांच के पूर्व थानेदार के तबादले की मांग की है ? क्या सरकार इस अफसर का तबादला करने की जांच करायेगी ?

(4) क्या गृह मंत्री महोदय को भी इस अफसर के खिलाफ शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या सरकार शीघ्र ही जांच करायेगी ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) नारायणपुर पुलिस थाना गृह मंत्री महोदय की ओर से—

(1) जिला अलवर के थानेदार के विरुद्ध रिश्वत की कुल 4 शिकायतें इलाके के कुछ

(श्री परसराम मदेरणा)

व्यक्तियों ने गृह मंत्री, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक अलवर को अलग अलग प्रस्तुत की थीं। इन शिकायतों में से परिवादी श्री सुन्दरलाल महाजन निवासी नारायणपुर द्वारा माननीय गृह मंत्री जी को प्रस्तुत की गई शिकायत बाद जांच असत्य पाई गई तथा बाकी 3 शिकायतों में अभी जांच चल रही है।

(2) उक्त शिकायत सर्व श्री सुन्दरलाल महाजन निवासी नारायणपुर, (2) चिरंजीलाल महाजन निवासी अजायबपुरा (3), बसन्तसिंह राजपूत निवासी नीमूचाना, नारायणपुर व (4) मातादीन शर्मा निवासी पांचोच, नारायणपुर द्वारा की गई थी। उपरोक्त चारों शिकायतों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां, परिवादी श्री सुन्दरलाल, चिरंजीलाल एवं बसन्तसिंह द्वारा पुलिस महानिरीक्षक एवं अधीक्षक आरक्षी, अलवर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्रों में थानेदार के तबादले की मांग की गई थी। थानेदार थाना नारायणपुर का स्थानान्तरण अब कर दिया गया है।

(4) जी हां, शिकायत की जांच सी. ओ. थानागाजी द्वारा करवाई गई और थानेदार के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य पाये गये।

(5) थानेदार नारायणपुर के विरुद्ध शेष तीन शिकायतों की जांच गृह निरीक्षक अलवर कर रहे हैं। जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर निर्णय लिया जावेगा और मुनासिब कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : समझ में नहीं आ रहा है पान खा रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शीघ्र कब तक हो जायेगा ? एक शिकायत 4-4-70 की है और बाकी में कोई तारीख दर्ज नहीं है कि कब की शिकायत है।

श्री परसराम मदेरणा : तारीख कम्पलेन्ट के ऊपर नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सिर्फ एक के ऊपर ही तारीख है और फिर कोई कम्पलेन्ट नहीं दिया हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास है लेकिन तारीख नहीं है। एक के ऊपर तारीख है वह आपको दे दी गयी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रार्थी के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। नकल आई है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जो नकल आई है वह मैंने आपको दी है। मैं यह देख लूंगा कि तारीख है या नहीं। आपने जब कापी मांगी है तो हमने ट्रू कापी आपको दे दी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रू कापी नहीं है। प्रार्थी का लिखा ही नहीं है कि कौन है, जगह खाली पड़ी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी शिकायत का कोई प्रार्थी ही नहीं हो। एक की तारीख लिखी है। अब आप इस शिकायत की जल्दी ही जांच कराने का कष्ट करें। सच तो यह था कि सीरियस शिकायत है और उसको निलम्बित कर देना चाहिए था लेकिन अब आप जल्दी ही जांच करा कर कार्यवाही करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में 15 दिन के अन्दर अन्दर कार्यवाही करा दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बिरदाराम।

भीनमाल में मकानों के लिये दी गई भूमि

743. श्री बिरदाराम (जालोर) की अनुपस्थिति में श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) द्वारा पूछा गया क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले दो सालों में नगरपालिका भीनमाल क्षेत्र में सरकार द्वारा सस्ती दर से कुछ व्यक्तियों को रिहायसी मकान के लिये जमीन के पट्टे दिये जाने के आदेश दिये ह ? अगर हां, तो ऐसे पट्टों की सूची मय व्यक्ति के नाम दिलाने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि नगरपालिका भीनमाल ने ऐसी नीची दर से पट्टे देने के बारे में ऐतराज किया था ? अगर हां, तो एतराज को न मानने के क्या कारण हैं ? क्या इस प्रकार के एक मामले में नगरपालिका भीनमाल ने हाईकोर्ट में रिट भी की है ? अगर हां, तो कब व किसके विरुद्ध ?

(3) उपरोक्त पट्टे सरकार द्वारा किन नियमों के तहत किस किस दर से देने के आदेश दिये हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पट्टे दिये जाने का हुक्म देने से नगरपालिका को हजारों रुपयों की हानि होने की संभावना है ? अगर हां, तो यह पट्टे क्यों दिये गए ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त [illegible] पट्टे दिये जाने में हजारों रुपयों के गड़बड़ घोटाले हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करायेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(6) उपरोक्त पट्टे दिये जाने वाली आबादी भूमि की मौजूदा बेचान दर क्या है और इतनी नीची दर से उपरोक्त पट्टे दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे पास आथोरिटी है।

श्री माधोसिंह (सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री—स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को भी स्थगित किया जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री माधोसिंह : यह जरूर महत्वपूर्ण है और मैं भी महसूस करता हूं लेकिन जब विभाग से ऊपर ही नहीं आया तो स्थगित करने के लिए निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मुझको भी तो सूचित किया जाना चाहिए था।

श्री माधोसिंह : आपके पास पोस्टपोन के लिए लिखा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है।

श्री माधोसिंह : उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और जिस अधिकारी ने यह गलती की है उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा कि क्यों नहीं सूचित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपके एक्शन कई इधर उधर होते हैं उसमें रह जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार की लिनियेन्सी रखें तो फिर मेम्बर को स्पष्ट कह दें कि वे प्रश्न नहीं पूछें। मेरी समझ में नहीं आता कि हर मंत्री ने मजाक सी बना ली है कि उत्तर नहीं आया और इस कारण से स्थगित कर दिया जाये। जब आपको 15-20 दिन का समय मिलता है तो उत्तर क्यों नहीं आता ? आप तीन-चार रोज पहले क्यों नहीं तैयारी करते ? अध्यक्ष महोदय, भीनमाल में भी जबरदस्त घोटाला जमीन के भूखण्डों को बेचने का हुआ है और इसका उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री महोदय टालमटोल कर रहे हैं। यह कोई सड़क के निर्माण का सवाल नहीं है कि जिसमें मंत्री महोदय कह दें कि धनाभाव का कारण है। बाकी जितने प्रश्न आते हैं जो इम्पारटेंट हैं, आप इसी प्रश्न को देखें लाखों रुपयों की भूमि बेच दी और गवर्नमेन्ट ने आर्डर्स इशू कर दिये, म्युनिसिपैलिटी उसका विरोध कर रही है और उसकी आय पर आघात है और उसने सारे एम. एल. एज. को शिकायत की है उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो फिर माननीय अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न हम से पुछवाते क्यों हैं ? आप कह दें कि माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछें ।

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री जी आप तो जैसा उत्तर हो दे ही दें ।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ......

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुआ है तो माननीय अध्यक्ष महोदय उप-मंत्री जी को कह दिया जाये कि 15 मिनट में ही जवाब दे ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इस से तो लगता है कि ये शरीक हैं घोटाले में ।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी कोशिश की कि पूरा उत्तर आ जाये लेकिन अधिकारी अभी तक इसका पूरा उत्तर नहीं दे पाये हैं ......

श्री रघुनाथ विश्नोई : उत्तर तो अध्यक्ष महोदय, जयपुर से ही लेना था कोई बाहर से थोड़े ही मंगाना था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कब तक उत्तर दे देंगे ?

श्री माधोसिंह : एक हफ्ते के अन्दर अन्दर दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी व्यवस्था कर दें। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के न तो मिनिस्टर हैं, न डिप्टी मिनिस्टर हैं और हाउस के प्रति उनका कितना आदर और सम्मान है इसका तो इस से ही पता लगता है और वे इन डिप्टी मिनिस्टर साहब को यह कह कर गये हैं कि तुमको कुछ भी अध्यक्ष महोदय ताड़ना दें तो कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर पर असर पड़ने वाला नहीं है ।

श्री माधोसिंह : यह बिलकुल गलत बात कर रहे हैं। ये मन से कहते हैं ।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य की इन्हीं मंत्री जी पर विशेष कृपा कैसे है ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था करके चलें कि न तो मिनिस्टर हैं और न डिप्टी मिनिस्टर है ।

Page No 11

श्री अध्यक्ष : सूचित किया है मुझे।

श्री भैरोंसिंह : दोनों में से एक तो कोई रहे।

श्री अध्यक्ष : विवाह में गये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपके देखने की बात है और अगर यही सदन की व्यवस्था रही

श्री अध्यक्ष : विवशतायें आ जाती है।

श्री भैरोंसिंह : आज दोनों एबसेन्ट हैं और उन्होंने तय किया कि कौनसा मिनिस्टर ठीक रहेगा तो उन्होंने इनको चुना कि इनके ऊपर अध्यक्ष महोदय की ताड़ना का कोई असर नहीं होगा ·······

श्री माधोसिंह : पॉइन्ट आफ आर्डर, सर मुझे एतराज है ये इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक निवेदन कर दूं मंत्रियों ने यह तैयारी कर रखी है कि जिस प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं हो उसके लिये हाउस में इनको खड़ा कर दिया जाये कि इस प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं है और आपकी ओर से भी अध्यक्ष महोदय आप नाराज न हों ·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वरिष्ठ नेता होकर ऐसी बात कहते हैं। यह सदन की गरिमा के लिये उपयुक्त नहीं है कि अध्यक्ष महोदय के लिये ऐसी बात कही जाये।

श्री अध्यक्ष : यह ऐसा ही प्रश्न है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये परिणाम की परवाह नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने अपना अनुमान लगा लिया है। ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

आगे प्रश्न बहुत है।

श्री भैरोंसिंह : इनके शरीर पर आपकी ताड़ना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रश्न डिफिकल्ट होता है और उसको पोस्टपोन कराना होता है तो उसको लिये राज्य सरकार माधोसिंह भैसवाड़ा को खड़ा कर देती है। अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को ताड़ना भी दी थी और तीन, चार दिनों पहले यह व्यवस्था भी दी थी और आपने अपनी नाराजगी प्रकट की थी सरकार पर परन्तु सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का यह प्रश्न है उसके लिये मंत्री महोदय को कहा जाये कि गवर्नमेन्ट के मातहत विभाग के लटर के द्वारा जो जमीन दिलाई गई है, एल. एस. जी. डी. डिपार्टमेन्ट के उस लैटर के कोपी के आधार पर ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। अगर सरकार उत्तर देना चाहे तो यह कोई डिफिकल्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समझ गये हैं मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन है कि आज ही इसका उत्तर दिलवाया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय आप अपने पास कोड़ा रखें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय उप मंत्रीजी की उपस्थिति और उनका सरस उत्तर यह दोनों ही माननीय सदस्यों को सरस बनाते रहे हैं। इसलिये उसमें उग्रता नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह कर उस उग्रता को कम कर रहे हैं। उनकी सरसता का असर आपके ऊपर है। उनमें सरसता नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर टालना चाहते हैं। इसलिये कम से कम इसी सत्र में इसका जवाब दिलाया जाये। विभाग से सूचना मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं ह कि सूचना प्राप्त नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित किये जाने के जो प्रश्न हैं वे मंत्री महोदय पर तो ज्यादा असर नहीं डालते हैं लेकिन मुझको ज्यादा परेशान करते रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में ताड़ना दूं तो इसका उन पर प्रभाव नहीं होगा वे चलते चलते दूसरी जगह ताड़ना देंगे। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के सन्दर्भ में इस प्रश्न को दो, तीन दिन, की सीमा उत्तर देने के लिये देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी ताड़ना का इन पर क्या असर होगा। इनके तो गैंडे की खाल है।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त ऐतराज है ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! रजपूती खाल है।

नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 744

श्री रामा नन्द अग्रवाल
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 745

श्री विट्ठल भाई,
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

कोटा औद्योगिक क्षेत्र के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा।

746. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में औद्योगिक क्षेत्र के लिये सन् 59 में श्री माणकचन्द पालीवाल की 25 हजार वर्ग फुट भूमि अवाप्त की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ? अगर हां, तो कब व कितना कितना ? कृपया मुआवजे के एवार्ड की सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जमीन के भूतपूर्व मालिक ने भूमि को वापस लेने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है ? अगर हां, तो कब ? कृपया प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

(4) उपरोक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राज्य मन्त्री, (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) कोटा नगर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए सन् 59 में जिस भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिया गया था उसके रिकार्ड जो इस कार्यालय में उपलब्ध हैं के अनुसार श्री माणकचन्द पालीवाल की 13,200 वर्ग फुट भूमि अवाप्त की गई थी।

(2) जी हां। 31-3-63 को 4950 रुपये का मुआवजा दिया गया। मुआवजा के एवार्ड की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस माणकचन्द पालीवाल ने राज्य सरकार के सामने इस प्रकार का एक आवेदन दिया है जो भूमि अवाप्त की गई है वह वास्तव में कम है और भूमि जो बची है वह उसे वापिस दी जाये अथवा इन्डस्ट्रीयल एस्टेट के अन्दर उसको भूमि दी जाये। क्या ऐसा आवेदन आपके पास आया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माणकचन्द पालीवाल ने जो आवेदन दिया है और जो भूमि उनको अवाप्त की गई उसमें से कोई बाकी नहीं बची है। जो भूमि है वह उसके साथ की नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो आवेदन-पत्र इन्डस्ट्रीयल एस्टेट के लिये उसने दिया है उसमें यह मांग की है कि यह मुझे फ्री ऑफ कास्ट दी जाये क्योंकि जमीन ज्यादा ली गई और मुआवजा कम दिया गया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो भूमि हमने अवाप्त की है वह 1200 वर्ग गज है और उन्होंने प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि जो भूमि उनके पत्नी के नाम की अवाप्त की गई है वह उनको वापिस दे दी जाये जिसके अन्दर वे अपना उद्योग लगायेंगे जो कि कहीं और चल रहा है। सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस माणकचन्द पालीवाल की जो भूमि है जो अवाप्त की गई है उसका मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उसका मुआवजा दे दिया गया है। उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र दिया है कि वे अपनी इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं इसलिये वह भूमि उनको देदी जाये। उसमें वे अपनी इण्डस्ट्री को शिफ्ट करेंगे जो उन्होंने कहीं पर चला रखी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न है जो स्पष्ट है। वे इस भूमि को जो उनकी पत्नी के नाम से थी उसको गवर्नमेन्ट से फ्री आफ कास्ट लेना चाहते हैं। क्या उन्होंने जो प्रार्थना-पत्र दिया है उसमें यह लिखा है कि मुफ्त के अन्दर उनको यह जमीन दी जाये। क्या यह सही है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या राज्य सरकार उनकी पत्नी अथवा उन्हें, यह सदन के अन्दर आश्वासन देगी कि यह जमीन फ्री आ कास्ट दी जायेगी और नियमानुसार ही उनको एलाट करेगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जमीन नियमानुसार ही ऐलाट की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री देवीदत्त गाड़िया

बारां सब जेल में कैदियों को सुविधाएं

747. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां सब जेल में गत तीन वर्ष में प्रति माह कैदियों की कितनी कितनी संख्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) बारां सब जेल में नियमानुसार कितने कैदी रहने चाहिये ?

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(3) क्या यह सही है कि बारां सब जैल में कैदियों के जो शौचालय हैं वे बड़े खराब हैं और इसी प्रकार से जो बैरक हैं वो सीम रहने के कारण व पुरानी इमारत के कारण बड़ी खराब हैं तथा कैदी बीमार रहते हैं ? यदि हां तो उसम सुधार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की और क्या बिजली के पंखें भी लगाये जायेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि कैदियों की संख्या को देखते हुए बारां सब जैल का बड़ा नया भवन बनना चाहिये ? यदि हां तो उस पर सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ?

उपमन्त्री कारागृह (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (1) बारां सब जैल में गत तीन वर्ष में जो बन्दी माह के अन्त में रहे हैं उनका मासिक विवरण संलग्न है ।

(2) उप कारागृह बारां प्रथम श्रेणी उप कारागृह है वहां साधारणतः 50 बन्दियों को रखे जाने की व्यवस्था है । परन्तु आवश्यकता पड़ने पर भवन को देखते हुए इस से अधिक भी लगभग 80 बन्दी अस्थाई तौर पर रखे जा सकते हैं ।

(3) उप कारागृह बारां में फ्लश के शौचालय हैं जो खराब नहीं हैं । वह सत्य है कि उप कारागृह का भवन पुराना है परन्तु यह सही नहीं है बैरकों में सीम आने से कैदी बीमार रहते हैं क्योंकि कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । उप कारागृह भवन में परिवर्तन -परिवर्द्धन किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है । साधारण श्रेणी के बन्दियों को बिजली के पंखे दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है ।

(4) बन्दियों की दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए बड़ा नया भवन की आवश्यकता नहीं समझी जाती अतः इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि इस भवन को देखते हुए 80 कैदी वहां पर रह सकते हैं । मैं पूछना चाहूंगा कि बारां सब जैल के अन्दर कितने बैरक हैं और कितने वार्ड कितने के हैं ?

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नाप का, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : कितने बैरक हैं ?

श्री माधोसिंह : इसके बारे में भी उत्तर नहीं है । आपने यह प्रश्न पूछा था कि कितने क्षमता है । वह क्षमता 50 कैदियों की है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें तीस आदमियों को और रखा जा सकता है ।

श्री विजयसिंह : आप जैसे 30 आदमियों को और रखा जा सकता है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय केवल एक बैरक है और उस बैरक में अधिक से अधिक 50 मुलजिमों को रखा जा सकता है वहां 80 मुलजिमों को रखा जा रहा है । जेलर और ठेकेदार ने यह तय कर रखा है और उनकी पार्टनरशिप है इसलिये 80 मुलजिम रखे जाते हैं क्योंकि इससे ठेकेदार को फायदा होता है । जबकि एक बैरक में 50 से अधिक

(श्री देवीदत्त गाडिया)

मुलजिम नहीं रखे जा सकते हैं। उनको खाना नियमों के अन्तर्गत भी पूरा नहीं दिया जाता है।

श्री माधोसिंह : 50 कैदी रखे जा सकते हैं और एक दम आवश्यकता पड़ जाये तो 30 आदमी अस्थायी तौर पर रखे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात कहें। यह तो कह दिया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : दूसरी बात आपने यह कही है कि वहां पर फ्लश की लैट्रिन्स हैं वह सूचना आपकी गलत है। मैंने स्वयं ने दो महीने पहले वहां जाकर देखा है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सूचना गलत है ?

श्री माधोसिंह : मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि फ्लश की लैट्रिन है। आप यह जानकारी दे रहे हैं कि मेरी सूचना गलत है तो इसकी और जांच करवा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फ्लश की लैट्रीन वहां के अधिकारियों के क्वाटर्स के लिये है न कि जेल के क़ैदियों के लिये।

श्री माधोसिंह: सूचना के अनुसार फ्लश की लैट्रीन क़ैदियों के लिये हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा है तो जांच करवा लूंगा और ग़लत होगा तो एक्शन लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय ने जेल रिफ़ार्म कमीशन की रिपोर्ट को देखा है? जिसमें जेल के सम्बन्ध में कई प्रकार के यार्ड स्टिक निर्धारित किये गये हैं और क्या ये यार्ड स्टिक वारां की जेल में उपयुक्त है।

श्री अध्यक्ष : ये अलग से प्रश्न है?

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्री महोदय ने जेल रिफ़ार्म कमीशन की·····

श्री अध्यक्ष : नहीं पढ़ा है। आगे बढ़िये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय इस यार्ड स्टिक में स्टेन्डर्ड फ़िक्स किया हुआ है—वेन्टीलेशन कितना होना चाहिये, स्पेस कितनी होनी चाहिये आदि सब बातें उसमें दी हुई है?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय ने जो सूचना दी है उसके बिना अध्ययन किये मैं ऑफ हैंड अर्ज नहीं कर सकता हूं। इस जेल रिफ़ार्म कमीशन की रिपोर्ट को देखली जायेगी और इसको ध्यान में रखकर जो व्यवस्था नहीं होगी तो वह व्यवस्था करदी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जेल विभाग के मन्त्री हैं और जेल रिफ़ार्म कमीशन के बारे में जवाब न दें। इस प्रकार की मजाक़ मत करवाइये अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोग भी जेल रिफ़ार्म कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़ें और हाउस में आकर जवाब दे दें, यह कोई साधारण आपत्ति की बात नहीं है। मन्त्री लोग पढ़ते क्या हैं जो सरकारी अधिकारी लिखकर दे देते हैं उसी को हाउस में पढ़ देते हैं और उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। यह बड़ी सिरियस बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेन्ट हुई है क्या ?

श्री माधोसिंह : राज्य सरकार ने काफी इम्प्लीमेन्ट की है और इम्प्लीमेन्ट करने की..

श्री भैरोंसिंह : यह पेश कब हुई थी।

Page No 16

(श्री भैरोंसिंह)
उसके चेयरमैन कौन थे ? अध्यक्ष महोदय यह बता दें जेल रिफार्म कमीशन के चेयरमैन कौन थे जिसको इम्प्लीमेन्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट है भी कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री) : जेल रिफार्म कमीशन के चेयरमैन परिपूर्णानन्दजी थे। इस कमीशन की रिपोर्ट को साधारणतया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन जिसमें फाईनेनसियल मैटर्स इन्वोल्व थे वह इम्प्लीमेन्ट नहीं हुई है। जो पहले दुविधायें थी उसमें काफी सुधार हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जेल रिफार्म कमीशन की सिफारिश के अनुसार जितने सुधार के काम बारां जेल में होने चाहिये वे करवा दिये गये हैं।

श्री माधोसिंह : यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कामन सेन्स की बात है, अध्यक्ष महोदय। य परसरामजी तो उस विभाग के मन्त्री भी नहीं हैं लेकिन इनकी रुचि है पढ़ने की और जेल विभाग के मन्त्री हैं उनको जेल रिफार्म कमीशन के बारे में भी पता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कोई शिकायत की रिपोर्ट नहीं है। मैं स्वयं जेल में दो तीन बार गया हूं और निरीक्षण किया है······

श्री अध्यक्ष : किस रूप में गये हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : निरीक्षण करने के लिये गया था जेल के अन्दर····

श्री अध्यक्ष : यह कहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आन्दोलन के अन्दर भी जेल गया हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने स्वयं की रिपोर्ट में लिखा है—सर्दी गर्मी, बरसात हर मौसम में सील रहती है। मुल्जिम बीमार रहते हैं। कई मुल्जिम मलेरिया से पीड़ित रहते हैं। डाक्टर की भी यही रिपोर्ट है। माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बारां जेल में अकमोडेशन की जगह है वह 50 कैदियों के लिये है पिछले तीन महीने में मैंने देखा है 20, 40, 50 से ज्यादा कैदी नहीं रहते। अस्थाई तौर पर कभी कभी 70-80 हो जाते हैं। पर स्थायी रूप से जो अकमोडेशन है वह 50 की है और 50 के लिये वहां सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है उनके लिये वहां पूर्ण स्थान है। ये अस्थायी कैदी कुछ समय के लिये आते हैं और चले जाते हैं। सीमा के सम्बन्ध में इन्सपैक्टर जनरल प्रिजन्स को सूचना दी है। यह कोई कम्प्लेन्ट नहीं है कि सीम के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो। अगर डाक्टर ने कोई रिपोर्ट की है या कोई मैडिकल एडवाइस दी है कि इसमें पानी की सीम की वजह से प्रिजनर बीमार रहते हैं और उसका इलाज नहीं हो सकता है। उसको रिपेयर करवाने की जरूरत है अभी थोड़े दिन पहले ही उसमें एडीशन-आल्टरेशन भी करवाया गया। जो दूसरी जेलों में सुविधा उपलब्ध है वहां बारां की जेल में उपलब्ध है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मा. मन्त्री महोदय ने जो 50 की अकमोडेशन बताई है। ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें 60, 70, 80 मुल्जिम हर महीने न रहते हों। यह साधारण

(श्री देवीदत्त गाडिया) .

साधारण बात नहीं है। 50 मुल्जिम तो कभी रहे ही नहीं और अध्यक्ष महोदय सजा याफ्ता मुल्जिम भी वहां रहते हैं। उनके लिये अकमोडेशन कम पड़ती है। साधारण मुल्जिमों को बिजली पंखे की सुविधा नहीं देते हैं तो फिर कौनसी श्रेणी के मुल्जिमों को बिजली पंखे की सुविधा देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ए और बी क्लास।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये किस श्रेणी में माने जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : ए और बी श्रेणी के जो कैदी होते हैं उनको यह सुविधा उपलब्ध होती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस जेल के अन्दर परिवर्तन, परिवर्द्धन करने की योजना स्वीकार की है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस जेल के अन्दर क्या परिवर्तन, परिवर्द्धन करना चाहते हैं और क्या योजना बनी है, क्या स्वीकृति दी है और कितना रुपया खर्च होगा यह बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : ऐडीशन आल्ट्रेशन जो था वह कर लिया गया है। मैंने कोई योजना के लिये नहीं कहा है। कुछ ऐडीशन आल्ट्रेशन की आवश्यकता थी वह कर दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कुछ भी नहीं किया गया है अध्यक्ष महोदय। गन्दगी हमेशा बनी रहती है। हमेशा कैदी वहां बीमार रहते हैं उसी के अन्दर लेट्रीन, उसी के अन्दर बाथ रूम होता है। मुल्जिम हमेशा बीमार रहते हैं।

श्री विजय सिंह : क्यों नहीं जेल मन्त्री को जेल भेज दिया जाय तो वह देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जेल आदमियों के लिये है, भैंसों के लिये नहीं है।

प्रश्न सं. 748

श्री रामनारायण चौधरी :
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 749

श्री देवीलाल बुरासिया :
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता

750. श्री मदनलाल (हिण्डौन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कृषि उद्योग निगम लि0 जयपुर में किस किस अधिकारी तथा कर्मचारी को कितना कितना प्रति-नियुक्ति भत्ता दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रति-नियुक्ति भत्ता राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार के स्टेन्डिंग आर्डर के अनुसार जो सरकारी विभाग निगम में परिवर्तित होता है उसमें प्रति नियुक्ति भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है? यदि है, तो आदेश की

Page No 18

(श्री श्रवण लाल)
प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

कृषि मन्त्री (श्री गोभाराम) (1) : निगम द्वारा निम्न कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया गया है :—

(1) श्री एच. आर. मेहनोत, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर 10 प्रतिशत।

(2) श्री जी. पी. तिवाड़ी, वरिष्ठ शीघ्रलिपिक, राजस्थान सचिवालय, जयपुर 20 प्रतिशत।

(2) महालेखाकार और राजस्थान सरकार के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं। राज्य सरकार के दूसरे आदेश के द्वारा श्री जी0 पी0 तिवाड़ी का प्रतिनियुक्ति भत्ता दिनांक 30-12-70 से बन्द कर दिया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार की नीति यही है कि जो सरकारी विभाग निगम में परिवर्तित हों उनमें प्रतिनियुक्ति पर जाने पर राज्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में स्टेन्डिंग आर्डर्स नहीं हैं किन्तु हरेक मामले में राज्य आदेश राज. सेवा नियमावली भाग-2 के एपेन्डिक्स 9 के क्रम संख्या 18 के नोट 6 के तहत प्रसारित किये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री श्रवण लाल : आपने 30-12-70 से बन्द कर दिया है। यह क्यों किया गया ?

श्री गोभाराम : यह इस लिये बन्द किया था जो एपेन्डिक्स का हवाला दिया गया है, राजस्थान गवर्नमेन्ट के आर्डर्स हो गये। पहले ये थे कि—

"Deputation Pay to officers deputed to Corporation, including other Governments"

इसमें क्लास सिक्स में लिखा है—

"This clause does not apply to officers sent on deputation to Panchayat Samitis, Zila Parishads, Rajasthan State Electricity Board, Rajasthan State Transport Corporation and all other bodies which the Government may specify by special order."

अब स्पेशल आर्डर्स लिखे हैं—

"This clause does not apply to officers sent on deputation to bodies corporate owned or controlled by Government, Panchayat Samitis, Zila Parishads and any other body as may be specified by special order."

ये आर्डर हो चुके हैं।

श्री श्रवण लाल : यह माना जाय जो पहले दिया जा रहा था वह गलत दिया जा रहा था।

श्री गोभाराम : पहले आर्डर निकला था और नोटिस में लाया गया। यह कायदे के खिलाफ किया जा रहा है इस लिये बन्द कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हुरजीराम बुरड़क।

Page No 19

श्री भदण लाल : जो अब तक दिया जा चुका है और गलत दिया जा चुका है उसको वापिस लगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

लाडनू कस्बे के आसपास के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

751. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कस्बा लाडनू जिला नागौर के आसपास के गांवों को पाइप लाइनों द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो कहां कहां पर कब कब से कितना कितना पानी दिया जा रहा है, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त गांवों के अलावा दूसरे गांवों को भी पानी दिये जाने की योजना है ? यदि हां, तो किस किस गांव को कितना कितना पानी कब कब से दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि लाडनूं में जल-प्रदाय योजना चालू हुई थी उस समय जितना पानी का लेवल था उससे अब पानी का लेवल नीचा चला गया है ? यदि हां, तो भविष्य में पानी की कमी पड़ने के खतरे से बचने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

(4) क्या सरकार ने किसी तकनीकी विशेषज्ञ से इस प्रश्न की जांच करवाई है कि लाडनूं में भविष्य में पानी की कमी पड़ेगी या नहीं ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, सूची संलग्न है ।

(2) जी हां, निम्न गांवों के:—

कुसुम्बी योजना का कार्य पूर्ण होने पर 30,000 गैलन पानी प्रति दिन ।

निम्बी-जोधा योजना का कार्य पूर्ण होने पर 75,000 गैलन पानी प्रति दिन ।

अब छापर योजना सरकार के विचाराधीन है जिसमें 3,00,000 गैलन पानी प्रति दिन ।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(विराम)

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने जो सूची दी है उसमें सुजानगढ़ में कितना पानी देना बताया है ?

श्रीमती सुमित्रा : सुजानगढ़ में 1 लाख गैलन पानी प्रतिदिन ।

श्री हरजीराम बुरडक : लाडनूं में 3 लाख गैलन पानी देते हैं और सुजानगढ़ में लाडनूं से दुगुनी आबादी है उसमें एक लाख गैलन तो या तो लाडनूं के आंकड़े गलत हैं या सुजानगढ़ के ?

श्रीमती सुमित्रा : वहां पर जितना पानी देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं । वहां

(श्रीमती सुमित्रा)

पर 6 ही कुए हैं और पानी की जलधारा कम है इसलिए एक लाख गैलन पानी ही सप्लाई किया जा सकता है ।

श्री हरजीराम बुरडक : लाडनूं में कितने कुए काम में लेते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : चार कुए ।

श्री हरजीराम बुरडक : वहां पर चार कुओं से 3 लाख गैलन पानी निकलता है और यहां पर 6 कुओं से एक लाख गैलन ही ।

श्रीमती सुमित्रा : यह पानी की क्षमता पर डिपेन्ड करता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने प्रश्न के भाग (3) में यह बताया है कि प्रश्न नहीं उठता है तो इस संबंध में जानकारी कब की गई ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने सुना नहीं । आप दुबारा पढ़ें ।

श्री हरजीराम बुरडक : पानी का लेवल नीचा नहीं गया तो इस सम्बन्ध में जानकारी कब की गई ?

श्रीमती सुमित्रा : इस सम्बन्ध में बराबर रिपोर्ट मांगते हैं और आप कहें तो रिपोर्ट का वह पोर्शन जो रेलेवेन्ट है आपको पढ़कर सुना सकती हूं । इस संबंध में लाडनूं के असिस्टेन्ट इन्जीनियर, नागौर के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और चूरू के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने बाकायदा इस संबंध में रिपोर्ट की है लोगों के द्वारा इस तरह की बात ध्यान में लाई गई । उस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि पानी का लेवल वहीं का वहीं है । यदि पानी का लेवल नीचे जाता तो पंपिंग सैट जो कि सेट किये हुए हैं तो उनको नीचे उतारना पड़ता । अभी तक कभी भी नीचे उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो माननीय सदस्य मैं समझती हूं कि जो कयास है वह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री हरजीराम बुरडक : छापर के इन्जीनियर साहब ने रिपोर्ट दी है कि लेवल नीचे जा रहा है और पानी खत्म हो जायगा । तो ये हाउस में गलत रिपोर्ट दे रही हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : जवाब दिया है । इतने वर्ष हो गये हैं जल नीचे नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नैक्स्ट ।

पचपदरा व डीडवाना साल्ट से आय

752. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1960 से लेकर अब तक पचपदरा का नमक सरकार खार वालों से किस किस दर पर खरीदती रही है और उसका विक्रय किस किस दर से किया गया है ?

(2) डीडवाना क्षेत्र में इस अवधि में नमक का क्रय-विक्रय किस किस दर से किया गया है ?

(3) पचपदरा व डीडवाना साल्ट से राज्य सरकार की इस अवधि में प्रति वर्ष कितना कितना लाभ हुआ है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1)······

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू कि मेरे प्रश्न का जो माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं मैं ऐसा समझता हूं कि प्रश्न के उत्तर में जो लिखी हुई जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी होने वाली नहीं है। प्रश्न का विषय ही ऐसा है कि प्रश्न का उत्तर माननीय वित्त मंत्रीजी नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में भयंकर भूल की है ·······

श्री अध्यक्ष : खनिज मंत्री।

श्री भैरोंसिंह : वही हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको यह बात तो उस वक्त कहने की आवश्यकता पड़ेगी जब कि मैं उत्तर नहीं दूं।

श्री भैरोंसिंह : आपको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप कैसे कहते हैं कि जानकारी है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे डर है कि इसका पूरा उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : गलत उत्तर देंगे ····

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपके तो हर प्रश्न का भाग गलत होता है।

(1) पचपदरा नमक खारवालों से दिनांक 1-4-60 से अब तक लेने व बेचने की दरों की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) डीडवाना नमक के सन् 1960 से अब तक के क्रय-विक्रय की दरों की सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पचपदरा व डीडवाना साल्ट से राज्य सरकार को इस अवधि में प्रति वर्ष जो लाभ हुआ उसकी सूची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डीडवाने में नमक के क्रय की कीमत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कोई समिति नियुक्त की थी?

श्री विजयसिंह : पता ही नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो मैंने लिस्ट आपको दी है उसमें पचपदरा के नमक के क्रय की जो कास्ट है वह सनवार बताई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जो 68-69 में 58 पैसा था उसका 1971 में एक रुपया किया गया तो उस सम्बन्ध में क्या कोई समिति नियुक्त की गई है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 1971 में जो 1968-69 में 58 पैसे थी उस नमक की क्रय की कीमत 1 रुपया बढ़ाई है तो वह राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाई है, राज्य सरकार का मतलब मंत्री मण्डल से है क्योंकि कीमत बढ़ाने का अधिकार मंत्री मण्डल को ही था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उसका कोई सवाल नहीं है और कोई कीमत बढ़ाई जाती है और अगर मंत्री भी बढ़ाता है तो वह राज्य सरकार की अनुमति से बढ़ाई जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कीमत मंत्री-मण्डल ने बढ़ाई है या मंत्री ने ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : राज्य सरकार ने बढ़ाई है ।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाई है । यही तो मेरा प्रश्न है । राज्य सरकार के मन्त्री मण्डल को जो पावर्स मिले हुए हैं और जो उनका अधिकार-क्षेत्र है उसमें यह है और यही कीमत को अधिक करने पर विचार कर सकता है । इतना मैं कह सकता हूं कि केबिनेट में आज तक इस पर विचार नहीं किया है । डीडवाने के नमक की कीमत बढ़ाई तो राज्य सरकार ने बढ़ाई तो पचपदरा के लोगों ने आकर नमक की कीमत बढ़ाने की बात कही तो उनको लिखित में यह सूचना दी है कि राज्य सरकार डीडवाने और पचपदरा दोनों के मामले पर विचार करेगी और विचार करने के बाद कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया जायगा । जब इलेक्शन आया मध्यावधि चुनाव तो लोगों ने अपनी मांग रखी कि कीमत बढ़ाओ तो वोट देंगे तो बिना मंत्री-मण्डल में विचार किये मिनिस्टर ने आर्डर दे दिये जिसका कि उनको कोई अधिकार नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय को अधिकार था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : स्टेट एन्टरप्राइज विभाग की रिक्वेस्ट पर हमने कीमत बढ़ाई है । इसके ऊपर फाइनेन्स की कन्करेन्स हुई है और कन्करेन्स होने के बाद में कीमत बढ़ाई है ।

श्री अध्यक्ष : यह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है ।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार दो रुपये कर दे तो मुझे आपत्ति नहीं है । क्या राज्य सरकार के मन्त्री-मण्डल ने इसकी कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में आज तक निर्णय लिया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : फाइनेन्स ने कन्करेन्स दे दी । कोई निगम जब हो जाता है तो माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि लाभ और हानि के लिए चल रहा है तो स्टेट एन्टरप्राइज में दिक्कत आती है और उसके लिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की राय ली जाती है और जब फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने राय दे दी कि इस कीमत पर खरीदना चाहिए तो गवर्नमेन्ट ने आर्डर इश्यु कर दिया । जब गवर्नमेन्ट आर्डर हो गया तो पावर थी तभी तो हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : मेरी तो सीधी सी बात है कि क्या यह कीमत फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने ही बढ़ाई है और इस मसले को केबिनट में नहीं रखा गया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता नहीं थी इसलिए नहीं रखा गया ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : नहीं रखा गया । आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं रखा गया ।

Page No 23

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार को यह भी जानकारी है कि पचपदरा के लोगों ने रिप्रेजेण्टेशन किया था कि डीडवाना के नमक की कीमत बढ़ गई है। उनके नमक की कीमत भी बढ़ाई जाये। तो उनकी बात पर विचार नहीं किया गया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ध्यान से देखेंगे तो पचपदरा के नमक की कीमत पहले ही 94 है। इसीलिए विचार नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप कह रहे हैं आप को पता नहीं है। डीडवाना में एक साल में 3 क्राप आती हैं और पचपदरा में 2 क्राप आती है। इस कारण पचपदरा के नमक की कीमत ज्यादा रहेगी। अध्यक्ष महोदय, डीडवाना में 1968-69 के अन्दर 3 रु0 20 पैसा बिक्री मूल्य रहा है। पचपदरा से डीडवाना की कीमत बढ़ाई गई है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट एण्टरप्राइजेज डिपार्टमेन्ट ने पचपदरा के बारे में कोई बिचार नहीं किया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : पचपदरा का मामला राज्य सरकार के विचराधीन था।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार से मतलब, वित्त विभाग से ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जहां तक पचपदरा के नमक की कीमत बढ़ाये जाने का सवाल है, जिसकी पावर है, कैबिनेट में मिनिस्टर को भी अपनी पावर है। इस तरह से यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के विचाराधीन रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डीडवाना के नमक के बारे में 1971 से पहले कोई रिप्रेजेण्टेशन नहीं आया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसके पहले से आया हुआ है।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : इसको रिजेक्ट कर दिया था। हाईकोर्ट में रिट लाई गई।

श्री अध्यक्ष : वह रिप्रेजेण्टेशन रिजेक्ट कर दिया गया उसके बाद रिट की थी, हाईकोर्ट में ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसका उस से सम्बन्ध नहीं है। जानकारी के लिए मैं कह दूं कि इस बात को लेकर नहीं गये थे।

एक माननीय सदस्य : किन मुद्दों पर गये थे ?

श्री भैरोंसिंह : किस बात पर गये थे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जमीन के मामले को लेकर गये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या हाईकोर्ट का प्रश्न कीमत बढ़ाने से सम्बन्धित नहीं था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह इस से ही सम्बन्धित नहीं था। जमीन से था।

श्री भैरोंसिंह : जमीन से था पर नमक की कीमत बढ़ाई जाये। राज्य सरकार रिजेक्ट कर दिया तो इन दोनों स्थितियों में वह हाईकोर्ट में नहीं गये थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई पिटीशन लिखता है तो फिर सभी बातें लिखता है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा मुद्दा क्या था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसा कि उन्होंने रिप्रेजेण्टेशन दिया था उसका हवाला था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हाईकोर्ट में कोई रिट नहीं की गई ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हाईकोर्ट में गये थे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय हाईकोर्ट की रिट का पता नहीं, रिप्रजेण्टेशन पढ़ा नहीं। पचपदरा स्कीम की कोई जानकारी नहीं। यह माधोसिंह भैंसवाड़ा की तरह मेरे कहने का मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह उचित नहीं है, आप हरवक्त माधोसिंह भैंसवाड़ा का जिक्र करें।

श्री दौलतराम सारण : यह तो अध्यक्ष महोदय, प्रेमवश करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इसको स्थगित कर दिया जाये और 3 दिन बाद उत्तर दिला जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप का विचार तो बहुत लम्बा चौड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसी सदन में विचार कर लेता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पर आपने कहा था, मैं आप से मिला भी था। उस पर क्या निर्णय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आज मालुम हो जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : एक हफ्ते से अधिक हो गया है। वह भी माननीय योजना मन्त्री से सम्बन्धित है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था मन्त्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे थे तो आप ने कहा था ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री विजयसिंह : डीडवाना में क्योंकि अध्यक्ष महोदय, श्री चैनाराम को काफी क्यारियां अलाट की हुई हैं। क्या यह सही है ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : श्री चैनाराम को काफी क्यारियां दी हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : कारण यह है कि जो लोग परम्परागत नमक बना रहे थे, उनके बजाय जब वह अपने लोगों को दिया गया। जब उन लोगों ने काम शुरू किया तो कीमत बढ़ाई गई। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही विचार कर लूंगा। नैक्स्ट।

कृषि मन्त्री जी।

ट्यूब वैल्स के उपयोग के लिये हाई-लेवल कमेटी का गठन

753. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों में इस समय कितने कितने ट्यूब वैल्स तैयार हैं और उनमें कितने कितने काम कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(2) क्या यह सही है कि ट्यूब वेल्स के उपयोग के वास्ते एक हाई लेवल कमेटी बनी थी ? अगर हां, तो वह कमेटी कब बनी और अब तक कितनी बार कमेटी की मीटिंग हुई और वह कमेटी किस निर्णय पर पहुंची है और क्या-क्या नियम बनाए गए ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों में कृषि कार्य हेतु इस विभाग के अन्तर्गत 43 नलकूप हैं उनमें से 26 नलकूप इस समय कृषि कार्य हेतु कार्य कर रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ट्यूब वैल के उपयोग के वास्ते एक उच्च स्तरीय कमेटी 28 जुलाई 1969 में बनी थी। कमेटी की अभी तक 4 बार मीटिंग हुई हैं तथा उनमें सिंचाई हेतु नलकूपों के लिये यह नियम प्रतिपादित किया था कि नलकूप के कमाण्ड एरिया में 12 रुपये प्रति एकड़ प्रति वाटरिंग की दर से पानी दिया जाय।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री बाल सिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि उस कमेटी की एजेंडा में यह भी आता था कि नहीं कि किस प्रकार से और किन नियमों के अन्तर्गत लैंड अलाट किया जायगा ?

श्री शोभाराम : इस कमेटी के सामने दो प्रकार की बातें आई थी, एक तो सिंचाई रेट्स की। और जब अलॉटमेंट का सवाल आया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, इन तीनों चारों विभागों की मिली जुली कमेटी बनाई गई कि सभी प्रकार के नियमों को देखकर किस प्रकार से अलॉटमेंट किया जाय, पानी नहीं मिलता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किस रेट से दिया जाये यह सब बातें कमेटी तय करेगी और 31 जुलाई तक यह सब बातें कमेटी फाइनेलाइज कर देगी और मैं समझता हूं मैं उस वक्त आपके सामने पेश कर दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रेट चार्ज कौन करेगा।

श्री शोभाराम : वह तो ग्राउन्ड वाटर बोर्ड चार्ज करेगा चार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री बाल सिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि इन ट्यूब वेल्स पर सोसाइटीज को लैंड अलाट किया गया था ?

श्री शोभाराम : यह विस्तरित जानकारी तो मेरे पास नहीं है कि कौन कौन से जिले के अन्दर किस किस को अलॉट किया गया और कितने कितने काम कर रहे हैं। आप यदि सूची देखें तो आपको मालूम होगा कि केवल 17 ट्यूब वैल्स काम नहीं कर रहे हैं।

श्री बाल सिंह सोढ़ा : यह जो आप सूची दी है वह गलत है। जो लैंड जैसलमेर में सोसाइटीज को दिया गया था वह बाद में कन्सिल कर दिया गया, वह ट्यूब वैल भी काम नहीं कर रहा है। और कन्सिल इसलिये किया गया क्यों कि उस सोसाइटी से 90 रुपये एकड़ के हिसाब से चार्ज किया गया जो कि वे नहीं दे सके।

श्री शोभाराम : मैं अर्ज करूं कि कुल 43 नलकूप चार जिलों में बनवाये गये जैसलमेर में। 22 नलकूपों में से 15 काम कर रहे हैं और 7 किसी कारण से प्रारम्भ नहीं हो सके। यह जो आपने सूचना दी है कि कोआपरेटिव सोसाइटी का अलाटमेंट कैन्सिल किया गया, इसके लिये आपने कोई खास तौर से इत्तला नहीं मांगी थी इसलिये मैं यह निवेदन नहीं कर सकता कि उनको क्या शिकायत थी और वह क्यों नहीं काम कर रहा है। यह अलग से प्रश्न है। यदि आप कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पूछते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री बाल सिंह सोढा : एक इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय। यह जो जसलमेर की बात आपने बताई, मेरे सामने ये सभी आये हैं, तो अलग .....

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री श्रवण लाल!

श्री बाल सिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देने के लिये जैसलमेर में लैंड अलाट किया गया। उसके बाद इर्रीगेशन चार्जेज इतनी ज्यादा लगाई गई कि जिसको कोआपरेटिव सोसाइटी देने में सक्षम नहीं थी और उन इर्रीगेशन चार्जेज के कारण सोसाइटी को तीस चालीस हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री बाल सिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी रकम वह सोसाइटी कहां से भरेगी?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री बाल सिंह सोढा : मैं एक प्रश्न पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, वह यह है, क्या यह जो 12 रुपये प्रति एकड़ इर्रीगेशन चार्जेज किये हैं यह रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से चार्ज करेंगे?

श्री शोभाराम : यह फैसला नहीं किया गया है, बारह रुपये प्रति एकड़ का थोड़े दिनों पहले किया है। कोपरेटिव सोसाइटी के कितने कितने ड्यू बाकी हैं, इस रेट के हिसाब से, यह मामला विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं केश मंगा कर देख लूंगा और जो कार्यवाही की जा सकती है वह कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

स्थगित प्रश्न
(28-4-71)

गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर में हरिजनों आदि को आवंटित प्लाट्स

503. **श्री श्रवण लाल (हिन्डौन)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा हरिजनों व आये शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राइब्स के कितने कितने व्यक्तियों को कितने कितने वर्ग गज के कितने प्लाट्स किस किस स्कीम में दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) उपरोक्त प्लाटों पर कितनों को कब्जा दिलाया गया है और कितनों को अब तक कब्जा नहीं दिलाया गया है?

(श्री श्रवणलाल)

(3) उक्त जातियों के व्यक्तियों से भूमि की कीमत किस हिसाब से वसूल की गई है ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्री माधोसिंह) (1) गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्ड जिन अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को विभिन्न योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(2) तालिका संलग्न है।

(3) तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि यह एलाटमैन्ट राज्य सरकार के आदेश से हुए थे ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री भैरोंसिह : माननीय मन्त्री जी को जानकारी नहीं है। मैं आडिट रिपोर्ट की प्रति से सदन में पढ़ कर सुनाता हूं।

"गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को विशेष रूप से भू-आवन्टन के लिये न्यास में निम्न प्रकार का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश पर यह विचार किया गया, जिसके द्वारा आदेश दिया है कि गांधी शताब्दी के उपलक्ष में अनुसूचित जाति एवं जन जाति को विशेष रूप से भू-आवण्टन किया जावे। विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि इसके अनुसार 16 व्यक्तियों को किसी भी योजना में भू-खण्ड आवन्टित कर दिया जाय।"

श्री माधो सिंह : यह डाइरेक्शन था, उनको डाइरेक्शन दिया गया है। भूमि दी जाय-वह देने का आदेश नहीं है।

श्री भैरोंसिह : ऐसा आदेश था ?

श्री माधो सिंह : जी नहीं।

श्री भैरोंसिह : इसमें लिखा है, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्तर्गत जो नियम बने हैं, उन नियमों के आधार पर आवन्टन किया जाता है। वह आधार क्या हैं ?

श्री माधो सिंह : नियमों के आधार पर किया जाता है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि नियमों में व्यवस्था है उसके अनुसार जिन व्यक्तियों द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, उनके द्वारा इन्कम का सर्टिफ़िकेट दिया गया है, उनके नाम में कोई भू-खण्ड नहीं है-उसका सर्टिफ़िकेट दिया गया है ? क्या यह सर्टिफ़िकेट एप्लीकेशन के साथ दिये गये हैं ?

श्री माधोसिंह : हां।

श्री भैरोंसिह : फिर आडिट कैसे कह रहा है कि नहीं दिये गये हैं।

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं, जो नियम हैं, नियमों के अनुसार दी है एप्लीकेशन।

श्री भैरोंसिह : सर्टिफ़िकेट के लिये कहा है-उसके लिए कह रहे हैं ?

श्री माधो सिंह : सर्टिफ़िकेट के लिये मैंने नहीं कहा है, यह नहीं कहा है। मैंने कहा है ......

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को प्लाटस का आवन्टन किया गया, उन सब लोगों ने अपनी इन्कम के सर्टिफिकेट दिये है ? एक बाबत। क्या उन लोगों ने यह सर्टिफ़िकेट दिया है कि उनके पास भू-खण्ड नहीं है? इन दोनों बातों की कम्प्लायेन्स किन लोगों ने की है?

श्री माधो सिंह : इनमें से बहुत से लोगों ने, जिन्हें भ आवन्टन किया गया, उन्होंने यह शर्त पूरी नहीं की है, इसलिये राज्य सरकार ने स्टे कर दिया है और आदेश दे दिया है कि कब्जा नहीं दिया जाय और कैन्सिल करने के लिये विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को क़ब्जा दे दिया गया है उनके लिये राज्य सरकार की क्या नीति है। अध्यक्ष महोदय, आप देखिये।

श्री अध्यक्ष : कुछ लोगों को क़ब्जा भी दिया गया है?

श्री माधो सिंह : इनमें से तीन चार आमिदयों को क़ब्ज़ा दिया गया है। जिनको कब्जा दे चुके हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं कि अनियमितता हुई है तो क्या एक्शन लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इनमें से किन किन को क़ब्जा दिया गया है?

श्री माधो सिंह : श्री रामचन्द्र मीणा, श्री चन्द्र प्रकाश, श्री नथमल ......

श्री जुझारसिंह : गज़ब है।

श्री भैरोंसिंह : आगे भी है, तीन ही है क्या ? तीन के अलावा और नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : और पढ़िये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह वही रामचन्द्र हैं, जो कलैक्टर हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री जुझार सिंह : गज़ब है।

श्री माधो सिंह : क़ब्जा दिया गया है, उनकी लिस्ट है। कमला कुमारी भील को दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : सुनने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सुनने दीजिये उन्हें कहने दीजिये।

श्री माधो सिंह : कमला कुमारी भील।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कमला कुमारी भील ?

श्री माधोसिंह : जय नारायण सालोदिया!

श्री जुझार सिंह : जोर से पढ़िये।

श्री माधो सिंह : कमला कुमारी भील और

श्री विजय सिंह : भैंसवाड़ा में ठुकी कील।

श्री माधो सिंह : देवा राम पटेल-इनको क़ब्जा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इन तीनों को दिया गया है?

श्री माधो सिंह : सूरज मल

श्री भैरोंसिंह : इन छः आदमियों को कब्जा दिया गया है, यह बता दें ?

श्री माधो सिंह : मैंने लिस्ट पढ़दी है।

श्री भैरोंसिंह : जिन छः आदमियों को कब्जा दिया गया है, उन सब लोगों नें एप्लीकेशन के साथ जो फार्मेलिटी पूरी करनी चाहिये वह कर दी है ?

श्री माधो सिंह : मैं अर्ज़ कर रहा हूं, जिन एप्लीकेशन के साथ फार्मेलिटी पूरी नहीं हुई है, और उनको अनुचित आवंटन हुआ है उन सबका आवन्टन रद्द कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने फर्मेलिटी पूरी नहीं की है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किसी ने नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : तीन नाम हैं।

श्री माधोसिंह : उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन इम्पार्टेन्ट है। का शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जिन लोगों को जमीन दी है, उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पर दी है ? जिन लोगों को जमीन दी है, उनमें कई आफिसर हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, कई एम. एल. ए. हैं, एम. पी. हैं, आई. ए. एस. आई. ए. एस. आफिसर हैं और जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, उनका रजिस्टर में नम्बर है, उसके आधार पर प्रायोरिटी निश्चित की है उसके अनुसार दी है या जैसे मर्जी हुआ वैसे दे दी है।

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी करने पर मालुम हुआ कि बहुत सी अनियमितता हुई है इस लिये राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है और आवश्यक हुआ तो सबका आवन्टन रद्द कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : अनियमितता का प्रश्न नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है, प्रायोरिटी बेसिस पर दी गई है या नहीं ? इनमें कई आफिसर हैं जिन्होंने इन सर्टिफ़िकेट की कम्प्लायेन्स की है। ऐसे किस किस व्यक्ति को दे दी है। कई एम. एल. एज. ने शिकायत की है कि उन्होंने आज से तीन वर्ष पहले एप्लीकेशन दे रखी थी, लेकिन उनका नम्बर नहीं आया और जिन्होंने एप्लीकेशन उसी समय दी, उनको मिल गया। तो यह प्रायोरिटी बेसिस पर दी है या नहीं ?

श्री देवेन्द्र कुमार : कमला कुमारी ने दरख्वास्त कब दी थी और उनको प्लाट का एलाटमेन्ट कब किया गया ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : कमला कुमारी कौन है ?

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : भीखा भाई की लड़की।

श्री माधोसिंह : 8-9-70 को आवन्टन हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ?

श्री देवेन्द्र कुमार : इनके पिताजी का नाम क्या है ?

श्री माधोसिंह : इनके पिताजी का नाम भीखा भाई है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी और दें। क्या यह सही है कि इनमें से कई व्यक्तियों को भूमि का आवन्टन ऐसी स्कीम में परिवर्तन करके दिया गया है जो परिवर्तन राज्य सरकार की बिना अनुमति के नहीं हो सकता था।

श्री माधोसिंह : मेरा निवेदन है कि बहुत सी स्कीमें के लिये है, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया है। लाल कोठी वगैरह में है। मैं सदन को यह एश्योरेन्स देता हूं कि जो भूमि आवंन्टित की गई है, वह रद्द करदी जायगी।

श्री मोहन लाल मोदी : गांधी शताब्दी का मजाक उड़ाया गया है। जिन जिन को प्लाट एलाट किया गया है, यह नाम के हरिजन हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : डब मरो, डब मरो।

श्री मनोहरसिंह मोदी : यह क्या वे रोजगार हैं?

श्री मनोहर लाल मेहता : इससे बढ़ कर पाप नहीं हो सकता है। यह भयंकर अपराध है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहूंगा, यह रामचन्द्र कौन है? क्या यह सही है कि रामचन्द्र कलेक्टर हैं उनको दिया है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर। प्रश्नकर्ता!

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम सब प्रश्न-कर्ता हैं, यह भयंकर पाप किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रश्न बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : गाड़िया जी। आपके माननीय सदस्य, आपके दल के माननीय सदस्य प्रश्न कर्ता हैं, उनको प्रश्न पूछने दें।

श्री श्रवण लाल : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा, जो हमारे जयनारायण सालोदिया के लिए बताया गया, क्या उनको कब्जा दे दिया गया है?

श्री भैरोंसिंह : नहीं दिया।

श्री श्रवण लाल : उन्होंने बताया कि जयनारायण सालोदिया को कब्जा दिया गया है?

श्री माधो सिंह : आवन्टन किया बताया है।

श्री श्रवण लाल : छः की लिस्ट बताई है उनको कब्जा दे दिया गया है?

श्री माधो सिंह : आवन्टित की गई है।

श्री श्रवण लाल : मैं जानकारी चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : कब्जा नहीं दिया गया है।

श्री माधो सिंह : आवन्टन किया है, लेकिन डिस्प्यूट होने की वजह से कब्जा नहीं दिया गया है।

श्री देवेन्द्र कुमार : नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा सा था, एप्लीकेशन जिन्होंने दी है...

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण लाल !

श्री भैरोंसिंह : उनको एन्टरटेन किया गया है, रजिस्टर में नाम दर्ज है, उनको रजिस्टर किया गया है, उसके आधार पर प्रायोरिटी मानी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी है ।

श्री माधो सिंह : इसकी जानकारी है। प्रायोरिटी को बेसिस नहीं माना है। बेसिस नहीं माना है, इसलिये आदेश दिया है, इसकी जांच करके, जो अनियमितता जिनमें हुई है, उनको रद्द किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस बात की ? मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह सही है कि इनमें अधिकारी हैं, आई. ए. एस. [illegible] एस., और मिनिस्टर भी हैं, रामचरण [illegible] जगन्नाथ पहाड़िया आदि ? इसमें मिनिस्टर भी हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : डूब मरो।

श्री माधो सिंह : रामचरण को आवंटन नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : नाम है एम. एल. क्वार्टर नं. 121 आपके पास लिस्ट नहीं है तो मेरे पास है।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री माधोसिंह : इनको आवंटन पत्र जारी नहीं हुआ है, जमीन तय नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों को आपने जमीन का आवंटन किया उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया, कब्जा नहीं कर सके, वह दूसरी बात है। जिन लोगों को आवंटन किया है भूखण्डों का जो किसी विशेष स्कीम में आते थे और विशेष पर्पज के लिए सुरक्षित थे, उस प्रकार के भूखण्डों को भी आपने बिना गवर्नमेंट सेंक्शन के आवंटन किया है ?

श्री माधोसिंह : जी हां। एक डिस्प्यूटेड लैंड है वहां पर श्री जगन्नाथ पहाड़िया, दिनेश राय डांगी और जय नारायण सालोदिया को जमीन अलाट हुई थी, उसके लिए आपत्तियां आई इसलिए स्टे कर दिया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसी कोई जमीन आवंटित नहीं की जाएगी जिसके बारे में कोई एतराज हो। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पुनर्विचार करेंगे जो जो अनियमिततायें हुई हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे (शोरगुल)

श्री मनोहर सिंह मेहता : विश्वास नहीं रहा हमारा आपमें।

श्री दौलतराम सारण : हम फैक्टस चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : प्राकृतिक चिकित्सालय और यौगिक आश्रम के पास जो पड़ी हुई जमीन है वह विकास के लिए आपने मांगी, पिछले कई वर्षों से मांग रहे हैं लेकिन सरकार ने देने से इन्कार कर दिया और गांधी शताब्दी का नाम लेकर उन लोगों को देने की तजवीज की गई है, जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इस स्थिति में हो जिसको बंगला न हो, जिसकी भूमि न हो, जिसको आवास

(श्री दौलतराम सारण) की जमीन न हो। मेरी जानकारी में एक भी सदस्य नहीं है जिनको यह जमीन तजवीज की गई है ......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : डाका नहीं डालने देंगे।

श्री दौलतराम सारण : दिनेश राय डांगी को पाली के अन्दर 3 लाख की जमीन है उसको भी जमीन दे दी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : जगन्नाथ पहाड़िया गरीब आदमी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता—श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : मैं जानना चाहता हूं कि जो प्लाट्स एलाट किए गए हैं तो इसमें जो आपने पक्षपात अपनाया है कि किसी को 333 गज तो किसी को 750 गज किसी को एक हजार गज, यह पक्षपात क्यों अपनाया ?

श्री माधोसिंह : गलत सर्टीफिकेट दिया होगा, तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप क्या एक्शन लेंगे ? खुद प्लाट्स ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो अलाटमेंट के नियम बने हुये हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि 500) से ऊपर की आमदनी वाले किसी व्यक्ति को एलाटमेंट नहीं किया जाएगा, वे आक्शन में खरीदेंगे ?

श्री माधोसिंह : गवनमेंट सर्वेन्ट्स के लिए एक हजार की आमदनी का रूल है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिलाधीश की आमदनी एक हजार से ज्यादा है ? जिनको एलाटमेंट किया है ?

श्री माधोसिंह : उनका पे स्केल उस समय का होगा।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि मंत्री की आमदनी एक हजार से कम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो यूनीवर्सिटी के सामने गांधी नगर में प्राकृतिक चिकित्सालय में स्थित योग रिसर्च सेंटर के लिए भूमि मांगी थी वह उसे न देकर वाला 2 अब उन मर्जीदान लोगों को एलाट की गई है।

श्री अध्यक्ष : वह आ चुका है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो रिसर्च सेंटर को जमीन न देकर इन लोगों को क्यों दे दी गई ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रामचन्द्र मीणा, आई. ए. एस. आफीसर ने जो एफीडेविट दिया है कि उसके पास और रियायती दर पर कोई प्लाट नहीं लिया है ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछ लूं कि क्या यह सही है कि माऊंट आबू में उनको रियायती दर पर प्लाट दिया गया है ?

श्री माधोसिंह : कोई एफीडेविट उन्होंने पेश नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर कैसे एलाट किया एफीडेविट बिना ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अनियमितता है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : जिन्होंने ये प्लाट्स दिए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

श्री भगवान दास शास्त्री : नौकरी से हटाना चाहिए।

(शोरगुल-कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री यशवंत सिंह नाहर: अध्यक्ष महोदय, एक दिन यहां पर झोपड़ियों के हटाने का प्रश्न आया था ....

श्री मनोहर सिंह मेहता: बहुत अच्छा ।

श्री यशवंत सिंह नाहर: मैंने प्रश्न पूछा था कि जयपुर शहर में सैंकड़ों बंगले, दुकानें और बगीचे बना दिए हैं कृषि भूमि पर, उनका किसी ने हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, तो जवाब नहीं आया । ऐसा लगता है कि जो भी नियम हमारे यहां बनाऐ जाते हैं यह किताबों में रखने के लिए बनाए जाते हैं और बालायें ताक रखे जाते हैं । अगर यही आपका आधार है तो आपके जितने कानून हैं वे केवल रखने के लिए हैं या अनुपालना के लिए भी हैं ?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें । मैं माननीय सदस्यों की चिंता को समझ रहा हूं । उस संदर्भ में जैसा माननीय उप मंत्री महोदय ने कहा, कई अनियमिततायें हुई हैं, उसकी जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, आदि आदि । अब इस प्रश्न पर उत्तर चाहेंगे तो एक ही प्रश्न पर सारा समय लग जाएगा ।

श्री मनोहर सिंह मेहता: हम अनियमिततायें....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । मैं माननीय सदस्यों से सुझाव चाहता हूं कि इस प्रश्न को कैसे सुलझाया जाए ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: सारी एलाटमेंट्स केंसिल कर दी जायें इट इज दी ओन्ली वे आउट ।

श्री दौलत राम सारण: जिन अधिकारियों और बड़े नेताओं और मंत्रियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके कानून को जानते हुए, गैर कानूनी तरीके से जमीन लेने की चेष्टा की है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

श्री अध्यक्ष: चेयर इज आन इट्स लेग्स मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : दोषी अधिकारियों को निलम्बित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया, स्थान ग्रहण करें । इधर के कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और उधर से भी चिंता व्यक्त की गई है । मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न विशुद्ध रूप से सदन के प्रांगण में आ सके, प्रश्नोत्तर से हल होने का नहीं है । इसलिए मैं इस प्रश्न को हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए दे देता हूं ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह हाफ एन आवर से हल नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना मानते हैं कि एलाटमेंट्स गलत हुए हैं, प्रायरटी वालों को नहीं दिया, नियमों का वायोलेशन हुआ है गलत सर्टिफिकेट्स हैं, केवल आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार के विचाराधीन है ...

श्री अध्यक्ष : कई प्रश्न उठे हैं ....

श्री भैरोंसिंह : सब बातें ही कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आल एलाटमेंट्स शुड बी केंसिल्ड ।

श्री दौलतराम सारण : आप सरकार को अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दौलतराम सारण : उप मंत्रीजी जवाब देने को आतुर हैं ।

श्री अध्यक्ष : उपमंत्री महोदय किसी दूसरे मंत्री महोदय के स्थान पर उत्तर दे रहे हैं ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्यों दे रहे हैं ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री गाड़िया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जोइंट जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि प्रश्न पूछते रहें, वह उत्तर देते रहें । इसका कोई समाधान नहीं हो पायगा । मैं चाहता हूं सारे प्रश्न पर जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है, उन के संदर्भ में जितनी अनियमिततायें हुई हैं उन पर पूरी तरह से निर्णय माननीय सदस्यों की चिंता के संदर्भ में लिया जा कर उसके पश्चात इसको मैं हाफ एन आवर डिसकशन के लिए दे देता हूं ताकि सारी स्थिति स्पष्ट, जो राज्य सरकार कहना चाहती है और आप जो व्यक्त करना चाहते हैं, उस सारे संदर्भ में यह प्रश्न किसी न किसी निर्णय पर पहुंच जाएगा । इसलिए मैं आपकी सहमति से हाफ एन आवर डिसकशन के लिए देता हूं, इस प्रश्न को यहीं रख देता हूं ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : बोलने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष : किस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसी पर बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं समाप्त कर रहा हूं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब कह रहे हैं कि अनियमिततायें हुई हैं तो कैंसिल क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : मैं कैंसिल कर दूं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप सरकार को मजबूर करें ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : सरकार से कैंसिल करायें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिन्होंने एलाटमेंट किया है, उनको सजा दें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए जो समय दिया वह कल होगा या परसों होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भी तय होना है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाफ एन आवर डिसकशन तब अराइज होता है जब एसी जानकारी रह गई हो जो सवाल में नहीं आ पा रही हो । यहां तो सारी चीज को सरकार करती है कि एलाटमेंट्स में अनियमिततायें हुई हैं, वायोलेशन हुआ है, सर्टीफिकेट्स नहीं दिए हैं, मकान पहले ही मौजूद हैं, एन्टाइटल्ड नहीं हैं, डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं । गवर्नमेंट एप्रूव्ड स्कीम्स का वायोलेशन कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया । पोजीशन सारी मानते हैं । केवल सवाल यह है कि वह कहते हैं कि आश्वासन देता हूं विचार कर लेंगे । यह विचार वाली चीज नहीं है । सरकार मानती है कि सारी इल्लीगल एलाटमेंट्स हैं तो उनको कैंसिल करने की घोषणा सदन में करें ।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन कर दिया । किसी निश्चित केस में अनियमितता और इर्रेगुलेरिटी हो तो उसकी जांच करना तो आवश्यक होगा । इसकी जांच की जावेगी । उसके पश्चात् जो जो केस हैं अनियमिततायें हैं उनमें तो उनके अन्दर जो भी कानून के अनुसार कार्यवाही होगी वह कर ली जावेगी कैन्सेलेशन की कार्यवाही करनी होगी तो वह भी कर ली जावेगी । नियमों के खिलाफ है और गलत कार्यवाही हुई है तो बिना कानून के सरकार काम करने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे कब से बन गये ।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता ।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार ने अलाटमेन्ट के द्वारा जो व्यवस्था की है वह अपने अधिकारों का घोर दुरुपयोग किया है । कैन्सेलेशन हो, छान बीन हो यह तो सब ठीक है लेकिन जिस अधिकारी ने ऐसा घोर दुरुपयोग किया है इसके बारे में जांच होनी चाहिये कि उसने दबाव में आकर किया है या क्या किया है । गुनहगार तो उसको सजा देनी चाहिये । कैन्सेलेशन के पहले यह परम आवश्यक है कि गुनाहगार व्यक्ति को सजा दी जाय । वरना सरकार की आदत से तो हम सब वाकिफ हैं, लीपा पोती करके पांच सात दिन के पहले ही या आधा घंटे की चर्चा के पहले ही फैसला करके मंत्री और गुनाहगार सब तैयारी कर लेंगे और लीपा पोती करके उसका परिणाम जीरो बना देंगे इसलिये मंत्री महोदय को चाहिये कि एट दी स्पर आफ मोमेन्ट उत्तर में कहें कि गुनहगार होगा उसको सजा दी जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं । 17 आवंटन हुए हैं जिसकी लिस्ट आपने दी है क्या यह सही है कि उनमें से एक भी आवंटन नियमित नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : है जानकारी क्या ?

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्य को आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि जांच करवा लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधोसिंह : आप खड़े होते हैं तो हम बैठ जाते हैं । हम खड़े हैं आप बैठ जाइये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक पेरट लाइक रिप्लाई है । उससे हम थक गये हैं । आप क्या जवाब दे रहे हैं ? आप रिपीटेडली यह कह रहे हैं । आप कम से कम यह कहिये कि गुनाहगार को सजा देंगे । आप सजा देंगे या नहीं ? यह नहीं है तो आप सरकार नहीं है । आप क्या है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : कृषि मंत्री ने जगह जगह भूमि कृषि भूमि आवंटित कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य । श्री गाड़िया ।

श्री भैरोंसिंह : वे जवाब दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न ने जितना गम्भीर रूप धारण कर लिया है कोई न कोई सुझाव तो होना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : एक सुझाव है ।

श्री रावतराम : इसमें क्या नीति है, क्या नाजायज है ....

श्री अध्यक्ष : अब मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहता हूं । जीरो आवर्स समाप्त हो गया है । जैसा माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि माननीय सदस्यों की भावना और तथ्यों के संदर्भ में सारी स्थिति को स्पष्ट करके जितने नाजायज फैसले और अनियमिततायें हैं और जैसा विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि किसी अधिकारी ने ऐसा किया वह कहां तक वह गुनाहगार है, इस सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए हाफ एन आवर डिस्कशन के लिये कहा ।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं होगा । मेरा सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं सुनता हूं तो माननीय सदस्य एतराज करते हैं । पहले मैं माननीय सदस्य को मौका दे दूं ।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, यह जो अलाटमेंट के बारे में प्रश्न उठा है उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि गांधी शताब्दी वर्ष में खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रियायती दरों पर खण्ड देने की बात थी और गवर्नमेंट के ऐसे आदेश थे । लिस्ट सामने आये उनमें कोई कलेक्टर है, कोई बड़े आफिसर हैं, एम० एल० ए० है और मिनिस्टर हैं । इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कलेक्टर को प्लाट मिले या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये सदस्य । स्पष्टीकरण नहीं चाहिये । सब मय सूची के आ चुका है ।

श्री रावतराम : प्रश्न ही पूछना है तो स्थिति दूसरी हो जाती है । क्या राज्य सरकार की नीति है कि यू० आई० टी० में अलग अलग स्कीम बनती हैं, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 15 परसेन्ट प्लाट अलाट किये जावें ? पहला क्वेश्चन यदि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो उसका पालन क्या लाल कोठी और दूसरी जगह शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्लाट दिये हैं यह दूसरा क्वेश्चन । तीसरा मेरा क्वेश्चन है वह इससे सम्बन्धित है वह इसलिये कि गांधी शताब्दी वर्ष में यह नीति थी कि पुरानी एप्लीकेशन पर प्लाट देना था ।

श्री अध्यक्ष : आप तीसरा प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री रावतराम : तीसरा प्रश्न यह है कि गांधी शताब्दी वर्ष में किन किन लोगों की एप्लीकेशन्स आयी और कितने लोगों को प्लाट अलाट किये और कितने लोगों के पास आलरेडी प्लाट्स थे ? यदि अनियमिततायें हुई हैं तो जरूर कैंसल किये जा सकते हैं और मिनिस्टर एम० एल० ए० आदि को प्लाट मिल गये हैं तो उनको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिये । अपने पिछले वर्ष में

(श्री रावतराम)

प्लाट दिये हैं। आप लोगों के हजार हजार के प्लाट जयपुर में कबाड़े हुए हैं। घोर अनियमिततायें हैं। आप उन लोगों के प्लाट्स कैन्सल करिये जिनके पास आलरेडी है। एम. एल. ए. प्रधान, मिनिस्टर को गांधी शताब्दी वर्ष में मिले हैं तो उनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कितने ही प्रश्न हो गये। ऑर्डर प्लीज।

श्री रावतराम : प्रश्न इसलिये है कि . .

एक माननीय सदस्य : प्रश्न नहीं है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। उन्होंने कहा प्रश्न नहीं है और आप एक्स्प्लेनेशन देने लग गये। उधर एक्सप्लेनेशन मत लीजिये।

श्री रावतराम : जिन लोगों के केसेज प्रायोरिटी पर हैं, 60 से एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, प्रायोरिटी के बेसिस पर तो रहना चाहिये लेकिन महज इस वजह से किसी मिनिस्टर और एम. एल. ए. प्लाट को काट दें . . .

श्री अध्यक्ष : वह आपने कह दिया है। स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह : एक सीधा सा प्रश्न है। जिन 17 व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखी है क्या यह सही है कि क्या उनमें से किसी एक को भी यू0 आई0 टी0 के नियम बने हैं उनके अनुसार नियमित रूप से आवंटन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि इन प्रश्न उत्तरों के बाद यह यहीं समाप्त हो जाता है, बाद में तो नहीं आता है ?

श्री ... र सिंह : जवाब तो दिलवाइये। माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि 50–60 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्लर्क हैं और चपरासी हैं उनको प्रायोरिटी के बेसिस पर अलाटमेंट होना चाहिये उनको नहीं किया गया और इनको किया गया है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्लाट मिले हैं लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट के क्लर्क, चपरासी हैं उनको न मिले और कलेक्टर और मिनिस्टरों को मिल जाय जब कि प्रायोरिटी में शिड्यूल्ड कास्ट के वे लोग हैं। पहले प्रायोरिटी वालों को मिले चाहे कलेक्टर हो या मिनिस्टर हो। कोई हो।

श्री मोहन लाल मोदी : क्या जितने प्लाट गांधी शताब्दी वर्ष में अलाट किये गये हैं शिड्यूल्ड कास्ट के आदमियों को एक भी प्लाट दिया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जयपुर नगर विकास न्यास ने जो अलाटमेंट किये हैं वे गलत हैं तो क्या राज्य सरकार जयपुर नगर विकास न्यास के खिलाफ कार्यवाही करेगी, ऐसा कोई कदम उठायेगी ?

श्री किशनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पहले एप्लाई किया है और उनको नियमों के अनुसार अलाटमेंट किया गया है वह तो ठीक है लेकिन जिन्होंने बाद में एप्लाइ किया है उनको पहले जो प्रायोरिटी दी गई

Page No 38

(श्री किशनलाल वर्मा)

हैं, तो यह नियमों के खिलाफ अलाटमेंट किया गया है। क्या राज्य सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं ....

श्री अध्यक्ष : क्या आप (मंत्री महोदय से) नोट भी कर रहे हैं या नहीं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक प्रश्न तो यह है कि जिन को भी अलाटमेंट किया गया है उनके इस मृत्युलोक में कहीं दूसरी जगह तो मकान नहीं है। चन्द्रलोक की बात नहीं कर रहा हूं। एप्लीकेशन देर से दी है और कहीं पर मकान नहीं है तो पहले उस हरिजन को अलाटमेंट होना चाहिये और जिसका इस मृत्युलोक में मकान है उसका केन्सिल किया जाना चाहिये और जिसका इस मृत्युलोक में मकान नहीं है उनको पहले मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जितनी भी बातें यहां सदन के समक्ष रखी गई हैं उस पर आफ एन डिसकसन करने से उसका कोई हल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय इधर के माननीय सदस्यों और उधर के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उस पर जांच कर ली जाये, एग्जामिन कर ली जाये और जो अनियमित कार्यवाही की गई है उसको रद्द किया जाये। इस पर आफ एन्ड डिसकशन करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

श्री दौलतराम सारण : एक जानकारी करना चाहता हूं। प्राकृतिक चिकित्सालय के पास जो भूमि है उसको अलाट करने की जो तजवीज की गई है, उसी भूमि के लिये इन संस्थाओं की मांग है और उनकी मांग पहले थी। वह पहले से प्रार्थी थी तब फिर क्यों यह अनियमित रूप से अलाट करने की तजवीज की गई है। इस अलाटमेंट को कैन्सिल करके इन संस्थाओं को जमीन दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि यह सरकार के नोटिस में है कि यूनिवर्सिटी के सामने जो प्राकृतिक चिकित्सालय है उसका भी इस जमीन के डिमाण्ड है और 75 हजार रुपया चन्दे का उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। और व इस जमीन पर यौगिक केन्द्र भी बनाना चाहते हैं और इसके लिये भारत सरकार से सहायता भी प्राप्त हुई है और इसका खर्चा राजस्थान सरकार भी देती है। तब आखिरकार यह प्लाट इस संस्था को न देकर दूसरों को क्यों दिये गये हैं ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि सात सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये। एक तो प्रश्न कर्ता और तीन तीन सदस्य दोनों तरफ के इस तरह से सात सदस्यों की एक कमेटी हो और उसके बाद यह निर्णय किया जावे कि कौन सही है और कौन गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मान लिया जाये कि अलाटमेंट के लिये आपके पास में अमुक प्रार्थना पत्र आते हैं, 50 आते हैं। इन पचास प्रार्थना पत्रों की आप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्क्रूटिनी करते हैं और उसमें 30 को इल्लीजिबल मानते हैं। जो यह 30 इल्लीजीवल है उनके लिये आप लाट ड्रा कर ले ताकि यह मामला नान कन्ट्रोवरसियल रह सके वरना तो वाद विवाद चलता रहेगा। क्या सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री बिरदाराम : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करे।

आर्डर प्लीज।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर सदन के अन्दर बहुत से माननीय सदस्यों ने गर्मागर्म ढंग से फर्माया है, कुछ अपनी नाराजगी जाहिर की है। मैंने पहले भी एश्योरेंस दे दिया था और उसे पुनः दोहराता हूं कि इसके लिये जांच की जावेगी और जिस किसी व्यक्ति ने झूठे एफीडेविट देकर या गलत तरीके से आवंटन कराया है, उसके नाम अलाटमेन्ट हुआ है तो उसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है तो की जायेगी।

श्री मदनसिंह : जांच तो आप ही करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो भी अनियमितता की गई है तो उसके बारे में जांच की जायेगी और कोई अनियमित आवंटन हुआ है तो उसको रद्द किया जायेगा चाहे वह जिस किसी व्यक्ति का हो, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो और चाहे वह शिड्यूल कास्ट और शिड्यल ट्राइब्स का हो। नियमानसार उसको मिलता हो, और नियमों की अवहेलना नहीं हो तो ठीक है और उसको केन्सिल करना सम्भव नहीं है। दूसरा जो सुझाव माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने दिया है उस के ऊपर हम सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्यों ने, सब ने जो प्रश्न किये हैं उन सब के प्रश्न एक ही हैं। उनका यह प्रश्न है कि इसके अन्दर अनियमितता की गई है, जिनको देना चाहिये उनको नहीं दिये गये हैं, गरीब आदमियों को आवंटित नहीं किये गये हैं, इस प्रकार सब के विचारों का इसमें समावेश हो गया है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह नियमानुसार किया जायेगा और जो भी इसके अन्दर नियम है उन नियमों की अवहेलना नहीं की जावेगी और यदि अवहेलना हुई है तो उसका अलाटमेंट केन्सिल किया जायगा। आपभी यही चाहते हैं कि अलाटमेंट नियमों के अनुसार हो और नियमों के अनुसार नहीं हुआ है तो केन्सिल कर दिया जाये।

श्री विजय सिंह : रामचन्द्र मीणा ने 45 बीघा जमीन सिरोही में ले रखी है। और अब उनको यहां पर प्लाट दिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न तो यह है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न तो सीधा सादा है......

Page No 40

श्री भैरोंसिंह : अब प्रश्न का उत्तर हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : इन 17 व्यक्तियों में जो अनियमित हैं उसको कैन्सिल कर देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक की आपकी जानकारी के अनुसार इन 17 व्यक्तियों को जो आवन्टन किया गया है उनमें से किन किन का आवन्टन नियमित है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी नहीं है।

श्री माधोसिंह : इसके बारे में जांच करनी पड़ेगी। यह उत्तेजना का प्रश्न है। इसके लिये जो नियम हैं उसको देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सारा झगड़ा खत्म हो जायेगा यदि मन्त्री महोदय इस बात से सहमत होजायें कि इस सम्बन्धी जो पत्रावलियां हैं उन पत्रावलियों को आप अध्यक्ष महोदय को दिखादें और उन पत्रावलियों को देखने के बाद अध्यक्ष महोदय सदन को यह बतादें कि यह नियमित हुआ है या अनियमित हुआ है। मुझे सन्देह है अध्यक्ष महोदय कि पत्रावलियों को न पकड़ा गया तो उसमें दूसरे सर्टिफ़िकेट लगा दिये जायेंगे बैक डेट के। वहां पर रजिस्टर का खाता खुला रहता है। इस लिये क्या आप तैयार हैं कि इस सम्बन्धी जो सारे पेपर्स हैं उन सारों को अध्यक्ष महोदय को समर्पित किया जायें। इसके लिये क्या मन्त्री महोदय तैयार हैं....

श्री अध्यक्ष : समर्पित में वापिस लौटाया नहीं जाता है। देने के लिये कहें....।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कागज हैं। क्या मन्त्री महोदय इस आवन्टन के सम्बन्ध में सारी पत्रावलि अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं ताकि इसका निराकरण किया जा सके कि कौन नियमित है और कौन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य मुझको क्यों बीच में ला रहे हैं। वे कह देंगे तैयार नहीं हूं तो इस आसन को क्यों बीच में लाया जाता है....

I don't want to be dragged in this.

आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेन्ट की तरफ से राजस्व मन्त्री जी बोलें।

श्री रामकिशोर व्यास : काफी देर से 17 व्यक्तियों को जो आवन्टन किया गया है उसके बारे में चर्चा चल रही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उपमन्त्रीजी ने कहा है गवर्नमेन्ट इस बात को एग्जामिन करले कि यह जो 17 प्लाट आवन्टित हुए हैं उनमें से किन किन का रेगुलर है और किन किन का इर्रेगुलर है और जो अलाटमेन्ट इर्रेगुलर है उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को दे दी जायेगी कि यह प्लाट्स केन्सिल किये हैं। इसकी सूचना आपको मिल जायेगी। उसके बाद ऐतराज हो कि यह इर्रेगुलर है और गवर्नमेन्ट ने इसको रेगुलर माना है तो आप कह सकते हैं। प्रश्न को हल करना है तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि गवर्नमेन्ट इसको एग्जामिन करे और जानकारी करे कि जो 17 केसेज हैं उनके बारे में जानकारी ले कि कौनसा रेगुलर है और कौनसा इर्रेगुलर है। तो इसको एग्जामिन करके आपको बता

(श्री रामकिशोर व्यास)
देंगे। उसके बाद भी सन्तोष न हो तो आप बता सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमारी शंका निराकरण नहीं हुआ है। हमारी शंका यह है कि जो कागज बने हुए हैं वह आपको मुलाहिजा के लिये पेश कर दें तब तो...

श्री अध्यक्ष: मुलाहिजे के लिये मैं नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी ने उसी बात को फिर दोहराया प्रश्न तो जांच का खड़ा ही नहीं होता है प्रश्न तो जांच का जब खड़ा हो जब हम तो अनियमित कहें और आप नियमित कहें। हम तो यह कहते हैं 17 के 17 प्लाट ही अनियमित हैं और अगर नियमित हैं तो एक केस भी बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : इमीजिएट कैसे बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस हाउस को एक केस के बारे में भी सेटिसफाई कर दीजिये। जांच का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। बस्ती सीतारामपुरा में इस हाउस की याचिका समिति ने रिपोर्ट दी है और आज से पांच साल पहले यह रिपोर्ट दी है। जो आदमी शहर में जिन्दा नहीं है? मरे हुए लोगों को प्लाट दिये हुए हैं। जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें कितने प्लाट केन्सिल किये हैं एक भी नहीं किया गया है। अभी 7 दिन पहले इस हाउस में एश्योरेन्स दिया गया था जनता कालोनी में श्री सी. एल. गुप्ता को किसी स्कूल के बहाने जो प्लाट दिया गया है उसको केन्सिल कर दिया जायगा। वहां आज सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं। पांच कमरे बना लिये गये हैं। आज के युग में 10 दिन में कन्स्ट्रक्शन खड़ा होता है। आपकी नाक के नीचे यह सब काम हो रहा है। 25 तारीख को यह हाउस खतम हो जायगा। इसके मिनिस्टर भीखा भाई हैं उनको इस संबंध में कोई फिक्र नहीं है। वे मौज उड़ा रहे हैं क्योंकि उनकी लड़की के नाम गांधीनगर में प्लाट मिल गया है एक श्री जगन्नाथ पहाड़िया को दे दिया गया और एक कलक्टर साहवान् को दे दिया गया है इस तरह से सारी की सारी कार्यवाही इर्रेगुलर हो रही है। 7 दिन बाद हाऊस खतम हो जायगा—फिर नवम्बर दिसम्बर का महिना आ जायगा इसमें विधान सभा में कुछ और कह देंगे, थोड़े समय के लिये असेम्बली बुलायेंगे। इसके बाद जनवरी फरवरी का महीना आ जायगा और चुनाव आ जायेंगे इस तरह से सारे मामले को रफा दफा कर देंगे—चलो जयराम जी हुई। यह है, सारा मसला।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं क्या राजस्व मंत्री जी या उप मंत्री जी इस सारी पत्रावली को अध्यक्ष महोदय को दिखाने को तैयार हैं?

श्री रामकिशोर व्यास: कोई देखना चाहे तो ऐतराज नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह–: आपको भी सहूलियत होगी और हमको भी सहूलियत होगी—निर्णय करने में।

Page No 42

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट का फंक्शन है, कौनसा रेगुलर है और कौनसा इर्रेगुलर है। जांच करके सारे कागज भी जो आप देखना चाहेंगे, दिखा देंगे।

श्री भैरोंसिंह : इस संबंध की पत्रावली अध्यक्ष महोदय को दे दी जाय—ठीक है गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिये, हम भी मानते हैं लेकिन मामला स्पष्ट हो तो जांच की आवश्यकता ही नहीं है। और जो निर्णय अध्यक्ष महोदय देंगे हमें स्वीकार है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : और अध्यक्ष महोदय को कष्ट भी होगा तो हमारी इतनी व्यग्रता को देखते हुए वे कष्ट भी हमारे लिये उठा लेंगे।

श्री किशनलाल वर्मा : इसके लिये हाउस की एक कमेटी बना दी जाय और अभी उस कमेटी की घोषणा कर दी जाय। इससे·····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है यह सरकार स्वीकार करती है या स्वीकार नहीं करती है। इस अलाटमेंट से सम्बंधित सारी पत्रावली अध्यक्ष महोदय को दे दी जाय। अध्यक्ष महोदय यह उचित समझें कि इस मामले की जांच गवर्नमेंट करें तो अध्यक्ष महोदय उस प्रकार के आदेश दे दें और अध्यक्ष महोदय यह कहें कि सारे आंवटन अनियमित है तो फिर गवर्नमेंट के जांच का प्रश्न ही नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझको पत्रावली, उसमें उनका अनुग्रह नहीं है। यदि मैं चाहूं, चूंकि विवादग्रस्त पत्रावली है तो मैं स्वयं मंगा सकता हूं। इसलिये मैं नहीं चाहता हूं·····

श्री विजयसिंह : यह घोटाले करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न के बीच में नहीं आना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बीच में पत्रावली मंगा कर देखूं और फिर निर्णय दूं। सदन का प्रश्न है, सदन ही निर्णय ले।

श्री भैरोंसिंह : इस पत्रावली को मंगाया जाय। हम चाहते हैं।

श्री विजयसिंह : आप पर सदन का विश्वास है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : जो सदन की गरिमा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई कांग्रेस पार्टी की बात हो, ऐसा मैं नहीं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : It may be submitted to me.

समाप्त हुआ, उसके बाद कुछ नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With all the papers including applications affidavits, certificates and allotment order-it should be submitted day.

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि आप इस मामले को इतना बढ़ाते जा

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
रहे हैं, मैं इसलिये विरोध करना चाहता हूं। कुछ थर्ड आदमी को प्लाट मिले हैं। उनके अलाटमेंट के आर्डर्स हो चुके हैं। इसमें सर्टेन रूल्स है उस रूल्स की अवहेलना पर माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश होता है—अनियमित है और मान लीजिये थर्ड आदमी इन्वोल्व है। अगर वे हाई कोर्ट वगैरह में चुनौती देते हैं तो इस सदन की गरिमा है उसके ऊपर......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चोर के कितने पैर होते हैं। कोई कोर्ट में नहीं जाने वाला है सब प्लाट्स बेईमानी से लिये गये हैं। सदन की गरिमा का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह पत्रावली मेरे पास आती है और जहां तक सदन की गरिमा और आसन की गरिमा है मैं सोच समझ कर निर्णय दूंगा।

(हियर, हियर की ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : आज आ जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न सब स्थगित किये गये।

श्री भैरोंसिंह : फाईल कब आयेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही आयेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आज ही आ जायगी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई हलेना सड़क

736. **श्री नत्थीलाल** (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नदबई से हलेना सड़क पर श्रमदान द्वारा हलेना पंचायत से मिट्टी डल चुकी है जिसकी लम्बाई 8 मील है ?

(2) इस पर सीलिंग व बैलास्ट व डामर कब तक कराने का गवर्नमेन्ट का विचार है क्योंकि इस सड़क पर नदबई हाई स्कूल से खांगरी पंचायत, झारवरी पंचायत पड़ने के कारण यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है ?

(3) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर बानगंगा नदी की दो नहरें पड़ती है जिस पर है सिंचाई विभाग से पुल भी बनवाया जा चुका है ?

(4) सरकार इस सड़क को कब तक तैयार कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) अभी कोई योजना नहीं है।

कृषि उपज मण्डी के सदस्यों का चुनाव

737. **श्री हुरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़ गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में कृषि उपज मन्डी के सदस्यों का चुनाव माह अगस्त सन् 1970 में हो चुका है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त मंडी कमेटी के चेयरमेन का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि चेयरमेन का चुनाव नहीं होने से मन्ड़ी कमेटी का बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । मण्डी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है और निर्वाचन परिणाम राजस्थान राजपत्र के 6 मई 1971 के अंक में प्रकाशित हो चुके हैं । कृषि उपज निर्माण नियम 32 के अनुसार, जिलाधीश महोदय समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन कराने के लिये व्यवस्था करेंगे ।

(3) नियमानुसार नव निर्वाचित मन्डी समिति के पदासीन होने तक मनोनीत समिति ही कार्य करती रहती है ।

दी अलवर आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड

744. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर में 'दी अलवर आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि., के नाम से महतर हरिजनों की एक सहकारी समिति पंजीकृत की गई है ? यदि हां, तो यह सहकारी समिति कब पंजीकृत की गई और इसके कितने सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह सहकारी समिति 'दी राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्स कोपरेटिव सोसायटी' की भी सदस्य बन चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर में 30-9-1970 को एक कान्फ्रेन्स सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें उदयपुर बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अलवर तथा भरतपुर में हरिजनों की गृहनिर्माणहेतु सहकारी समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया था ?

(4) क्या राज्य सरकार की यह योजना है कि हरिजन महतरों को ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों को 2000) रु. प्रति सदस्य अनुदान और 3000) रु. प्रति व्यक्ति ऋण दिया जावे ?

(5) क्या इस प्रकार का अनुदान और ऋण राजस्थान में किन्हीं सहकारी समितियों को दिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सहकारी समितियों को और कितना कितना रुपया दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) दी अलवर आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति को अभी तक कोई अनुदान या ऋण न देने का क्या कारण है ?

उत्तर—

(1) जी हां, दी अलवर आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि. अलवर दिनांक 16-10-70 को क्रमांक 1632 'A' पर

(सहकारिता मंत्री)
पंजीकृत हुई हैं। समिति की सदस्य संख्या 115 है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) सहकारी विभाग में ऐसी योजना अभी तक नहीं है।

(5) सहकारी विभाग द्वारा इस प्रकार का अनुदान व ऋण अभी तक किसी समिति को नहीं दिया गया हैं।

(6) समिति को अभी तक नगर विकास न्यास द्वारा गृह निर्माण के लिये भूखण्ड अलाट नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पीपलखूंट क्षेत्र के भूमिहीन किसान

745. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा के पीपलखूंट क्षेत्र में वहां के भूमिहीन किसानों की संख्या क्या है ?

(2) क्या यह सही हैं कि पीपलखूंट क्षेत्र में जंगल का क्षेत्र ज्यादा है ?

(3) क्या यह सही हैं कि उक्त क्षेत्र के भूमिहीन किसानों ने जंगल एरिया की जमीन की मांग की हैं व नाजायज कब्जे भी किये हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने वहां के भूमिहीनों की समस्या को दूर करने के लिये जंगल की जमीन रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की क्या कार्यवाही की हैं ?

(4) अब तक कितनी एकड़ जमीन जंगल से निकाली गई है ? यदि नहीं निकाली गई, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

झुंझुनू जिले की जल प्रदाय योजनायें

748. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुंझुनू जिले में कितनी जल प्रदाय योजनायें राज्य सरकार ने अब तक मंजूर की है और उनमें से कितनी योजनाओं के लिये कार्य चालू करने हेतु धन का आवण्टन किया जा चुका है

(2) झुंझुनू के जिले की स्वीकृत जल प्रदाय योजना की सूची सदन की मेज पर रखी जाये तथा प्रत्येक योजना के लिये गत वित्तीय वर्ष 70-71 में आवण्टित धनराशि का विवरण साथ में दिया जावे उन योजनाओं के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितना कितना प्रावधान दिया गया है ?

(3) इन उपरोक्त योजनाओं में किस किस गांव की योजना पाईप वाटर सप्लाई स्कीम है तथा किसे गांव की टैंक एण्ड सप्लाई में शामिल कर स्वीकृति दी गई है इन स्वीकृत योजनाओं के गांव की जनसंख्या कितनी कितनी है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है, स्वीकृत सभी योजनाओं के लिये कार्य चालू करने हेतु धन का आवण्टन किया जा चुका है।

(2) सूची मय वर्ष 1970-71 व 1971-72 में आवण्टित धनराशि का विवरण के साथ रखी गई है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(3) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

उप-खण्ड केकड़ी में धारा 91 के तहत मामले

749. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि उप-खण्ड केकड़ी जिला अजमेर में लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के मामले तय किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो कुल कितने तय किये जा चुके और कितने मुकदमें तय करने बाकी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त तहसीलदारों ने काश्तकारों पर 35 गुणा शास्ती लगाई है जिससे काश्तकारों को बहुत अधिक भार उठाना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश प्रसारित किये हैं कि धारा 91 के मुकदमों पर 15 बीघा तक 35 गुणा शास्ती वसूल नहीं की जावे ? अगर हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) 15 बीघा तक के 91 मुकदमे अब तक फैसला किये जा चुके हैं और उनसे जो शास्ती वसूल की जा चुकी है उसका क्या होगा और उनको उक्त शास्ती की राशि किस रूप में लौटाई जायेगी ?

(5) उक्त 15 बीघा तक के 91 मुकदमों से अब तक कुल कितनी राशि राज कोष में जमा कराई जा चुकी है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस कर्मचारीयों की सेवा मुक्ति

683. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भरतपुर में किस किस पुलिस कर्मचारी को कब तथा किन कारणों से सेवा मुक्त किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या उनकी विभागीय जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में सन् 1950 से 1970 तक कुल 210 पुलिस कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये हैं । सेवा मुक्त किये गये पुलिस कर्मचारियों के चाहे गये विवरण, संलग्न तालिका में अंकित है ।

(2) जी नहीं । किसी भी सेवा मुक्त किये गये पुलिस कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच नहीं कराई गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमिहीन किसान व पड़त जमीन

684. श्री रामकिशन (बैर) श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अब सरकार के पास कुल कितनी पड़त जमीन है जिसको भूमिहीनों में बांटा जा सकेगा जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

Page No 47

(श्री रामकिशन, श्री केदारनाथ)

(2) राज्य में कुल कितने भूमिहीन किसान हैं ? जिलेवार संख्या बताई जावे।

उत्तर

(1) राज्य में अब सरकार के पास कुल लगभग 25,45,819 एकड़ पड़त भूमि है, जिसको भूमिहीनों में बांटा जा सकेगा। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई। इसमें जिला जैसलमेर की सूचना सम्मिलित नहीं है।

(2) राज्य में कुल लगभग 6,45,257 भूमिहीन किसान हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखियें)

जयपुर जिले में कृषि भूमि का आवंटन

685. श्री महेन्द्रसिंह हाडा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1967 से लेकर अब तक जयपुर जिले में किन किन ऐसे व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवण्टन किया है जो इस ग्राम के निवासी नहीं हैं ? कृपया इन व्यक्तियों के नाम पिता अथवा पति का नाम, स्थान भूमि का रकबा, नाम ग्राम, आवंटन की तारीख, खसरा नम्बर नामान्तरकरण की तारीख सहित पत्रावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह आवंटन किस द्वारा कब कब किया गया ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सन 1967 से लेकर अब तक ऐसे जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है, जो उस ग्राम के निवासी नहीं है, की सूची, उनके नाम, पिता या पति का नाम, निवास स्थान नाम ग्राम जहां भूमि आवंटन हुई है, आवंटित भूमि का खसरा नम्बर व क्षेत्रफल और नामान्तरकरण की तारीख सहित संलग्न है।

(2) सूची में उल्लेखित भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से अगस्त 1970 तक तहसीलदारों द्वारा व तत्पश्चात उप जिलाधीशों द्वारा किया गया है। तारीख आवंटन विवरण सहित उपरोक्त वांछित सूची में दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां किशनगंज व शाहबाद को तहसीलवार द्वारा भूमि आवंटन

686. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अप्रेल, 1967 से 1969 तक तहसीलदार बारां, किशनगंज व शाहबाद द्वारा किस किस तारीख को किस किस स्थान पर भूमि आवंटन करने के संबंध में मिटिंग बुलाई गई और मीटिंगों में कौन कितने कितने उपस्थित थे ?

(2) किस किस मीटिंग में कितनी कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को आवंटित की गई ? यह भी बताऐ कि, किस किस स्थान की मीटिंग में हरिजनों को कितनी कितनी भूमि आवण्टित की गई ?

(3) किस किस मीटिंग में कितने कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए

(श्री देवीदत्त गाडिया)
थे और उनमें से स्थानीय लोगों के कितने कितने थे ?

(4) क्या किसी मीटिंग में स्थानीय व्यक्तियों को भूमि आवण्टन नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो क्या, और किन किन को ?

(स्थगित किया गया)

तालेड़ा केशोराय पाटन सड़क

687. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तालेड़ा केशोरायपाटन सड़क की मरम्मत का कार्य भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री य. ब. चौव्हान जब पाटन की सहकारी शुगर मिल का उद्घाटन करने आये थे उस समय हुआ था ? यदि हां, तो सड़क की मरम्मत कब शुरु हुई और उस पर क्या व्यय हुआ ?

(2) यह विभागीय कार्य था या ठेके पर करवाया गया था ?

(3) क्या इस सड़क की हालत पुनः बिगड़ चुकी है और जगह जगह गड्डे पड़ गये हैं ?

उत्तर

(1) फरवरी 1970 में तालेड़ा केशोरायपाटन सड़क पर मरम्मत कार्य कराया गया था। मरम्मत पर 2,37,592 रुपया व्यय हुआ है।

(2) मील 23 तथा 2 का कार्य ठेके पर कराया गया था। शेष कार्य विभाग द्वारा कराया गया है।

(3) सड़क का वह भाग जो चम्बल क्षेत्र में नहरों के स्टेज में आता है, उसकी दशा अच्छी नहीं है।

गऊ घाट पर पुल

688. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले का गऊघाट पुल जो परवन नदी पर है, मरम्मत का कार्य चल रहा है ?

(2) कितनी धन राशि इसमें खर्च होगी ?

(3) किस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया है ?

(4) कितनी धनराशि का अब तक भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है ? और कितना काम हो चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) लगभग 1,85,000 रुपये।

(3) श्री लालमोहम्मद ठेकेदार को दिया गया है।

(4) अभी ठेकेदार को कोई भगतान नहीं दिया है। ठेकेदार द्वारा मेटिरियल कलेक्शन का काम चालू है।

Page No 49

चौथी पंचवर्षीय योजना में अजमेर जिले की सड़कें

689. **श्री देवीलाल गुर्जर (केकड़ी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में कौन कौन सी सड़कें चौथी पंचवर्षीय योजना में ली गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन कौनसी सड़क चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं है और उनका प्लान में नहीं लेने के क्या कारण हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि कई महत्वपूर्ण सड़कों को प्लान में नहीं लिया गया है?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

खादर और ऊसर भूमि

690. **श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऊसर और खादर जमीन का क्षेत्रफल कुल कितना है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार के समक्ष ऊसर और खादर जमीन को काश्त के योग्य बनाने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना में कितना व्यय होने का अनुमान है?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना को पूरा करने के लिये भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु मांग करने का विचार रखती है?

(4) क्या राज्य सरकार इस भूमि को राज्य के भूमिहीनों में आवंटित करेगी?

(स्थगित किया गया)

मीणा छात्रावास के लिये भूमि

691. **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अब से करीब 3 साल पहिले राजस्थान मीणा सेवा संघ के तत्वाधान में जयपुर में आयोजित किये गये किसान सम्मेलन में मुख्य मंत्री जी ने जयपुर में आदिवासी मीणा छात्रावास के लिये भूमि देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक जमीन देने का क्या कारण है?

(2) क्या मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बंध में स्वायत्त शासन मन्त्री को तथा स्वायत्त शासन मन्त्री ने नगर विकास न्यास जयपुर को जमीन देने के लिये लिखा है? यदि लिखा है तो कब लिखा है?

(3) क्या इसका कोई उत्तर दिया गया और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) ऐसा कोई आश्वासन दिया प्रतीत नहीं होता।

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 21-2-68 को न्यास को भूखण्ड आवंटन करने के निर्देश आदिवासी छात्रावास हेतु दिये गये थे।

Page No 50

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां। दिनांक 3-5-68 को न्यास द्वारा राजस्थान मीणा सेवा संघ जयपुर को यह सूचना भेजी गई कि न्यास के अधिकार क्षेत्र में उक्त कार्य हेतु आवंटन योग भूमि नहीं है।

आरक्षित दरों पर आवास हेतु भू-आवंटन

692. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल 1967 से लेकर अब तक राज्य के विभिन्न नगर विकास मण्डलों द्वारा ऐसे किन किन व्यक्तियों को जो आय कर देते हैं, आरक्षित दरों पर आयास हेतु भू-खण्डों का आवंटन किया है ? कृपया नाम पतेवार तालिकावार सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुये और उन्हें आवंटित भू-खण्ड का क्षेत्रफल कितना कितना है तथा उसका मूल्य क्या है ?

स्थगित किया गया।

गंगानगर जिले की भूमि

693. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्री गंगानगर में कुल कितनी एकड़ भूमि है ?

(2) खातेदारी कितनी है व अगली कितनी है ?

(3) बंजड़ कितनी है जिसमें सरकारी कितनी है व खातेदारी व अलाट शुदा कितनी है ? तहसील वाईज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) गंग कैनाल में कितनी भाखरा में कितनी, राजस्थान कनाल में कितनी कैनाल क्षेत्र से बाहर कितनी एकड़ है ? सिंचित कितनी, बारानी कितनी एकड़ है ? तहसीलवाईज सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पहले यह भूमि तहसील रेवेन्यू से एक साला आराजी अलाट की गई थी ? यदि हां, तो कौन से सन् में भूमि अलाट की गई और फिर यह भूमि खारिज किसने की थी ? उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि यह सब काश्तकार मौके पर आबाद हैं ? यदि हां, तो कौन से सन् में आबाद हुये ?

उत्तर

आइटम नं. 1 से 4 तक की सूचना परियोजना व तहसीलदार से तालिकाओं में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) प्रश्न स्पष्ट नहीं है किस तहसील के बारे में सूचना चाही जा रही है।

(6) काश्तकार भूमि आवंटन के समय से ही आबाद है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति सवाई माधोपुर में सघन कृषि कार्यक्रम

694. **श्री हरवल्लभ शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सवाईमाधोपुर इस वर्ष सघन कृषि कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम) के अन्तर्गत ली गई है ? यदि हां, तो वर्ष 70-71 में इस कार्यक्रम में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय किये जाने क प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में 328 बिजली की मोटरें किसानों को उपलब्ध कराने का पंचायत सवाई माधोपुर के लिये प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस बात का सर्वे कराया है कि इस समिति में कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण कर दिया गया है ? और उनमें कुओं की संख्या जितनी मोटरें किसानों को उपलब्ध करानी हैं उतनी उपलब्ध है ? यदि हां, तो विद्युतिकृत किन किन गांवों में कुओं की संख्या क्रमशः क्या क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि इस समिति में खिलचीपुर शेरपुर से कुसण्डेरा, शामपुरा की ओर विद्युतीकरण किया जाय तो उक्त धनराशि का पूरा पूरा उपयोग होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो बिजली की मोटरों के लिये प्रावधित राशि का पूरा पूरा उपयोग हो सके इस हेतु कृषि विभाग विद्युत् विभाग से विद्युतिकरण करने को क्या कदम उठा रहा है ?

(4) ऐसे मामलों में कृषि विभाग एवं विद्युत् विभागों के समन्वय हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है ?

राज्य के उद्योगों को दिया गया कर्ज

695. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किन किन छोटे बड़े उद्योगों को कब कब कितना कर्जा व सहायता किन कार्यों के लिये दी गई ? क्या वह धन राशि उन्हीं कार्यों में खर्च की गई है जिनके लिये दी गई थी ?

(2) किस किस उद्योग को बिजली पानी व जमीन आदि रियायती दरों पर दी जाती है ? सूची सदन में पेश करें।

(3) किस किस उद्योग में सरकार के कितने हिस्से हैं और उनकी क्या गारण्टी है ?

(4) सरकारी कर्जों की वापिसी की किश्त किस किस उद्योग में कब से बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार बड़े उद्योगों को अधिक रुपया व अन्य सहूलियत देती है, जब कि छोटे उद्योगों को नहीं देती, यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

गृह निर्माण सहकारी समितियां

696. **श्री महेन्द्र सिंह** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कहां कहां और कब कब से गृह निर्माण सहकारी समितियां

(श्री महेन्द्रसिंह)
हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन समितियों का पंजीयन कब कब हुआ इन समितियों को कहां कहां से कितनी कितनी किस प्रकार की भूमि प्राप्त हुई है और इस भूमि में अब तक किन किन को कितने कितने क्षेत्रफल के किस किस मूल्य पर भू-खण्डों का आवंटन हुआ है ? कृपया नाम पता और विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन समितियों के गठन का तथा संचालन की क्या नियमावली है ? इस नियमावली के अनुसार किन किन समितियों के हिसाब का आडिट या निरीक्षण तथा पदाधिकारियों के चुनाव की कार्यवाही हुई है, और इस कार्य के कारण किन किन समितियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(28-4-71)

लाडनूं स्टेशन से राहुगेट तक सडक निर्माण कार्य

414. **श्री हरजीराम बुडरक** (लाडनूं)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि स्टेशन लाडनूं से राहुगेट लाडनूं सड़क का निर्माण करवाने की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये का स्वीकृति दी गई और उसमें क्या क्या कार्यवाही होना शामिल है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़क के निर्माण का कार्य चालू भी हुआ था ? यदि हां, तो कब और कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नही ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(स्थगित प्रश्न)

(28-4-71)

डकैती अपहरण हत्याएँ एवं आत्म हत्याओं के मामले

507. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1955 से लेकर सन् 1969 तक के वर्षों में राज्य में अब तक कितनी डकैतियां, अपहरण, हत्यायें एवं आत्महत्यायें हुई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस दौरान कितने डाकू दलों का सफाया किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) इस दौरान कितने नए डाकू दल बने ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सन् 1955 से सन् 1969 तक राज्य में कुल 1,205 डकैतियां, 9,243 अपहरण, 6,510 हत्याएं, और 4,273

Page No 53

(गृह मन्त्री)

आत्महत्याओं के मामले हुए। विस्तृत सूचना संलग्न तालिका 'अ' में अंकित है।

(2) इस दौरान 41 डाकु दलों का सफाया किया गया। विस्तृत सूचना संलग्न तालिका 'ब' में दर्ज हैं।

(3) 6 नये डाकु दल बने। विस्तृत विवरण संलग्न तालिका 'स' में दर्ज है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना चूरू

606. **श्री दौलत राम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना चूरू द्वारा 1968-69 एवं 1969-70 में कितना ऋण किसको किस काम के लिये दिया गया और उनके कार्य की क्या प्रगति है?

(2) इस परियोजना में कुल कितनी स्कीमें लघु-उद्योग की स्वीकार की या निदेशक उद्योग राजस्थान को उनकी सिफ़ारिश की गई? कुल कितनी योजनायें परियोजना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई और परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं में क्या ऐसी वस्तुओं की स्कीमें भी हैं जिनके कि निर्माण पर भारत सरकार द्वारा रेस्ट्रिकटेड आइटम्स का रिमार्क दे रखा है?

(3) क्या चूरू और लाडनूं में ग्रामीण औद्योगीकरण के कार्यक्रम में लगाई गई ऊन कताई की मिलों का निजी क्षेत्र में विक्रय किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों? निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(4) क्या निजी क्षेत्र के लिये कोई शर्तें रखी गई हैं? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(5) दोनों मिलों का कुल लागत अनावर्तक और आवर्तक क्या है? पूरे विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(6) किस किस साधन से कितना कितना ऋण मिला और इसकी कब कब किश्त चुकाई गई? हर किश्त कितनी धनराशि की थी?

(7) कितनी अवधि तक इन मिलों का संचालन राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया और उस अवधि में कितना धागा कताई हुआ इससे क्या आमदनी हुई व उस पर क्या व्यय हुआ?

(8) दोनों मिलों की मशीनरी और प्लाण्ट की खरीदें कैसे की गईं अगर टेण्डर द्वारा की गई तो स्वीकृत टेण्डर शर्तों के स्वीकृत आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(9) क्या स्थानीय भेड़ पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु जैसा कि योजना का मूल उद्देश्य था उनसे कच्ची ऊन खरीद की गई? अगर हां, तो कितनी कितनी कब कब व किस भाव से?

(श्री दौलतराम सारण)

(10) क्या टेण्डर द्वारा ख़रीद की गई सभी मशीनें शर्तों के अनुसार सप्लाई हो गई और क्या वे चालू हालत में हैं ?

(11) सप्लाई की गई मशीनों के लिये कितना कितना द्रव्य का भुगतान किया गया ? अपूर्ण मशीनों के लिये दोनों मिलों में कितना व्यय हुआ ?

(12) क्या दोनों मिलों की व्यवस्था हेतु व्यवस्थापक रखे गये ? यदि हां, तो उनकी योग्यता व अनुभव के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावें ।

(13) क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी इन मिलों की जांच के लिये बनी थी ? यदि हां, तो उसने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ।

(14) क्या इन मिलों के लिये आस्ट्रेलियन, मरीना वूल के टोप्स का कोटा मन्जूर हुआ है ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(15) क्या इन मिलों में सारी मशीन और पुर्जे पुराने हैं जिन्हें नया बता कर दे दिया गया है ? और क्या भुगतान अग्रिम किया गया था ? यदि हां, तो कितना ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, श्री हीरा भाई, श्री लक्ष्मण तानीवाल, श्री किशन लाल शाह, श्री राम प्रसाद बोहरा, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री श्रवण लाल सदस्य, विधान सभा ने जिला कोटा की तहसील किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में आदिवासी सहरिया जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के नाम से सहकारी कृषि फ़ार्मिंग सोसायटी का गठन कर हजारों बीघा सरकारी भूमि का आवन्टन किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इसके अतिरिक्त और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा व श्री राम प्रसाद बोहरा, सदस्य, विधान सभा ने पंचायत समिति मनोहरथाना में एक अध्यापक के स्थानान्तरण की सम्भावना के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री विजय सिंह मकराना, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर स्थित आलोक उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यकलाप के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होने के अलावा अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

निम्नांकित पेन्डिंग प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) निर्धारित क़ीमत से कम क़ीमत पर पर खाद्य निगम द्वारा गेहूं की ख़रीद से

(श्री अध्यक्ष)

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री राम प्रसाद बोहरा व श्रीमती शिव कुमारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री राम चन्द्र आर्य व श्री केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा से भी प्राप्त हुई है।

(2) केन्द्रीय कृषि फ़ार्म सूरतगढ़ की लीज की अवधि न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरजी राम बुरड़क, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) ग्राम मेहरी तहसील सरदारशहर के एक हरिजन की हत्या तथा उसके परिवारजनों एवं गवाहों को भयभीत किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। यह मामला सबजुडिस होना बतलाया गया है।

(4) बीकानेर-नापासर मार्ग पर बस दुर्घटना में एक हरिजन की मृत्यु तथा घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(5) नोहर में एक महाजन के मकान में पाखानें की कुई साफ़ करने के सिलसिले में एक हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त सभी स्थगन-स्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने सरदार शहर तहसील के ग्राम देगां में आग लगने से नष्ट हो जाने तथा सरकार द्वारा समुचित सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह वक्तव्य कब होगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अभी इन से तो पहले निपट लें।

श्री विजय सिंह (मकराना) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जयपुर उद्योग के बारे में दिया है तो आपने कहा है कि व्यक्तिगत है इसलिये उसको अस्वीकार किया जाता है लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं...

श्री अध्यक्ष : मैंने जो कह दिया वह कह दिया। व्यवस्था दे दी गई है माननीय सदस्य।

श्री विजय सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री म हड़ताल के बारे म श्री के. एल. जैन ने जयपुर एक्सप्रेस....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ।

श्री विजय सिंह : ....के सम्पादक से उन्होंने एक लाख रुपया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है उस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री विजय सिंह : समाजवाद म इस प्रकार करोड़पति....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गई है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: मैंने जो प्रस्ताव रखा है तो उस क्षेत्र के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : कौन सा स्थगन-प्रस्ताव ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : पंचायत समिति मनोहरथाना म अध्यापक के बारे म....

श्री अध्यक्ष : वह अस्वीकार किया गया है। आर्डर प्लीज़ ! व्यवस्था दे दी गई है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इस सन्दर्भ म मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी । नियमों के अनुकूल नहीं है। स्थान ग्रहण करें। (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर) अंकित न हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने गत सप्ताह शायद एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी जो जयपुर नगर परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव गत 5 माह से नहीं कराने के सिलसिले म था । 6 माह पूर्व भी इसको टाला गया था मध्यावधि चुनाव के बहाने । हालत यह हुई है कि जयपुर शहर म गन्दगी होने का कारण यह भी है। यह प्रश्न दूसरे तरीक़े से यहां इस सदन में आया है। तो राज्य सरकार की तरफ़ से इस बारे में एक स्टेटमेन्ट होजाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं कल ही इस पर व्यवस्था दे दूंगा । यह मैंने जानकारी के लिये भेजा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय अच्छी बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम मेहरी में वह कातिल बन्दूक लिये हुए फिर रहा है। उसके सम्बन्ध म आपने व्यवस्था दी है कि वह सबजुडिस है। मैं नहीं समझता कि वह बन्दूक लिये फिरता है और पुलिस उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करती है। आपने प्रस्ताव को अस्वीकार किया है तो क्या इस प्रकार की गतिविधियों से वहां के लोगों का जन-जीवन ख़तरे में नहीं है? वह फरारी मुल्ज़िम है और क़ातिल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ! व्यवस्था दे दी गई है जिस स्थगन-प्रस्ताव पर उस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था तो आपने दे दी है।

श्री अध्यक्ष : अब फिर क्या देना बाक़ी रह गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की व्यवस्था देंगे साहब तो हम भी मजबूर हैं इस बारे में कहने में।

श्री अध्यक्ष : तो मैं मजबूर हूं आपके कहने को अन्तिम नहीं होने देने के लिये। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। राज्य सरकार को कार्यवाही करना चाहिये। कई लोगों में इस बात का भय फैलता रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करिये। गृह मन्त्रीजी का स्टेटमेन्ट दिलाइये। लोग बड़े आतंकित हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान .... ग्रहण .... करिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके अलावा मेरा एक प्रस्ताव था रेजगारी के बारे में...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह मेरे ध्यान में है। अभी अवशेष है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैंने वित्तमंत्री जी से कहा है इस संबंध में। .. ..

श्री रामचन्द्र आर्य : कहा तो कल दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसी सत्र के अन्दर।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसी सत्र के अन्दर का मतलब है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : — —

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप हठ कर रहे हैं और बार बार करते हैं। यह आपका दुराग्रह है, माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : सूरतगढ़ फार्म के बारे में सरकार ने जो आपको जानकारी दे दी है वह थोड़ी सी बता दें।

श्री अध्यक्ष : वह दे दूंगा आपको।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार भंग होने के सिलसिले में मैंने जो प्रस्ताव की सूचना आपको दी है और मैं यह चाहता हूं कि दोनों प्रस्तावों के संबंध में--एक प्रस्ताव तो अभी इस संबंध में दिया गया है कि 31 मार्च, 1968 के बाद से विजिलेन्स कमीशन की कोई रिपोर्ट इस हाउस में पेश नहीं की गई है जो कि राज्य सरकार को पेश करनी चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में यह मामला आया था और गवर्नमेंट की बाकी की रिपोर्ट के संबंध में मामले आये हैं तो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट तीन साल के पश्चात् अभी तक पेश नहीं की गई है। इसलिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरा मेरा प्रस्ताव इस मामले में है कि जब कि आसन की ओर से कई बार यह व्यवस्था दिये जाने के बाद कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन्स, आर्डर्स, रूल्स हाउस में गवर्नमेंट को पेश किये करना चाहिये । यह बात सही है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मैंने आज ही दी है · · ·

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अभी नहीं आया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक नहीं आया है तो न आये । मैंने उस प्रस्ताव में यह कहा है कि 600 के करीब गवर्नमेंट आर्डर्स, नोटिफिकेशन्स, रूल्स सन् 59 से अब तक पेश नहीं हुए हैं हाउस में जो कि हाउस में आने चाहिये। मैंने यह सवाल पहले भी उठाया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने डिप्टी सेक्रेटरी का एपाइन्टमेंट कर दिया है जो कि यह जांच करेंगे कि डिपार्टमेंट जाकर कि कौन कौन से रूल्स, नोटिफिकेशन्स और आर्डर्स हैं जो कि हाउस में पेश होने चाहिये थे । गवर्नमेंट आफिसर को एपाइन्टमेंट किया था और उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर जांच की कि कितने रूल्स, नोटिफिकेशन्स और आर्डर्स ऐसे हैं जो कि हाउस में पेश होने चाहिये और जो कि आज तक पेश नहीं किये गये । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1959 से लगाकर 71 तक 12 साल में 600 नोटिफिकेशन्स, और आर्डर्स ऐसे हैं जो कि इस हाउस में पेश होने चाहिये थे, लेकिन पेश नहीं हुए । वे सब कम्पाइल किये गये हैं और उनकी रिपोर्ट बन गई है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1959 के रूल्स, आर्डर्स वगैरह अब हाउस में पेश करेंगे तो जान खींचेंगे इसलिये उसको वह कर रहे हैं । 59-60 व 60-61 आदि इस सारे पीरियड के ऐसे रूल्स और नोटिफिकेशन्स हैं जो कि हाउस में पेश होने चाहिये लेकिन आज तक पेश नहीं हुए 12 साल से यह सब कम्पाइल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास 12 बजे आया है और इसको देखा है । अभी मेरी टेबिल पर रखा गया है । मैं निर्णय दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा सीरियस है ।

श्री अध्यक्ष : सीरियस है इसीलिये तो एकदम ले लिया । (श्री देवीदत्त गाड़िया के उठने पर) अब आप क्या · · · ·

श्री देवीदत्त गाडिया : बड़ा मामला गम्भीर है । कोटा जिले की जिन मण्डियों के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । किस संबंध में आप फर्माने जा रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : वहां गेहूं के भाव उत्तरोत्तर गिरते जा रहे हैं । गेहूं के सरकारी भाव 76 के हैं लेकिन वहां गेहूं के भाव 60 के हैं · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर व्यवस्था दे दी गई है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की हजारों बोरियां · · · · · · · · · ·

Page No 59

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन पर व्यवस्था दे दी गई है, आप नियमों को बहुत समझते हैं, चर्चा नहीं होती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : हजारों बोरियां जहां पर रोज आती हैं बारां मंडी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है......

श्री अध्यक्ष : लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि जहां पर हजारों बोरियां रोज आयें और एक एक बोरी पर 5-5, 10-10 को नुकसान होता है और 60 रुपये में खरीदते हैं.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी। (श्री देवीदत्त गाडिया के बोलते रहने पर) अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाडिया।

श्री अध्यक्ष : अब समय हो गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में....

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, के 23 वें और 24 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : रोज करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या करें।

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं पलाना क्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं पलाना कोयला खान (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष, 1966-67 एवं 1967-68 से सम्बन्धित) विषयक राजकीय उपक्रम समिति का 23 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा भी करना चाहता हूं उसके लिये थोड़ा सा समय चाहता हूं

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : रोज इतना करते हैं फिर भी कुछ न कुछ निकलता है।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार। श्री यशवन्त सिंह नाहर प्रस्ताव करेंगे :—

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कोई टाइम फ़िक्स अप हो : डोन्ट एप्रिहैण्ड। आई एम नाट गोइंग टू रेज़ एनी पोइन्ट आफ़ आर्डर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : नो, नो नाट एट आल।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के 13वें प्रतिवेदन को जो दिनांक 14 मार्च, 1971 को उपस्थापित किया गया था उसे विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री भैरोंसिंह : मैं बोलूंगा ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : विचारार्थ पर.......

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के 13 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री भैरोंसिंह : (किशन पोल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के इतिहास में इस प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाला डाक्यूमेन्ट होगा जिसके आधार पर भविष्य में सदन में और सदन के बाहर माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों का एक प्रकार से वर्गीकरण किया जाय । सदन के कई माननीय सदस्यों को सम्भवतः इस प्रतिवेदन को देखने के उपरान्त भी इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रस्ताव क्यों आया है और विशेषाधिकार समिति ने इस पर अपना प्रतिवेदन देने की आवश्यकता क्यों महसूस की है, इस सम्बन्ध में शायद माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं होगी ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध जहां सदन के विशेषाधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है, वहां सदन के माननीय सदस्य के साथ भी उसी प्रकार से सम्बन्ध रखती है । अध्यक्ष महोदय, सन् 1965 में मैंने इस विधान सभा में एक कान्फीडेन्शल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । फोर्टनाइटली रिपोर्ट जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी जाती है, वह रिपोर्ट मैंने इस सदन में प्रस्तुत की थी । उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मंत्री महोदय ने उस वक्त उस रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स के बारे में जो बातें सदन में रखी उनका तो मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने तुरन्त बाद उन्होंने इस सम्बन्ध में पुलिस में एक केस रजिस्टर करवाया आफिशीयल सीक्रेट्स एक्ट के अन्डर मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार आफिशीयल सीक्रेट्स एक्ट के अन्दर कोई केस रजिस्टर करवाये, उसका इन्वेस्टीगेशन हो और जो कोई व्यक्ति दोषी पाया जाये उस पर कानूनी कार्यवाही की जाये । लेकिन जहां तक इस पाक्षिक रिपोर्ट का सम्बन्ध है और मेरे द्वारा उसको प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, उसकी भूमिका जो देखना पड़ेगा कि किस भूमिका के आधार पर यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई थी । यह भूमिका इस लिये बताना चाहता हूं कि क्योंकि प्रिविलेजेज कमेटी ने इस बात में और उस बात में फर्क नहीं माना है कि कोई डाकूमेंट या सामान इस विधान सभा में प्रस्तुत किया जाये, और उस डाकूमेंट या सामान का सम्बन्ध किसी क्रिमिनल केस से हो तो न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि वह सामान या डाकूमेंट न्यायालय को भेज दिया जाये । मैंने कुछ और भी रिपोर्टस देखी हैं जिनमें कमेटीज ने यह भी कहा है कि कोई चोर चोरी करता है और के बाद माल किसी विधायक को देता है और वह विधायक

(श्री भैरों सिंह)
यह सामान विधान सभा में प्रस्तुत करता है, तो वह माल यदि विधान सभा से न्यायालय को नहीं भेजा गया तो न तो जिसकी चोरी हुई है उसको माल मिलेगा और न ही चोर को सजा मिल पायेगी। उसी आधार को मानकर मेरे द्वारा रखे गये डाकुमेंट को भी उसी रूप में समझा गया है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह डाकुमेंट किन परिस्थितियों में रखा गया था, क्यों रखा गया था, उसके प्रस्तुत करने के लिये क्या परिस्थियां थीं और किन परिस्थितियों में मंत्री महोदय ने उस व्यक्ति का चालान करवाया है।

सन् 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ और यह सदन को जानकारी है कि कई व्यक्तियों को डी. आई. आर. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। स्पाइंग एक्टिवीटीज राजस्थान में चल रही थीं और काफी लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। उनकी गिरफ्तारियां के बावजूद भी कुछ एलीमेंट्स ऐसे थे जो एलीमेंटस पाक के स्पाइंग एक्टिवीटीज से सम्बन्धित होते हुए भी सरकार की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। वे लोग सरकार की जानकारी में थे लेकिन सरकार जान बूझकर एक्शन नहीं लेना चाहती थी। अब ऐसे तत्वों के खिलाफ जान बूझ कर एक्शन नहीं लिया जाये तो जनता में प्रतिक्रिया होगी। ऐसे होगी। ऐसे ही प्रश्न उस समय विधान सभा में कई बार उठाये गये और उन प्रश्नों को लेकर मैंने सदन में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया कि आपका गवर्नमेंट प्रेस सुरक्षित नहीं है। यह ध्यान मैंने इस लिये आकर्षित किया था कि गवर्नमेंट प्रेस में कई कान्फीडेंशल डाकुमेंट प्रिंट होते हैं। कई सीक्रेट डाकुमेंट प्रिंट होते हैं और ये सीक्रेट डाकुमेंट किसी अवांछनीय आदमी को न मिल जायें इसके लिये कोई अलग से सेल नहीं था गवर्नमेंट प्रेस में यह प्रश्न मैंने उन दिनों उठाया था जब मुझे स्पष्ट जानकारी हुई थी और मैंने गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेंडेंट श्री शिवहरे के खिलाफ विधान सभा में आरोप लगाये थे। उन आरोपों की जांच हुई, परन्तु जांच के दौरान ही उनका हार्ट फैल हो गया। उसके बाद दूसरे डाईरेकटर साहब आये, उनके खिलाफ भी मैंने प्रमाणों सहित आरोप लगाये उनकी जांच हुई और वे आरोप भी प्रमाणित हुए लेकिन उसके पहले उस अधिकारी का रिटायरमेंट हो गया। तो मैंने सदन के अन्दर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि गवर्नमेंट प्रेस में जबर्दस्त गुटबन्दी है, उस गुटबन्दी के कारण राज्य सरकार की जो सीक्रेट बातें हैं वह बाहर निकलती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं को कटु अनुभव है, आपके स्वयं के पी. ए. तो असेम्बली में हैं, बहुत सुरक्षित। पी. ए. ने राजस्थान सचिवालय में.......

श्री अध्यक्ष : मेरे पी. ए. ? मेरे पी. ए. तो असेम्बली में हैं, बहुत सुरक्षित।

श्री भैरोंसिंह : एक श्री निरंजन नाथ आचार्य हमारे गृह मंत्री थे, भूतपूर्व उप मंत्री गृह वह थे, उस समय उनके पास एक पी. ए. था, कुरेशी। उप मंत्री गृह के पास इस प्रकार का पी ए. रह गया, जिसने सेक्रेटेरियेट में दो तीन व्यक्तियों से सांठ गांठ करके सेक्रेटेरियट से कागज पाकिस्तान को भिजवाये, भिजवाते हुए वह व्यक्ति पकड़ा गया। मुझे इस बात की खुशी है, सरकार ने उस मामले में दिलचस्पी ली, और स्वयं उप मंत्री गृह ने दिलचस्पी ली

(श्री भैरों सिंह)
और उस आदमी को सजा मिली, वह आदमी आज जेल भोग रहा है। इस प्रकार की एक्टिविटिज राजस्थान सचिवालय में चल रही थीं, उस समय मैंने राज्य सरकार को सावधान किया था कि सचिवालय से ही नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट प्रेस से सीक्रेट बातें बाहर जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी, उस गवर्नमेंट प्रेस के तीन चार आदमियों को बिना किसी इन्क्वायरी के गवर्नर महोदय ने डिस्मिस किया था, संविधान के अन्तर्गत उनको इस बात का अधिकार है, एन्टी नेशनल एक्टिविटीज के कारण, एन्टी नेशनल एक्टिविटिज को प्रूव करना मुश्किल है और संविधान में राज्यपाल महोदय को इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है, उसका प्रयोग करते हुए उन तीन चार व्यक्तियों को बरखास्त किया गया था। उस प्रकार की एक्टिविटीज उस समय चल रहीं थीं। उस समय एक रिपोर्ट, का मसला सरकार के सामने रक्खा था। मैंने एक पाक्षिक रिपोर्ट, जो कान्फिडेंसियल होती है, उस पाक्षिक रिपोर्ट को सदन की मेज पर पेश करते हुए राज्य सरकार को सावधान किया था। मैं उस पाक्षिक रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जाना चाहता, ऐसी रिपोर्ट पाकिस्तान में जाती है, जो सीक्रेट डाकूमेंट होते हैं वह पाकिस्तान जाते हैं। इस तरह से राज्य सरकार असावधानी से काम कर रही है उस समय गृह मंत्री श्री मथुरा दास जी माथुर थे श्री मथुरा दास जी माथुर एक इफ्तिकार अली, जो गवर्नमेंट प्रेस में थे, उसके साथ पक्षपात कर रहे थे। मैंने उस समय कहा था, इस व्यक्ति के साथ में यदि पक्षपात करेंगे और इस पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट प्रेस में पाक-एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ेंगी और उससे इस राजस्थान को खतरा पैदा होगा। इसके प्रमाण स्वरूप उस समय जो कान्फिडेंसियल रिपोर्ट निकल रही थी, वह इस सदन में मैंने प्रस्तुत की थी। वह रिपोर्ट कुछ ऐसी है, जो अब कान्फिडेंसियल नहीं रही है, इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों को पढ़ कर बताना चाहता हूं जिससे उनको पता लग जाय.....

श्री अध्यक्ष : हूं नेचर आफ रिपोर्ट कान्फिडेंसियल, यह काफी हो गया।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इसमें आपत्ति नहीं। मैं केवल इसलिए बताना चाहता था क्योंकि उस समय कई माननीय सदस्य नहीं थे। हांलाकि उस समय हमने वह रिपोर्ट इस सदन में पढ़कर सुनाई थी। वह किस प्रकार की रिपोर्ट है, इसके लिये कोई माननीय सदस्य चाहें तो वह रिपोर्ट देख लें। मेरे पास वह रिपोर्ट है.......

श्री केदारनाथ : सब्जेक्ट।

श्री भैरोंसिंह : इण्डो पाक रिलेशन्स एण्ड स्पाई एक्टिविटीज। स्पाई एक्टिविटीज किस प्रकार से चल रही है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी, वह है।

श्री भैरोंसिंह : वही रिपोर्ट जो आपके पास आती थी।

अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट इस सदन की मेज पर पेश की, उस समय गृह मन्त्री श्री मथुरादास जी थे, उनकी मेरे से इस बात की नाराजगी रहती थी कि मैं इफ्तिकार अली के

(श्री भैरों सिंह)

विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने उस समय बताया था, मैं इफ्तिकार अली के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं, भूतपूर्व जो डाइरेक्टर थे, मुझे कहना नहीं चाहिये, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं इस सदन में बोल रहा था और उनके विरुद्ध आरोप के प्रमाण पेश कर रहा था हाउस में, उस समय उस व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया। अध्यक्ष महोदय, मने किसी को बख्सा नहीं है क्योंकि मैं सीक्रेसी बनाये रखने के पक्ष में हूं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है क्योंकि शिवहरे कौन हैं, या इफ्तिकार अली कौन है। लेकिन मन्त्री महोदय ने एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया, उसके कारण से राजस्थान की खबरें पाकिस्तान को मिलती रहीं—इसलिये मैंने उचित समझा, राज्य सरकार को कम से कम इस बात के लिये सजग किया जाय। इस मन्शा से मैंने वह रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की थी। वह रिपोर्ट सदन के सामने आने के बाद इन्होंने देखा कि इफ्तिकार अली के खिलाफ जितना ग्रुप है, उसका किस प्रकार से प्रोसीक्यूट किया जाय, प्रोसीक्यूट करके किस प्रकार से किनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाय इस इरादे से इफ्तिकार अली के विरुद्ध जो लोग हैं, उनको टर्मिनेट किया गया, और उनको गिरफ्तार करने के बारे में झूठी रिपोर्ट दी, और गिरफ्तार करके उनका चालान पेश कर दिया गया। उस स्थिति के अन्दर आप, अध्यक्ष महोदय, अन्दाज लगा कर चलें कि किस प्रकार का मामला है। अब माननीय सदस्य, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे और सदन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट आज स्वीकार होती है उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, यह रिपोर्ट चाहे आप अस्वीकार करते हैं तो उसमें भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन विधान सभा के सदस्यों का प्रिविलेज है, वह विधायक इस विधान सभा के अन्दर कम से कम राष्ट्र से सम्बधित मसले हैं, उनको तो बिना संकोच के इस हाउस में रखें, रिस्क लेकर इस हाउस में रखें और राजस्थान की सरकार को और राजस्थान की जनता को इस बात के लिये सावधान करें कि इस प्रश्न पर सरकार ने कोताई की, तो उसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। तो वैसी रिपोर्ट यहां पर इस सदन में लाकर मैंने प्रस्तुत की। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप मानें, जिस व्यक्ति का चालान करा है, उस व्यक्ति से इस रिपोर्ट का लेना देना नहीं है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह इफ्तिकार अली के खिलाफ था, इसलिए उसको मुकदमें में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया गया और जो गवाह देने को तैयार हुए, उनका छः साल से सस्पेन्शन चल रहा है। एक तरफ वह है, दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का केस मैं सदन के समक्ष लाया, इसलिए मेरे पास एक सम्मन आया, वह सम्मन भी मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़ कर बता दूं.....

श्री शतीशचन्द्र अग्रवाल : कोर्ट से ?

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट से।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, एक सम्मन आता है :

सम्मन - गवाह

सरकार बनाम जुगलकिशोर

मु. नं. 227/68 दफा 381/5(ए) (सी)

Page No 64

(श्री भैरोंसिंह)

बनाम:—श्री भैरोंसिंह शेखावत, एम. एल. ए. जनसंघ, एम. एल. ए. क्वार्टर, जयपुर।

वास्ते शहादत ता० पेशी 4-1-69 को हाजिर अदालत आवें।

मैंने जवाब दिया, वह सम्मन के ऊपरी लिख दिया :

"सम्मन प्राप्त किया। विधान सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की दृष्टि से विधान सभा का कोई सदस्य विधान सभा की अनुमति के बिना विधान सभा में उठाये गये किसी प्रश्न के सम्बन्ध में विधान सभा के बाहर कोई बयान देता है तो विधान सभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का दोषी बनता है। मेरे समक्ष न्यायालय के सम्मन की तामील तथा विधान सभा के विशेषाधिकारों के सम्मान के दोनों प्रश्न उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि यह सम्मन विधान सभा के माध्यम से भिजवाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ताकि मैं विधान सभा के अपमान का दोषी नहीं ठहराया जा सकूं। उपरोक्त मामला मेरे द्वारा विधान सभा में उठाया गया है और इस सम्बन्ध में ही पुलिस मेरा बयान अदालत में कराना चाहती है। पुलिस स्पष्टतः विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रही है"

यह इसलिए लिखा था क्योंकि पुलिस ने चार्ज शीट दी थी, उस चार्ज शीट में गवाहान के नाम, कौन कौन गवाह हैं, उसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ था :

जिस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही किये जाने हेतु विधान सभा को मैं सूचना प्रेषित कर रहा हूं। इस सम्बन्ध का एक मामला विशेषाधिकार समिति को दिया जा चुका है।

यह जवाब 7-2-69 को दिया .....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सम्मुख नहीं आया ? माननीय सदस्य को भी, जिन्होंने यहां सदन के प्रांगण पर कोई स्टेटमेंट दिया, शहादत में पेश किया जा सकता है या नहीं ? यह विशेषाधिकार समिति के सम्मुख प्रश्न आया या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : वह इसलिए नहीं आया, मैंने कोर्ट में यह लिख कर दिया, उसके बाद कोर्ट ने दुबारा सम्मन नहीं भेजा। इसलिए मैटर को प्रेस करने का सवाल नहीं हुआ। अगर ...

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न दो हो गये—एक तो डाकूमेंट पेश किया जाय या नहीं ? दूसरा प्रश्न है, माननीय सदस्य को इजाजत दी जाय या नहीं ? दो हो गये।

श्री भैरोंसिंह : तीसरा और है ....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोर्ट को, अदालत को जरूरत होती है तो विधान सभा को लिख कर भेजते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह है, वह तीसरा प्रश्न क्या रह जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इजाजत लेने का प्रश्न नहीं है, इजाजत नहीं मांग रहे हैं, इजाजत मांगे तब यह प्रश्न खड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष : इजाजत से मेरा मतलब है"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है.. No. member is answerable in a court of law for his speech which he has made on the floor of this House.

श्री अध्यक्ष : इजाजत से मेरा मतलब प्रोसीजर से है । तीसरा क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : एक तरफ सम्मन आया, उसके बाद में कोर्ट ने राजस्थान विधान सभा सचिवालय को लिखा––वह डाकयूमेंट भेज दिये जांय । अध्यक्ष महोदय, और डाकूमेंट तो उस डाकूमेंट को देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती । मैंने इस विधान सभा में एनीमल हजबेन्ड्री का बारह सौ, तेरह सौ का सामान रखा था, वह माल वापिस दिया जाय इसमें आपत्ति नहीं है । मैंने इस सदन में सांगरिया भादरा के गोली काण्ड में जिन लोगों के गोली लगी, उनके खून से भरे कपड़े रखे थे, कारतूस रखे थे, वह दे दियें जांय–इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं उनके सम्बन्ध में प्रोटेक्शन नहीं चाहता हूं, कभी नहीं चाहूंगा, भले ही आप कोई डाकूमेंट जो विधान सभा में पेश किया जाय, उसके लिए नियम बना दीजिये कि वह कोर्ट में नहीं जायेंगे, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्धित मसले हैं, इनकी बहुत कम लोगों को तो जानकारी होगी, जानकारी होगी तो उस स्थिति में भी हाउस को जानकारी देने की बात बहुत परे होती है, जब कि स्वयं मंत्री महोदय ऐसे आदमी को प्रोटेक्शन दे रहे हों, जिसके अन्तर्गत अराष्ट्रीय कार्यवाही चल रही हो । इस सम्बंध में, अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी । उसको मैं सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा ताकि लोगों को यह मालूम हो जाय कि यह कोनकेक्टेड केस नहीं है, यह केस वर्षों से चला आ रहा है, प्रोटेक्शन देने का, मैं मेरी अन्तर आत्मा से फील करता हूं । राजस्थान सरकार के कुछ व्यक्तियों को, किस कारण से, मैं नहीं कहता, भ्रष्टाचार के कारण से––मैं नहीं कहता, पक्षपात के कारण से––मैं नहीं कहता, लेकिन लोगों को एक बहम बन जाता है कि यह आदमी मेरा है । फिर उसके खिलाफ कितनी ही शिकायत करो, लेकिन उसको मंत्री महोदय मानने को तैयार नहीं होते हैं । उस बहम के कारण से अनर्थ हो जाता है, अन्याय हो जाता है और समय पर उसको नहीं रोका जाय तो उससे राजस्थान सरकार को नुकसान होता है । तो मैंने माथुर साहब को चिट्ठी लिखी थी :

> "आपको स्मरण होगा कि विधान सभा के पिछले अधिवेशन में मैंने राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय के कर्मचारियों में कुछ अराष्ट्रीय तत्वों के समावेश होने का जिक्र किया था और उसी सिलसिले में श्री इफ्तिकार अली के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी । आपने यह सारी बातें इफ्तिकार अली के कुछ समर्थकों को बताई उन्होंने आकर वापस मुझे यह सब कुछ कहा –इसका तो मुझे गहरा खेद है कि सरकार के एक मंत्री को उनके विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें गुप्त रूप से बताई जावें वह भी हजम नहीं हो सके–यह सब जानते हुए भी कि अब जो कुछ लिख रहा हूं वह भी गुप्त नहीं रह पायेगा मैं यह पत्र राष्ट्र हित में लिखने का अपना कर्तव्य समझता हूं ।

मैंने माथुर साहब को कई बातें बतलाई थी और कहा था कि आप तुरन्त एक्शन लें । मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जिस वक्त जिन

(श्री भैरों सिंह)

लोगों के खिलाफ बातें बतलाई, उन लोगों ने आकर मुझ से कहा–आपने माथुर साहब को कह दिया, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा, तुम गवर्नमेंट पर, सरकार के ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति हो तो जनता मेरे साथ है, तुमने अराष्ट्रीय कार्यवाही की है, उस पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो सरकार को विवश कर दिया जायगा कि वह एक्शन ले। सरकार ने विवश होकर एक्शन लिया और आखिर तीन आदमियों को गिरफ्तार किया। यह हालत थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जो डाकूमेंट पेश किये, वह इस भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत किये थे कि राजस्थान की सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए इस मामले पर गहराई से चिन्ता के साथ विचार करते हुए कोई इस प्रकार का उपाय किया जाय जिससे दुश्मन को लाभ न मिल सके। अब अगर किसी व्यक्ति ने कागज दिये भी हैं तो वह इस दृष्टि से नहीं दिये कि वह किसी के साथ चोट करना चाहता था, वह इस दृष्टि से भी नहीं दिये कि वह किसी का अपमान करना चाहता था। इस दृष्टि से नहीं दिये कि वह इफ्तिकार अली और माथुर साहब को फंसाना चाहता था। लेकिन जिस किसी व्यक्ति ने वह कागज भेजे, कि उसकी अन्तर आत्मा में आवाज आ रही थी कि गवर्नमेंट प्रेस में अराष्ट्रीय कार्यवाही हो रही है, उसकी रोकथाम करना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को एम्ब्रेस करने की बात नहीं की जाय। वह व्यक्ति पकड़ा गया या नहीं, लेकिन किसी के गले में फंदा डालने की कोशिश की जाय और इसके लिए सम्बन्धित डाकूमेंट को कोर्ट में भेज दिया जाय। तो मेरे जैसा व्यक्ति समझेगा कि किसी ने कोई डाकूमेंट भेजे, सरकार को कहा तो उसको फंसाना चाहेगी सरकार और डाकमेंट के नाम पर आफिसियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा बना कर उसका कोर्ट में चालान पेश कर देगी इस वेधभाण्ड आधार पर माननीय सदस्यों को सारे प्रश्न पर गहराई से विचार करना चाहिए। एक डाकूमेंट इस तरह का था जो डाइरेक्टली किसी केस में इन्वाल्वड था, एक डाकूमेंट ऐसा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न से संबंधित है जिसके बारे में विधान सभा में बार बार मैंने चर्चा उठाई कि गवर्नमेंट प्रेस से डाकूमेंट्स बिक गए हैं। मैंने कहा कान्फीडेन्शिल रिपोर्ट्स बिकती हैं। एक रिपोर्ट पकड़ी गई। सदन चाहे तो दर्जनों रिपोर्ट्स बाजार की रद्दी के अन्दर बिकी हुई बताऊंगा लेकिन चूंकि उनको फंसाना था, एक व्यक्ति को फंसाया। एक आदमी ने कागज निकाले हों, हो नहीं सकता। कितने ही आदमी सक्रिय होंगे, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, जो कमजोर व्यक्ति था, उनको फंसाकर चालान किया। मुझे रिपोर्ट को वोट पर रखने की इच्छा नहीं है। मैं इस परम्परा को मानने वाला हूं कि जितनी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट्स हों बिना डिवीजन के मतविभाजन के पारित की जानी चाहिए लेकिन मेरा प्रोटेस्ट है, इसको मैं रेकार्ड कराना चाहता हूं कि यदि सदन अपने हाथों से हाथ काटने की कार्यवाही करता हो, अपने अधिकारों को परे रखकर कि कोर्ट की एन्क्वायरी के कारण यह कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लाने के कारण अगर अपने अधिकारों को सबोर्डिनेट करने की स्थिति में हैं तो मुझे आपत्ति नहीं। यह राष्ट्र की सुरक्षा का मामला था। जिस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए थी उसको पकड़ा नहीं गया

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन श्रायंदा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी विधान सभा सदस्यों को नहीं देगा। सामूहिक रूप से लोगों के दिमाग में खतरा होगा, चाहे राष्ट्र पर कितनी मुसीबत हो अगर सदस्य को सूचना दी तो विपत्ति श्रा सकती है। यह सदस्यों के विचार पर एन्क्रोचमेंट हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। सदन इस पर गहराई से विचार करे, मैं मत विभाजन के पक्ष में नहीं हूं।

श्री श्रध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य के बोलने के बाद एक प्रश्न श्रौर उभर कर श्राया है। दस्तावेज का तो है ही लेकिन दूसरा प्रश्न, इस संबंध में जो स्पष्टीकरण पहले किया, उसमें शहादत का भी प्रश्न है, तो सदन के सामने प्रश्न रह जाता है क्या इस प्रश्न पर भी शहादत के संबंध में प्रिविलेज है, इस प्रश्न को भी समिति को पुनः रिमांड किया जाना श्रावश्यक होता है, यदि समिति की इस पर राय ली जाए.....

एक माननीय सदस्य : सवाल ही नहीं है।

श्री श्रध्यक्ष : जो दूसरा प्रश्न उभर कर श्राया है, सदन की इस प्रश्न को यहां लेकर उस पर निर्णय ले ले तो डाक्यूमेंट के साथ शहादत का प्रश्न मेरे खयाल से माननीय सदस्य थोड़ा सा प्रकाश डालें कि श्रापने जो पत्र लिखा समन्स का, जानकारी जो श्रदालत को दी, उसके बाद समन्स का क्या हुश्रा ? क्या श्रदालत ने ड्राप कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास श्राफिशियल लैटर कोर्ट का नहीं है। समन्स पर मैंने सब बात लिखी, उसके बाद प्रश्न श्रा गया विधान सभा में कि उस डाक्यूमेंट को पेश किया जाए या नहीं। यह पुलिस की चार्जशीट की नकल मेरे पास है। इस चार्जशीट में गवाहों की सूची में मेरा नाम भी है। अगर यह डाक्यूमेंट जानना है तो श्राप मानकर चलें या तो मुझे प्रोसीक्यूशन की तरफ से पेश होना पड़ेगा या डिफेंस के रूप में इसलिए जाना पड़ेगा कि उस व्यक्ति पर श्रारोप लगाया है कि उसने कागज दिया। मैं हर हालत में कोर्ट में जाने के लिए विवश हो जाऊंगा।

श्री श्रध्यक्ष : जो समन्स श्रापके पास में श्राए हैं, श्रापकी शहादत के संबंध में हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यदि नाम भी नहीं श्रापका चार्जशीट में तब भी गवाह हैं, तो यह प्रश्न सदन के सामने रह जाता है माननीय सदस्य से सम्बन्धित बयान श्रौर डाक्यूमेंट। दो प्रश्न सदन के समक्ष रहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो माननीय सदस्य ने कोर्ट को लिख कर भेजा कि मेरा प्रिविलेज है तो कोर्ट ने मान लिया, दुबारा समन नहीं किया, समन करना होता तो दुबारा लिखकर भेजते।

श्री अध्यक्ष : एक बात माननीय सदस्य को गवाह के रूप में बुला लिया समन्स के द्वारा तो सदन यही काग्नीजेंस लेगा कि दुबारा भी उनको बुलाया जा सकता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सवाल यह है कि ही इज इन दी लिस्ट श्राफ विटनेसेज उसके श्रन्दर इनका नाम है। श्रापके पास समन श्राया, सदन को लिखकर भेज दिया कि यह डाक्यूमेंट कोर्ट को ....

श्री अध्यक्ष : इसलिए इस बात को जोड़ें..

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है-श्री भैरोंसिंह शेखावत एम. एल. ए. क्वार्टर्स, आगे लिखा है, जो विधान सभा में पेश किया गया है खुद के पास जरिए डाक आना कहें। क्या बयान दूंगा कि डाक से आया है ?

श्री अध्यक्ष : क्या निर्णय लिया जाए ? मेरे खयाल से माननीय सदस्य ने जो कुछ प्रकाश डाला है, उस संदर्भ में इसको जैसे माननीय सदस्य ने परम्पराओं"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिए एक ही इलाज हो सकता है क्योंकि मेरी अपनी स्वयं की मान्यता यह है कि कोई भी सदस्य इस सदन में जो भाषण देता है, उसके लिए किसी भी कोर्ट आफ ला में वह असरबुल नहीं है। अगर आप चाहें, इस संबंध में कमेटी आफ प्रिविलेजिज की रिपोर्ट है जो 6 दिसम्बर 1968 को राज्य सभा में पेश की गई। वहां इस तरीके का मामला था और उस मामले में लिखा है :

"The Home Minister's case is that it concerned a case of theft under section 380 IPC and section 5 of the Official Secrets Act registered on March 29, 1968 to the effect that a sheet of the Punjab Appropriation Bill No. 9 which bore the scored off signatures of the Punjab Governor had been stolen from the office of the Legal Ramembrancer, Punjab and had been made over to some unauthorised individuals. Since Shri Bhupesh Gupta had produced a photostat copy of this in the Rajya Sabha on March 26, 1968 the police officer had been deputed to request Shri Gupta to had over the original sheet "Which was reported to be in his possession as it was wanted in a cognisable case.

The legal provisions and the preceded above except the Australian case where the decision seems to have been taken on a pariy vote-clearly establish that it would be impeding a Member of Parliament in the discharge of his duties as such Member if he is to be questioned in any place outside Parliament for a disclosure that he may make in Parliament. The right of a Member of Parliament to function freely and without fear or favour is in India, as in the U. K. a Constitutional guarantee. This guarantee is subject only to the rules of the House and ultimately to the disciplinary jurisidiction of the House itself."

मेरा निवेदन है कि सारी स्थिति में आपको स्मरण होगा, कोर्ट ने लोक सभा के कुछ सदस्यों को, सुप्रीम कोर्ट ने समन्स जारी किये थे जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा- इग्नोर दीज समन्स, डू नाट गो टु सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा निवेदन है कि वैसे तो यह भी प्रश्न गंभीर है कि पुलिस सदन में कही हुई किसी बात के सिलसिले में किसी सदस्य का नाम गवाहों की सूची में रखे, इट इज ब्रीच आफ प्रिविलेज इन इट सेल्फ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से क्वेश्चन है

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची में नाम आ गया तो प्रोसीक्यूशन विटनेस बन गया।

मानो प्रोसीक्यूशन उसको पेश नहीं करता है तो डिफेंस की तरफ से सवाल खड़ा होता है, काम्पलीकेशन्स पैदा होती हैं तो सारे प्रश्न पर विचार करने के लिए इसको विशेषाधिकार समिति को भेजना चाहिए।

श्री मदनसिंह : मैं प्रिविलेजिज के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। अगर इस पर बहुत सीरियसली विचार नहीं किया गया तो कई बार हम अधिकारियों पर चार्ज लगाते हैं। अगर एक सदस्य का काल होगा तो अधिकारियों को राइट होगा कि समन करके बुला लें, इसलिए कि हम विधान सभा में बोलते हैं। तो यह सीरियस मेटर है, नहीं तो हरेक अधिकारी हमको कोर्ट में बुलवा लेगा जिसके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : इस प्रश्न पर पहले विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आई थी और रिमांड हुआ था और नया जो सवाल है उसको चाहे दुबारा विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए लेकिन डोक्यूमेंट वाले मामले को नहीं भेजना चाहिए, उसको तय कर दिया जाए, वह कई सालों से केस कोर्ट में पैंडिग है। मुलजिम के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, पांच साल से सस्पेंशन में है। डोक्यूमेंट को नहीं भेजा गया तो एक साल और सस्पेंशन में रहेगा। या तो तय करलें कि प्रिविलेज का डाक्यूमेंट है। भेजना है तो भेज दें ताकि उसका फंदा मिटे।

माननीय सदस्य को यदि दुबारा बुलायें तो विशेषाधिकार समिति में भेज दें।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) : सब से बड़ा प्रश्न आज यह उत्पन्न होता है कि सदन के माननीय सदस्य को न्यायालय द्वारा सम्मन इश्यू कर दिया परम्पराओं और संविधान के अनुसार ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है या नहीं? व्यवस्था देने से पूर्व यह कहीं प्रिमेच्योर तो नहीं है यह देखने की बात है। जो मौजूदा सूरत में परिस्थिति आ रही है वह यह है कि माननीय सदस्य को न्यायालय से सम्मन इश्यू हुआ और माननीय सदस्य ने समझा कि न्यायालय द्वारा··

श्री भैरोंसिंह : सम्मन इश्यू करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

श्री दुर्गालाल बाढदार : एक डिस्प्यूट जब पैदा हुआ "पावर टू दी ज्युडिशियरी" तो इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये। मैं स्वयं इस बात के पक्ष में हूं कि माननीय सदस्यों के जो प्रिविलेजेज हैं उन पर किसी प्रकार का आघात चाहे ज्युडिशियरी से हो और कोई हो, वह नहीं होना चाहिये। रिमान्ड करने का जो सवाल उत्पन्न हो रहा है यदि माननीय सदस्य को दुबारा न्यायालय सम्मन इश्यू करता है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज कमिट करता है। प्रिपोजिशन करके चलना··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न अभी नहीं है। अभी प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल नहीं है तो उसको रिमांड करने का सवाल पैदा नहीं होगा। या तो यह कह दीजिये। सदन का कोई भी माननीय

(श्री दुर्गालाल बादवार)

सदस्य किसी न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में जब तक अध्यक्ष महोदय··

श्री भैरोंसिंह : हाउस के बाहर चोरी करता है तो पुलिस उसके हथकड़ी डालेगी।

श्री यशवन्तसिंह : सदस्य हो या कोई हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

For anything said in House, member is not answerable in the court of law.

श्री दुर्गालाल बादवार :

That is apparent.

श्री अध्यक्ष । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। इस सम्बन्ध में हमारे अधिकार क्या हैं? अगर न्यायालय में जस्टिस के ऊपर छोड़ें··

श्री अध्यक्ष : सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि किस ढंग से वापिस आया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विशेषाधिकार केवल इतना सा है कि सदन की परमीशन से न्यायालय जाय। यह नहीं है कि एविडेन्स के लिये नहीं बुलाया जा सकता है। विशेषाधिकार के दो तरीके हैं 160 और 162। रिपोर्ट, डोक्यूमेंट और दूसरा अमीन साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट यहां हुई है। उस रिपोर्ट में हमने निर्णय दिया है। समिति का ज्यूरिस्डिक्शन तब ही होता है 160। 162, वह अधिकार हमें नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष :

160 is regarding the made of raising a question of privilege.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : या तो विधान सभा भेजे या अध्यक्ष महोदय भेजें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उन विचारों के संदर्भ में सदन ने एक बात पर तो सहमति प्रकट की कि जो रिपोर्ट विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत सदन में होती है वह परम्पराओं के आधार पर होती है। विश्लेषणात्मक न हो। यह पहले भी हुआ है। इसके अतिरिक्त सारे प्रश्न पर सहमति भी होनी चाहिये अभिव्यक्ति भी होनी चाहिये। माननीय भैरोंसिंह ने एक प्रश्न और विचारों को व्यक्त करते हुए उठाया और वह उनकी शहादत से सम्बन्धित या इस डाक्युमेंट से ताल्लुक था। यह परम्परा रही है कि सदन के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में जो निर्णय ले वह एक मत से हो। यह परम्परा रही है। माननीय सदस्य द्वारा जानकारी सदन को दी गई। डाक्युमेंट प्रस्तुत करना एक प्रश्न रहा और दूसरा यह कि उस डाक्युमेंट से सम्बन्धित माननीय सदस्य की गवाही। वह भी सदन की अनुमति से अथवा वगैर अनुमति से दी जाना उचित है या नहीं। ये दो प्रश्न इस सम्बन्ध में रह जाते हैं जो प्रिविलेजेज हैं। अदालत में कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है अदालत में डाक्युमेंट न पेश करने से। हम उन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के विशेषाधिकारों का है इसलिये जो मान्यतायें हैं यहां सदन में व्यक्त की गयी हैं इस सम्बन्ध में और इस प्रश्न पर निर्णय ले लिया जाने का अर्थ

(श्री अध्यक्ष)

यह है कि सदा के लिये सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय, यह प्रश्न इसके साथ नत्थी होगा। मैं यह चाहूंगा यदि सदन की सहमति हो, डाक्युमेंट का प्रश्न तो है ही, डाक्युमेंट के साथ यह प्रश्न और जुड़ गया है। अलग अलग निर्णय लेना भी उचित नहीं होगा। इसलिये सारे प्रश्न को माननीय श्री भैरोंसिंह जी के विचार और गवाहों के सम्बन्ध में जो विचार अदालत ने व्यक्त किये हैं उन सारे तथ्यों के सन्दर्भ में एक बार समिति को रिमान्ड किया जाना चाहिये। मेरा ख्याल है सदन इससे सहमति प्रकट करता है।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर विशेषाधिकार समिति का 16 वां एवं 17 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के 16 वें और 17 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : 16 वां और सत्रहवें प्रतिवेदनों पर दो तीन माननीय सदस्यों के विचार व्यक्त करने का था। मा. श्री नत्थीसिंह और मा. श्री रामकिशन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नत्थीसिंहजी के लड़के की शादी है। दोनों ही साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष : इसलिये डेफर करता हूं।

सरकारी संकल्प पर विचार।

स्वास्थ्य मंत्री।

सरकारी संकल्प पर विचार

श्रीमती सुमित्रा (जन-स्वास्थ्य राज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूं :—

"यतः राजस्थान राज्य विधान मण्डल को यह वांछनीय प्रतीत हुआ है कि जलप्रदूषण निवारण, जल की स्वास्थ्य-प्रदत्ता के अनुरक्षण और पुनः स्थापन सम्बन्धी मामले, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना, ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित और अन्य परिणामिक और अनुसंगी विषय, जो भारत के संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 17 के विषय क्षेत्र में आते हैं और जिनके बारे में संसद को उसके अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबन्धित द्वारा विनियमित किये जाने चाहिये।

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राजस्थान राज्य विधान मण्डल एतद् संकल्प करता है कि पूर्वोक्त विषय संसद द्वारा इस राज्य में विधि द्वारा विनिमित किये जायें।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान की सरकार इस प्रकार का कानून क्यों नहीं बनाती और यह अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही क्यों देना चाहती है अगर वाटर काल्यूसन की प्राब्लम इस स्टेट में है जो कि है और यहां पर भी ऐसा नहीं है कि नदी और नालों में पानी नहीं मिलता हो····

श्रीमती सुमित्रा : आगे कहने का मौक़ा ही कहां दिया। मैं आगे भी तो कुछ कह रही हूं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कहिये हम तो सुनने को ही बैठे हैं बाक़ी क्या रखा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी बोलने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपको मुझसे क्यों रश्क हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प प्रस्तुत करने का जहां तक सम्बन्ध है यह अपने आप में ही सैल्फ़ कन्टेण्ड है यदि किसी ने ध्यान से सुना हो क्योंकि जल और जल के साथ में पब्लिक हैल्थ, स्वास्थ्य ये सब विषय राज्य की लिस्ट में हैं इसलिये पार्लियामेन्ट कभी भी इस तरह का एक्ट नहीं बना सकती है इसलिये और क्योंकि वाटर काल्लूजन कोई एक ही स्टेट से सम्बन्धित नहीं है, जितने हमारे जल श्रोत और नदियां हैं वे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, यदि एक स्टेट किसी तरह का वाटर काल्युज़न बना ले तो दूसरी स्टेट क्या करे इसलिये सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक यूनीफ़ार्मिटी ला की होनी चाहिये। वाटर काल्यूज़न का जहां तक सवाल है इसकी इसलिये आवश्यकता पड़ी है कि यह सदन इस सम्बन्ध में यह संकल्प पारित करके भारत सरकार को और लोकसभा को भेजे। लोक सभा में अभी कुछ दिनों पूर्व और राज्य सभा म यह वाटर काल्यूजन एक्ट रखा गया था लेकिन उसे एक ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया और अभी पूर्व में भी 6-7 राज्यों ने जिसमें आसाम, गुजरात, हरियाना, केरल, मैसूर और यूनियन टैरीटरीज आती हैं, इन स्टेट्स ने इस संबंध में लोक सभा को एम्पावर किया है इस तरह का बिल बनाने के लिये लेकिन बाकी की स्टेट्स ने इस संबंध में अपने कोई आब्जर्वेशन नहीं भेजे हैं। तो ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी ने भी सारी स्टेट्स से मांगा है इसलिये इस संकल्प को यहां पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझ गये होंगे। यह वाटर काल्यूजन का एक्ट जहां तक बनाने का सवाल है.......

श्री अध्यक्ष (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत से): सदन के बिजनेस से कन्सर्न्ड हैं?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : जी हां, आगे मोशन रखने वाली हूं इसलिये स्टेडी कर रही हूं श्री अध्यक्षः--

श्री अध्यक्ष : This is not the placed of Study

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या बैठे बैठे बोल रही हैं और बैठे बैठे उत्तर दिया है यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : Not within rules.

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्ष जी सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि जैसे जैसे औद्योगीकरण बढ़ता है और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है और जैसे शहरीकरण बढ़ता है वैसे वैसे वाटर कंजम्पशन होता रहता है। अभी राजस्थान में और सब जगह तो आवश्यकता महसूस नहीं हुई लेकिन ख़ास तौर से कोटा के

Page No 73

(श्रीमती सुमित्रा)

अन्दर मास्टर वाटर पोल्यूजन की प्राब्लम है और इसको पिछली बार भी कुछ माननीय सदस्यों ने रखा था कि वहां पर वाटर पाल्यूशन हो रहा है जो इन्सान के स्वास्थ्य के लिये ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के लिये और एनीमल्स के लिये भी नुकसानदायक है इसलिए इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी है। इसलिये जैसा मैंने कहा कि सम्पूर्ण भारत वर्ष में यूनीफ़ार्मिटी होनी चाहिये इसलिये मैं माननीय सदस्यों से इस बात का निवेदन करूंगी कि इस संकल्प को पारित करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा एक ही निवेदन है कि संविधान के आर्टीकल 249 के अधीन इस तरह का कौन्सिल आफ़ स्टेट्स का रेज्योल्यूशन है या नहीं क्योंकि आपने उसका रेफ़रेन्स दिया है····

श्रीमती सुमित्रा : 249 और 250 में तो इमरजेन्सी है·······

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपने पढ़ा नहीं है। 250 में तो इमरजेन्सी है और आर्टीकल 249 में कौन्सिल आफ़ स्टेट्स के आधार पर पार्लियामेन्ट ला बना सकती है लेकिन उसका एक टेम्पोरेरी पीरियड होगा एक वर्ष के लिये। इस तरह का

1.48 म. प.

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कोई रेज्योल्यूशन नहीं है क्या ? फिर मान लें कि ऐसी भी कोई स्टेट हो सकती है जो नहीं बनाये इसलिये····

श्रीमती सुमित्रा : आर्टीकल 252 में यह है कि जहां दो अथवा दो से अधिक स्टेट·····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कौन्सिल आफ़ स्टेट्स का कोई रेज्योल्यूशन है अथवा नहीं यह बतायें ?

श्रीमती सुमित्रा : जरूर, हम अनुभव करते हैं कि आना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय,·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर के पानी में कीड़े आते हैं ये इसमें कवर होंगे या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : नहीं, नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वाटर पोल्यूशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में क़ानून बनाने का अधिकार है देने के सम्बन्ध में यह मोशन इस विधान सभा के सामने आया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके मेरिट्स पर मैं जाऊं उसके पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रारम्भ से ही राज्य सरकार के सामने यह स्थिति थी कि जैसे जैसे प्रदेश के अन्दर औद्योगिक विकास होता चला जा रहा है, कारखाने बनते चले आ रहे हैं उनके गन्दे पानी के कारण, उनके डिस्चार्ज के कारण जो हमारे पानी के स्रोत हैं चाहे वे नाले हों, नदियां हों उनका पानी धीरे धीरे पाइज़नस और हार्मफ़ुल होता चला जा रहा है और जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न राज्य सरकार की जानकारी में लाया गया राज्य सरकार हमेशा यह कहती रही कि इसके

Page No 74

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

सम्बन्ध में शीघ्र ही एक कानून बनाने को जा रही है। मैं आज राज्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में हम केन्द्रीय सरकार को अधिकार दें कानून बनाने का स्वयं राज्य सरकार ने भी अपने विधि विभाग से इसकी जांच कराई या नहीं कि हमारी स्वयं राज्य सरकार और विधान सभा इस सम्बन्ध में क़ानून बनाने में सक्षम हैं ? और मेरी मान्यता है कि राज्य सरकार को इस प्रकार के पूरे अधिकार हैं कि वह एक ऐसा क़ानून बनाये कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से हमारे पानी के श्रोतों को जिसका उपयोग चाहे सिंचाई में होता हो या पीने में होता हो उनके इस प्रकार के कान्टूजन के कारण वह पानी हानिकारक होता है तो उसके लिये उसको दण्ड दिया जाये। ऐसा क़ानून बनाने का अधिकार राजस्थान की विधान सभा को है। लेकिन दुःख यह है कि राजस्थान की सरकार एवं इस प्रकार के प्रश्नों पर इनीशियेटिव नहीं लेना चाहती और इनीशियेटिव नहीं लेने का कारण मैं यह मान कर चलता हूं कि यह नहीं है कि राज्य सरकार किस प्रकार से इन प्रश्नों के ऊपर कभी विधि विभाग से जानकारी लेने के कारण मजबूर हो गयी है बल्कि मेरा राजस्थान की सरकार पर यह स्पष्ट चार्ज है कि कोटा की डी. सी. एम. फैक्ट्री के सवाल को लेकर जिसका एक यूनिट जिसको एस. पी. सी. आई. कहते हैं जो कास्टिक सोचा सोडा का निर्माण करती है उपाध्यक्ष महोदय, उसके द्वारा जो एक वेस्ट वाटर होता है जिसे डिस्चार्ज वाटर कहते हैं वह इतना जहरीला पानी होता है कि उसके आस पास खड़े होना तो मुश्किल है बल्कि वह पानी जहां जहां होकर जाता है उसको जहरीला बनाता हुआ चला जाता है। इस डी. सी. एम. कारखाने को लेकर और इस डिस्चार्ज वाटर को लेकर सन् 64 से लेकर अनेक बार इस विधान सभा में मैंने प्रश्न उठाये हैं और हमेशा ही राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का उत्तर दिया गया कि राज्य सरकार इसके प्रति सजग है और उनको बाध्य कर रही है कि वह इस वाटर को डाइल्यूट करें लेकिन नतीजा यह हुआ कि आरम्भ से लेकर आज तक यह कन्टेड वाटर से सैकड़ों और हजारों मवेशी जाते हैं वे इस वाटर को पीकर मर जाते हैं, उनकी आतें कट जाती हैं और मवेशी वहीं का वहीं मर जाता है; उसके पश्चात् जितनी खेतीबाड़ी थी और जो वहां एक नाला चलता था जिसे कंसों का नाला कहते हैं और जिससे हां के खेती करने वाले लोग थे वे सब्जी को, फलों को हमेशा पानी देते आते थे और इस पानी के कारण उनकी सारी खेती समाप्त होती चली गयी और इस पानी के कारण उनकी सारी खेती समाप्त होती चली गई। इतना ही नहीं बल्कि जो कुए थे गांव के आस पास उनका पानी भी जहरीला हो गया है। इस नाले के आस-पास कम से कम 25/30 गांव हैं और कम से कम चार मील दौड़ता हुआ यह नाला चम्बल नदी में गिरता है। इस गन्दे नाले के कारण इन कुओं का पानी जहरीला हो गया, इस प्रकार कुए खत्म हो गये खेतीवाड़ी खत्म हो गई। राज्य सरकार का डी. सी. एम. कन्सर्न के साथ मेलीसस सम्बन्ध है और इस राज्य सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। सरकार बार बार हमें यहां पर सान्त्वना देती रही है और उधर उद्योगपति के

Page No 75

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

साथ मिल कर इस प्रकार प्रयास करती है कि मामला आगे टलता रहे। राज्य सरकार ने इसके लिये आज तक कोई क़ानून नहीं बनाया है, यह स्थिति है। आज इन नदी नालों के अन्दर शहरों की गन्दी नालियों का पानी आता है, जो ड्रेनेज हैं उसका पानी आता है। यही समस्या आज दिल्ली में है, यही समस्या आज जयपुर में चल रही है लेकिन आज तक इसके हल के लिये राज्य सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाया है। इसलिये मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि वह उसके लिये इनिशियेटिव ले। यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये इनिशियेटिव लिया है लेकिन राज्य सरकार क्यों इसके लिये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी, राज्य की बेहूबूदी के लिये, जनता की अच्छाई के लिये ताकि जनता को अच्छा पानी मिल सके और जो पानी गन्दा है, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और जो गन्दे पानी को नाले में छोड़ने का अपराध करता है उसको दन्डित करने के लिये समुचित क़ानून बनावे। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गडिया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गन्दे नाले के गन्दे पानी के कारण कोटा के निकट जितने भी 25/30 गांव हैं, उस गांव के रहने वाले ग़रीब किसान जिनकी कि मवेशी उस गन्दे नाले का पानी पीने के कारण मरती है लेकिन साथ ही साथ इन गांवों के कुओं का पानी भी विषैला बन गया है। एक ओर तो चम्बल नहर के कारण इस क्षेत्र में वाटर लागिंग इतना बढ गया है और इस वाटर लागिंग के साथ साथ इस गन्दे नाले के पानी ने पीने के कुओं के पानी के अन्दर प्रवेश कर लिया है और इसके कारण जितने भी जहरीले कीटाणु हैं उनने इन कुओं में प्रवेश कर लिया है और उनके प्रवेश हो जाने के कारण गांवों के गरीब किसान, मजदूर जो पीने का पानी इन कुओं से लेते हैं और इन कुओं का पानी पीने के कारण वे बीमार होते हैं और इससे उनकी बीमारी इतनी अधिक बढ़ती है कि उपाध्यक्ष महोदय जो अपने जीवन को एक लम्बे समय तक बिताना चाहते थे, इस बीमारी के कारण, इस गन्दे नाले के कारण वे मौत मरते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार का एक कन्सर्न, एक उद्योगपति के कारण इस इलाक़े के हजारों किसानों की जिन्दगी मौत में परिवर्तित हो रही है और हमारी यह राज्य सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है, जो ग़रीबों के जनजीवन को ऊंचा उठाना चाहती है उनकी ग़रीबी को मिटाना चाहती है. उस राज्य सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास इसकी एक लम्बे समय से रिपोर्ट है, इस राज्य सरकार के पास जलदाय विभाग ने रिपोर्ट की है और यदि उस विभाग ने रिपोर्ट नहीं की है तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक इस सरकार ने उस क्षेत्र के गांवों के किसान के लिये जो इन कुओं का पानी पीते हैं, उन कुओं के पानी की जांच क्यों नहीं करवाई है। यदि इस प्रकार की कोई जांच की जाती है तो यह निश्चित है कि उस पानी के अन्दर जहरीले कीटाणु हैं जिसको पीने के कारण बीमारी पैदा होती है।

Page No 76

(श्री देवीदत्त गाडिया)

उपाध्यक्ष महोदय न तो जन स्वास्थ्य विभाग ने ही इस ओर ध्यान दिया है और न स्वास्थ्य विभाग ने ही इस ओर ध्यान दिया है और न जलदाय विभाग ने ही ध्यान दिया है जब कि इस प्रश्न को बार बार इस सदन में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, कोटा जिले के अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया है और राज्य सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया है। यह सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है ऐसी सरकार का क्या अधिकार है कि वह एक डी. सी. एम. कन्सर्न को, एक उद्योगपति के कारखाने के चलने के कारण उस जिले के, उस क्षेत्र के गरीब किसानों की जिन्दगी को न्योछावर कर दें। क्या यही लोकतन्त्र है, यही समाजवाद है। सरकार इस गन्दे नाले के पानी को रोकने में असफल रही है। किसानों के खेतों, कुओं में गन्दे नाले के कीटाणु प्रवेश करते हैं और सरकार इस गन्दे नाले को रोक नहीं पाती है तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस कारखाने को बन्द क्यों नहीं कर देती है। यदि यह सरकार इस कारखाने को चलाना चाहती है तो यह भी सरकार की जिम्मेदारी है और यह इस उद्योगपति की जिम्मेदारी है कि इस कारखाने को चलाने के पहिले इस गन्दे नाले के पानी को किसी दूसरी दिशा में मोड़ दें जिसके कारण उस इलाके की मवेशी मर रही है। इस मंहगाई के युग में गरीब किसान खेती पर जी तोड़ मेहनत करता है। आज एक बैल की कीमत एक हजार रुपया है। एक बैल जोड़ी ढाई हजार रुपये तक की होती है और उसकी वह बैल जोड़ी प्यासी मरती है। वह प्यासी होने के कारण नाले में मुंह देती है और मुंह देती ही मर जाती है। इस प्रकार उस किसान की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और इस निकम्मी सरकार ने आज तक इसकी जांच नहीं करवाई है। चाहिये तो यह था कि इस गन्दे नाले का पानी पीने के कारण जितनी भी मवेशी मरी है उसका मुआवजा इस उद्योगपति से दिलाया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, कानून इस बात का बना है लेकिन गरीब किसान अदालत में नहीं जा सकता और इस कारण उद्योगपति का हौसला बढ़ा हुआ है। यदि गरीब किसान अदालत का दरवाजा खटखटाता है और उद्योगपति पर दावा करता तो निश्चित रूप से उसको मुआवजा मिलता। लेकिन गरीब किसान अनपढ़ है, बेरोजगार है और इस कारण से वह दिन भर खेत पर काम करता रहता है और कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस प्रकार से जो उसकी मवेशी मरी है उसके लिये उसे मुआवजा दिलाया जाये। मैं पूछना चाहूंगा कि कि क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी। आज तक गन्दे नाले का पानी पीने के कारण हजारों मवेशी मरी हैं। किस किस किसान की मरी है, गाय, बैल, भैंस इस प्रकार की जितनी भी मवेशी मरी है, उनका मुआवजा दिलाया जाये। गन्दे नाले के कारण पीने के पानी के कुओं में जहरीले कीटाणु प्रवेश करते हैं अगर इसके कारण किसान बीमार होता है, मरता है और इससे उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवायेगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इसका जवाब सरकार से चाहूंगा। क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी कि इस नाले के आस पास के जो 25।30 गांव हैं, उन गांवों के अन्दर कितने पीने के पानी के कुए हैं और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उन कुओं के पानी में इस गन्दे नाले के पानी का कितना असर है और इसके कारण किस किस प्रकार की बिमारियां पैदा हुई हैं और उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करना चाहती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह राज्य सरकार जनता को गुमराह करने के लिये, समाजवाद का नारा जो लगाती है और जनता को इस प्रकार से गुमराह कर के वोट प्राप्त करती है। गरीबी मिटाना और जनता का स्तर ऊंचा उठाना है इस प्रकार का नारा लगाती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय अधिक न कहते हुए मैं यह कहूंगा कि यह प्रश्न गम्भीर है और आम लोगों, किसानों, मजदूरों के जन-जीवन पर सीधा असर डालता है। यदि सरकार इस गन्दे नाले के पानी को रोकने में सक्षम नहीं है तो वह क्यों नहीं डी. एम. सी. के कारखाने को बन्द कर दे। आज इस उद्योगपति को इस कारखाने से करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है, तो क्यों नहीं सरकार उसको इसके लिये पाबन्द करे क्योंकि इस गन्दे नाले के पानी को रोकने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ मुख्यतः उसकी है। यदि सरकार उससे पैसा न लगा सके तो सरकार अपना पैसा लगा कर इस गन्दे नाले के पानी को रोके। जब जब भी इस सदन में इस सम्बन्ध में प्रश्न रखा गया सरकार ने डी. सी. एम. कन्सर्न का समर्थन करते हुए इस सम्बन्ध में टालमटोल के उत्तर दिये हैं। मैं मन्त्री महोदया आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी एक किसान की बेटी हैं। आपको तो इसके बारे में ज्यादा ध्यान होना चाहिये कि अगर किसी किसान का बैल मर जाता है, उसकी मवेशी मर जाती है तो उस पर क्या बीतती है? उसकी मवेशी के मर जाने से उसकी स्थिति पर कैसा असर पड़ता है यह आप सोचें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे मैंने इस संकल्प के बारे में उठाये हैं उस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी, वह आगे राज्य सरकार की क्या मरजी है वह मन्त्री महोदय इस सदन में स्पष्ट कर दें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में कुछ निवेदन है। मैं इस संकल्प के विषय में मन्त्री महोदया का ध्यान आपके मार्फत इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो संकल्प मन्त्री महोदया ने जिस भावना से आज इस सदन में प्रस्तुत किया है उसकी तो प्रशंसा करना चाहता हूं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का क़ानून बनाने का हक सिर्फ भारत सरकार को ही है या राज्य सरकार भी अपने आप में सक्षम नहीं है कि इस प्रकार का क़ानून अपने राज्य के लिये बना ले। और यह मसला भारत सरकार को इन्टर स्टेट का मसला बता कर इस पर मौन हो जाये यह उचित नहीं है। अन्य राज्यों ने भी अपने यहां पर इस सम्बन्ध में क़ानून इस प्रकार के बनाये होंगे। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह इस बारे में अपने सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं कि

Page No 78

(श्री दुर्गालाल वाढदार)

गांवों का फ़ैक्ट्रीज की वजह से पानी खराब हो गया है, पानी दूषित हो गया है इस प्रश्न को लेकर इस सदन में अब तक कई बार चर्चायें हुई हैं पर मुझे बड़े खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस प्रकार की समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकला है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये पब्लिक न्यूसेन्स नहीं हैं। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है जो कि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली में विश्वास रखता है उस को चाहिये कि इन सारे प्रश्नों पर विचार करे और इसका हल निकाले। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार को कोई ऐसा कानून बनाने का वैधानिक अधिकार या राज्य सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई संकेत इस बारे में नहीं है कि राज्य सरकार अपने राज्य में इस तरह का क़ानून बनाने में सक्षम हो। आज तो ये इन्टर-स्टेट का मामला हो गया है तो शायद आगे इसको इन्टरनेशनल मामला भी बना देंगे। जैसे हमारे राजस्थान में चम्बल नदी है वह हिन्द महासागर में जाकर गिरती है। हिन्द महासागर आगे जाकर अरेबियन सी से मिल जाती है तो फिर ऐसी अवस्था में वह सवाल इसी तरह इन्टरस्टेट का न होकर इन्टर नेशनल सवाल हो जाता है। तो फिर इस प्रकार हम चम्बल नदी के पानी पर भी विचार नहीं कर सकते हैं। हमारी राज्य सरकार इन्हीं प्रश्नों पर विचार करती है कि हमारे अधिकार में है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ये सवाल संकल्प का नहीं, पर प्रश्न यह है कि इसका विरोध करने का कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में संकल्प को केन्द्रीय सरकार के पास भेजकर उसका ध्यान आकर्षित करे। न कि संकल्प भेजने के बाद मौन हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को बड़े पुरज़ोर शब्द से इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पब्लिक न्यूसेन्स को समाप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठायें जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज सवाल कोटा की डी. सी. एम. इन्डस्ट्री का ही नहीं है बल्कि और भी जहां जहां इस प्रकार की फ़ैक्ट्रीज की वजह से जो पानी खराब होने की वजह से ग़रीब किसानों की खेती बरबाद होती जा रही है उसे नुक़सान नहीं हो इसके उपाय करने चाहियें। पर उपाध्यक्ष महोदय, ये सरकार इस बारे में निष्क्रिय है और अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। राज्य सरकार इस बारे में मौन है। आज सरकार को अपने पानी की समस्या का हल निकालने के लिये स्टैप उठाने चाहियें। पानी की समस्या तो प्राईमरी समस्या है। आज सवाल देश के सामने सिर्फ़ गावों का ही नहीं कल शहरों में इस प्रकार की न्यूसेन्स होगी। कुओं में पानी ख़राब हो जायेगा और इस तरह जो आज गांवों में है उसका असर शहरों पर भी पड़ेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि इस पद्धति पब्लिक न्यूसेन्स को बन्द किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इन

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सब बातों के लिये। मैं इस संकल्प का विरोध करने खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस संकल्प के प्रति अपनी सहानुभूति रखता हूं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के क़ानून बनावे कि यह पब्लिक न्यूसेन्स ख़त्म हो जाय। मैं इसका विरोध करने खड़ा नहीं हुआ हूं। इतना तो जरूर होना चाहिये कि कम से कम कोई क़ानून बन जावे कोई न कोई स्टेप राज्य सरकर को इस बारे में लेने पड़ेंगे, और लेने भी चाहिये। मैं इस संकल्प की अपेक्षा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें, वही बातें बार बार दोहरा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ऐसा आश्वासन तो इस सदन को दे दें कि कोई बिल जल्दी ही इस विधान सभा में इस पब्लिक न्यूसेन्स को रोकने के लिये लायेंगी। यह तो राज्य सरकार की एलीमेन्ट्री ड्यूटी है कि राज्य सरकार वाटर पोल्यूजन और एअर पोल्यूजन के बारे में अपने राज्य के लिये तो कोई क़ानून बनावे

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभ चन्द वैद।

(विपक्ष के नेता महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) के बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता, महारावल श्री डूंगरपुर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वाटर पोल्यूजन का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही करे। अभी सदन में कोटा के इन्डस्ट्रियल वाटर पोल्यूजन को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की। इसके बारे में मेरी भी पूर्ण सहानुभूति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के पास सभी अधिकार हैं कि राज्य सरकार ऐसा क़ानून बना सके जिससे इस प्रकार की न्यूसेंस को फ़ौरन रोका जा सके। ऐसा अधिकार होने भी चाहिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय इस बात के पक्ष में हूं कि स्टेटस की अटोनोमी अक्षुण्य रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वाटर पोल्यूजन का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज्यों ज्यों जन संख्या बढ़ती जायगी यह वाटर पोल्यूजन का प्रश्न गम्भीर होता जायेगा। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई जन संख्या का वाटर पोल्यूजन के बाद एअर पोल्यूजन भी होगा तो यह आज तो इन्टर स्टेट की समस्या है वह कल के इन्टरनेशनल समस्या का प्रश्न हो जायगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में संकल्प प्रस्तुत हुआ उसके मैं विरोध में नहीं हूं। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि केन्द्र सरकार के इस बारे में ऐसे सुझाव भी भेजें कि उसमें मेजर आफ यूनिफोर्मिटी रहे और इस तरह कोई बनता है इस विषय में तो उसका समर्थन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज धाना में भी पोपूलेशन पोल्यूजन की समस्या है, वेस्ट

(श्री लक्ष्मण सिंह)
बंगाल में भी यह समस्या है, और यहां ही नहीं दुनिया के और मुल्कों अमेरिका में भी यह समस्या है, यूरोप में यह समस्या है। अतएव मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए यही निवेदन करूंगा कि ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि राज्य सरकार इस समस्या के बारे में कोई ठोस कदम उठावे। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसके लिये राज्य सरकार कानून बनाने में सक्षम है। और राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी इसके लिये कानून बनाना चाहिये। किन्तु इस संकल्प के बारे में मेरा यही निवेदन है कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई यूनिफार्मिटी आफ ला बनता है तो देश के लिये और मैं समझता हूं राज्य के लिये दोनों के लिये हितकारी रहेगा। इस शब्द के साथ में मेरा भाषण समाप्त कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभ चन्द वेद।

श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़) :— उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने यहां मेरे जिले में जो पानी की समस्या है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय नहीं है। माननीय सदस्य! आपके यहां तो पानी की कमी का प्रश्न है। माननीय सदस्य यह सवाल दूसरा है। आपका मामला दूसरा है कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन चीफ व्हिप महोदय का आदेश मिला है मैं भी कुछ बोलूं इसलिये समय से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं शिड्यूल वन आर्टिकल सेवनटीन। इन्टर स्टेट रीवर्स जिस रेजोल्यूशन के द्वारा भावना व्यक्त की गई है वह राज्य की समस्या भी है और राज्य की समस्या के अतिरिक्त रीवर्स एक जगह से दूसरी जगह बह रही हैं। इन्टर स्टेट ला बनाने का सारा सम्बन्ध लोक सभा का है इसलिये मैं नहीं मानता हूं कि यह केवल हमारे राज्य से ही सम्बन्ध है या किसी दूसरे राज्य से सम्बन्ध होगा। इन्टर स्टेट के सम्बन्ध में अपना रिजोलेशन पास कर सकती है। इन्टर स्टेट के सम्बन्ध में जो जो दूसरी स्टेट पड जाय वे पसन्द करें, न करें। यह जन स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखता है और इन्टर स्टेट रीवर्स का सेविन शिड्यूल लिस्ट वन आफ सेवनटीन से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का सम्बन्ध आता है इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पास कर सकती है। पर चूंकि प्राबलम राज्य की है-विदिन स्टेट सम्बन्ध रखता है। इन्टर स्टेट रीवर्स के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तय करती है। हमारी स्टेट का सम्बन्ध है इस लिये इस सारी कठिनाई को दूर करने के लिये 249-250 को ध्यान में रखते हुए स्टेट के रिजोलेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज दुनिया में जो प्रश्न सामने आ रहे हैं जन संख्या का विस्फोट-किस तरह नेचर के साथ खिलवाड हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दुनियां के जो बड़े बड़े देश हैं। अमेरिका है वहां पर वैज्ञानिको ने यह निर्णय किया है कि जितनी सडक पर मोटरें दौड़ती चली जाय, जितने समुद्र में जाने वाले जहाज और जितने इन्डस्ट्रीज के द्वारा उद्योग फैलते जा रहे हैं उसके द्वारा जो गन्दगी बढ़ती जा रही है उससे पानी का और उस जमीन का जिस जमीन पर पेड खड़े हैं जहां से हम नाइट्रोजन लेना होता है-आंकड़े लगाये हैं, यह सडक

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जितनी मोटरें रखने की आवश्यकता हो रही है उतनी ही समाप्त होगई है और उस गिनती में लाखों एकड जमीन पर पेड और पौधे नहीं उगेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अच्छा होता आज वहुत बडी समस्या राजस्थान की पोल्यूशन आफ वाटर एण्ड ऐयर उसका समाधान होता । जो आज पापूलेशन आफ इन्क्रीज हो रही हैं जिस तरह वैज्ञानिक युग बढ रहा है, जिस तरह नये नये उद्योग आ रहे है, जो नये नये अनुसंधान हो रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन बढते जा रहे हैं-उसके 50 वर्ष के बाद पोल्यूशन आफ वाटर एण्ड एयर इतना विषाक्त हो जायगा कि पृथ्वी पर कोई जीने लायक नहीं रहेगा । जो आज मून है वही स्थिति शायद यहां की हो जायगी । सम्भव है वहां भी ऐसी ही पूर्व में स्थिति रही हो । वहां ऐसी स्थिति में विज्ञान ने बताया जीवात्मा पैदा होना संभव नहीं है । कल आपकी पृथ्वी पर यह समस्या हो सकती है । जिसके कारण यह इतने विषाक्त हो जायेंगे और जन संख्या समाप्त हो सकती है । ऐसी अवस्था में हमें अभी से इन एडवान्स जहां पर 55 हजार मील एक घंटे में हमारी यात्रा हो । वैज्ञानिक युग वढ रहा र । जो कुछ आज हम सोचते हैं आज विज्ञान के जरिये नये नये अनुसंधान होते हैं और कल वे ही अनुसंधान बढते हुए विज्ञान के युग में फिर बदल जाते हैं । मैं समझता हूं पांच वर्ष बाद बहुत बड़ी समस्या होगी। रिजोल्यूशन मुझे मालूम है केन्द्रीय सरकार सरकारकी तरफ से आया है और कल्पना की गई है कि पानी के विषाक्त होने का, मेरी कठिनाई है इसे बोलने की बोल रहा विषाक्त लेकिन न मालूम इसे क्या कहते हैं · · ·

एक माननीय सदस्य : दुषाक्त ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह विश्व की समस्या होकर हमारे सामने आ रही है । इससे अच्छा होता रिजोल्यूशन के द्वारा, इस प्रस्ताव के द्वारा हम राज्य सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को यह भी कहते उस कानून में केवल पानी को ही नहीं वायु को भी विषाक्त न होने के लिये कदम उठाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये विश्वव्यापी कदम उठाना पड़ेगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : राजस्थान सरकार भारत सरकार को कम से कम उस विपत्ति की ओर ध्यान दिलाये जो भविष्य में आने वाली है, जिसकी कल्पना वैज्ञानिक कर रहे हैं । मेरा मानना है कि 50 वर्ष बाद कोई कदम नहीं उठाया तो वह अवस्था हो सकती है पोल्यूशन आफ वाटर से यह पृथ्वी मानव के रहने के लायक नहीं रहेगी । वैज्ञानिको ने इसका भयावह चित्र प्रस्तुत किया है । पांच वर्ष भी आज इस विज्ञान की गति और प्रगति चलती रही तो पोल्यूशन आफ वाटर की समस्या इस पापूलेशन से भी ज्यादा भयावह हो जायगी। माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कोटा में पोल्यूशन आफ वाटर की प्रोबलम है, क्योंकि मैं भी यह कहने जाऊं तो शायद उपाध्यक्ष महोदय मुझे आदेश नहीं दगे कि स्थानीय समस्याओं को न उठाये लेकिन यह स्थानीय समस्या बहुत बडी है-इसलिये रिजोलूशन पास करना पड रहा है मेरे यहां भीलवाडा में भी एक फैक्ट्री बनी हुई है · · ·

एक माननीय सदस्य : डालडा की ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां । इससे ऐसी सडान्ध निकलती है और जहां नीचे जाकर हरिजन वस्ती आ गई ह, सरकारी मकान वने हुए हैं लेकिन आज जैसे मैंने यहां पर समस्या

Page No 82

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

सुनी है-सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिला–प्रिविलेज क्लास है हम एम. एल. एज. यहां चिल्लाते हैं लेकिन वे हम पर राज्य दूसरी तरह से करते हैं । पैसों के बल पर नचाते हैं । उस फैक्ट्री के पानी से बहुत जोरों से सडान्ध निकलती है । वह भीलवाडा के जन जीवन में अत्यन्त हानिकारक है । 500 हरिजनों के जीवन के साथ तो यह खिलवाड किया जारहा है । चारों तरफ से प्रयत्न किया गया लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता है । फैक्ट्री बन्द होने का सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थानीय समस्या पर आ गये । उससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं और मैने पहले ही कह दिया है शायद उपाध्यक्ष महोदय मुझे आदेश नहीं देंगे लेकिन यह इतना बडा प्रश्न है । यह मैं मानता हूं सही फरमाया गया है । इन्टर स्टेट के साथ राज्य की प्राबलम भी है । अगर मैं लोकल समस्या पर बहस करने लगा वो भी आ जायगी । कुये पर जब वह सडान्ध आती है और कुये का पानी खराब होता है तो उसको छोड देना पसन्द करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो आदेश दिया और उसका मैं पालन करता हूं और यह निवेदन करता हूं आज के इस वैज्ञानिक युग में इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप तो इसको सेन्टर में भेज दें । स्थानीय समस्या के बारे में इन्डस्ट्रीज ऐरिया को जो पानी दौडता है उसको कहां खपाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

मंत्री महोदय ।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो इस संकल्प के बारे में जो बात उत्तर में मुझे कहना चाहिये थी वह बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहदी है । क्योंकि सदन के कुछ माननीय सदस्यों को शायद इस सम्बन्ध में भ्रम हो गया था और वे यह समझ रहे थे कि पोल्यूशन केवल कोटा का प्राबलम है और राज्य सरकार के इस प्रकार के एक्ट बनाने से शायद वहां की समस्या का समाधान हो जायगा लेकिन जैसा कि बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह समस्या केवल एक प्रान्त की समस्या नहीं है । हमारी आर्य संस्कृति जिसे हम कहते हैं कभी गंगा के मैदान से प्रारंभ हुई थी, लेकिन वह गंगा कहां से निकलती है और कहां तक जाती है, और इसआबादी के विस्तार में उसी गंगा के पानी को मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त करने की कामना से मुंह में ग्रहण किया करते हैं, उसकी क्या स्थिति है यह कलकत्ता जाते हुए माननीय सदस्य बीच में देखें तो पता होगा कि कितना मैला, कूड़ा कर्कट और औद्योगिक विस्तार के साथ कितना उद्योगों से कितना इन्डस्ट्रीज से आइल और गैस और कई तरह के केमिकलस के इस तरह के जल स्रोतों में मिलने के बाद पानी की क्या हालत होगई है । वैसे पानी कई जगहों पर परमात्मा की देन है और राजस्थान में राज्य सरकार की देन है, क्योंकि यहां पानी नीचे से निकाला जाता है । यहां पर केवल एक नदी है । इसलिये आप सब लोगों को यह गलत फहमी होगी कि इस बारे में राज्य सरकार मैं इस बात तो मंजूर करती हूं कि यह केवल कोटा का प्राबलम नहीं है, बल्कि

(श्रीमती सुमित्रा)

जैसा कि वनेडा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसे जैसे शहरीकरण बढता है, जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार होगा, जैसे जैसे नई इन्डस्ट्रीज खुलेंगी, वैसे वैसे यह वाटर पोल्यूशन का प्राब्लम पहले से कहीं अधिक दुरुह और दुष्कर होता जायगा, और उसके समाधान के लिये राज्य सरकार स्वयं अपनी ओर से कुछ न कुछ करेगी । जन जीवन को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ पानी जब तक प्रदाय नहीं करेगी तब तक वह कल्याणकारी राज्य नहीं होगा । कल्याणकारी राज्य के लिये स्वच्छ जल प्रदान करना आवश्यक है । इस संबंध में राज्य सरकार के सामने पिछली दफा सदन के अन्दर कोटा के अन्दर वाटर पोल्यूशन का सवाल आया था और यह कहा गया था कि डी. सी. एम. को एक्स्ट्रेक्ट है वह नाली के रूप में जाकर नीचे चम्बल में गिरता है जिसके कारण से आस पास के इलाके के और आस पास के गांवों के लोगों को तकलीफ है और कई बार पशु भी मर जाते हैं । वह पानी स्वास्थ्य के लिये न केवल हानिकारक है, बल्कि बिल्कुल ही खराब है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कि जब यह प्रश्न उठाया गया था उसके बाद में जूनियर केमिस्ट हमेशा कोटा में रहता है और डी.सी. एम. को इस तरह की हिदायत दी गई है कि वह अपने वहां के एक्स्ट्रेक्ट है उसको डाइल्यूट करके फिर निकालें । वह डाइल्यूशन बराबर हो रहा है, और हो सकता है कि जब कई बार जूनियर कैमिस्ट के अभाव में या उसकी सावधानी नहीं बरतने पर और कभी कभी इस तरह की जैसा कि आप जानते हैं प्रवृत्ति इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की होती है वह ऐसा कर देते होंगे । राज्य सरकार की ओर से बराबर इस प्रकार की व्यवस्था है कि इसका डाइल्यूशन हो और डाइल्यूशन होने के बाद में उसको निकाला जाय । कोटा के कलक्टर को इस सम्बन्ध में लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया था। उनके प्रार्थना-पत्र पर कोटा के कलैक्टर के यहां से एक कम्प्लेन्ट के साथ में एक सेम्पल आया था पानी का और पानी के सेम्पल की रिपोर्ट कोटा के कलैक्टर को वापस भेज दी गई है । मैं समझती हूं कि कोटा कलैक्टर इस सम्बन्ध में सक्षम है और इस तरह का पानी जहां से प्राप्त हुआ है उसके लिये वे खुद कुछ कर सकते हैं । फिर भी माननीय सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि यद्यपि राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में पूर्ण जागरूकता बरती जा रही है। माननीय सदस्य यह न समझें कि केवल उनको ही जन-जीवन की चिन्ता है, राज्य सरकार भी जनता को स्वच्छ पानी मिले, जनता को स्वास्थ्य कर पानी मिले, इस बात के लिये पूर्णरूपेण जागरूक है और जहां कहीं भी वाटर पोल्यूशन इस प्रकार के इन्डस्ट्रियल विकास के कारण होता है, हमारे जल को वह दूषित करता है तो उसके लिये राज्य सरकार पूर्णतः सचेष्ट होगी । लकिन, माननीय सदस्य, इस प्रकार की जब कभी कोई शिकायत आय तो उसको न केवल राज्य सरकार को बतलायें बल्कि गैर सरकारी संकल्प भी प्रस्तुत कर सकते है । तो मैं समझती कि राज्य सरकार के वे हाथ मजबूत करेंगे....

श्री देवीदत्त पंडिया : हमने तो क्वेश्चन रखे थे यहां पर ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज़ ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रही थी कि राज्य सरकार वैसे तो सक्षम है, और जैसा कि मैं समझती हूं जैसे यह प्रोब्लम कोटा का है तो धीरे धीरे और जगह भी इस प्रकार की प्राब्लम आ जायेंगे और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि यह इन्टरस्टेट रिवर का मसला है और जैसा कि मैंने गंगा की बात कही कि वह बहुत से प्रदेशों में होकर बहती है और मानलें कि उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी तरफ से कोई एक्ट बना दिया और जिस स्टेट से गंगा बह कर आती है वह स्टेट न करे या जिसमें आगे बहकर जाती है वह न करे तो पोल्यूशन के सम्बन्ध में जो एक्ट बनावाया है उसने वह निरर्थक होगा। इसलिये ऐसे जल स्रोतों के लिये, रिवर्स के लिये, झरनों के लिये जो कि बहते हैं और जो कि प्रकृति की देन है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बहते हैं उसके लिये आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य तो एयर पोल्यूशन की बात भी कर रहे थे लेकिन मैं समझती हूं कि एयर से पहले पानी का दूषण रोकना ज्यादा आवश्यक है और वैसे एयर-पाल्यूशन की अभी तक राजस्थान में कोई शिकायत भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं जहां तक समझती हूं अगर गलती करती हूं तो हो सकता है कि एयर पोल्यूशन का प्राब्लम तो अभी तक कलकत्ते जैसे बड़े नगर में इस तरह की नौबत आई नहीं है और न बोम्बे में ऐसा प्रोब्लम है और न अहमदाबाद में ऐसा प्राब्लम है जहां कि इतनी इन्डस्ट्रीज । इसलिये एयर पोल्यूशन का मामला तो अभी इतनी इन्डस्ट्रीज का विस्तार नहीं हुआ है, जब कभी आयेगा तब देखा जायेगा, और आवश्यकता होगी तब इस बारे में सोच लिया जायेगा, लेकिन आज जो हमारे सामने वह महत्वपूर्ण संकल्प है, हालांकि इसमें देरी हुई है मैं इस बात को मानती हूं कि और स्टेटों से पहले इस सम्बन्ध में भेजा गया था तो हमें भी भेजना चाहिये था और 5-6 महीनें की उसमें देरी हुई है और जो काम हमें पहले करना चाहिये था वह नहीं कर पाये लेकिन फिर भी समय है और लोकसभा के सामने यह बिल सिलेक्टी को रेफ़र किया हुआ है तो अभी भी इस संकल्प को सर्व सम्मति से यह सदन यहां से पास करके भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प का निर्णय।

प्रश्न यह है कि यह राजस्थान राज्य विधान मण्डल को यह वांछनीय प्रतीत हुआ है कि जलप्रदूषण निवारण, जल की स्वास्थ्य-प्रदत्ता के अनरक्षण और पुनःस्थापन सम्बन्धी मामले, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल-प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना, ऐसे बोर्डों को उनसे सम्बन्धित और अन्य परिणामिक और अनुसंगी विषय, जो भारत के संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 17 के विषय क्षेत्र में आते हैं और जिनके बारे में संसद को उक्त अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्यों के लिये विधियां बनाने की शक्ति नहीं है, संसद द्वारा राजस्थान राज्य में विधि द्वारा विनियमित किये जाने चाहिये।

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्य विधान मण्डल एतद्द्वारा संकल्प करता है कि पूर्वोक्त विषय संसद द्वारा इस राज्य में विधि द्वारा विनियमित किये जायें।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार।

राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो उससे पहले मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूं कि राज सतर्कता आयोग से 31 मार्च, 1969 के प्रतिवेदन के पश्चात् कोई प्रतिवेदन आपको प्राप्त हुआ या नहीं और हुआ है तो कब हुआ, और वह सदन में अभी तक प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। यह जो हम विचार कर रहे हैं वह 31 मार्च, 1968 तक के पीरियड का है।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है एक रिपोर्ट और आगई है, और उस रिपोर्ट को सदन में अभी तक पेश नहीं करने का कारण मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को पहले बता दिया है कि रिपोर्ट आती है तो उसका हिन्दी अनुवाद होता है और जिन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित रिपार्ट है उन डिपार्टमेन्ट्स को उसके लिये भेजा जाता है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया और उनके एक्शन की रिपोर्ट आने के बाद वह रिपोर्ट इस सदन में पेश की जानी चाहिये।

रिपोर्ट जो है, वह आ ज़रूर गई है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कब आई है?

श्री दामोदर लाल व्यास : तारीख़ मुझे मालूम नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : साल कौन सा है?

श्री दामोदर लाल व्यास : तारीख़ मुझे मालूम नहीं है। मैं ऐसी पोज़ीशन में नहीं हूं। किस तारीख़ को आई है, यह पता नहीं है उसका प्रोसेस ही यह रहा है। इतने दिनों में पेश नहीं करने का कारण यह है कि इतना टाइम उसमें लगता है। इतने डिपार्टमेन्ट इन्वाल्व्ड होते हैं। कौन कौन से पब्लिक सर्वेण्ट्स् हैं। फिर हिन्दी में अनुवाद के लिये दी गई है। फिर उसे छपवाकर पेश की जाती है। आप चाहें तो कोशिश करूंगा वह रिपोर्ट भी जल्दी तैयार हो जाये। जल्दी पेश करने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो दोनों रिपोर्ट पर एक साथ डिस्कशन करलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई केसेज़ तो 1963 के पीरियड से भी पहले के हैं। इसके बाद की रिपोर्ट आ चुकी है, उसको आज तक हाउस में पेश नहीं किया गया है। पुरानी पुरानी रिपोर्टस् पर विचार करें। जब कि नई रिपोर्ट आ गई है। This is contemptuous attitude of the Government towards the House.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, जो प्रतिवेदन 1 अप्रेल, 1967 से और 31 मार्च, 1968 से सम्बन्धित है। एक सम्माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखा जाना सदन का अपमान है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार के लिये सर्वथा अशोभनीय है। सतर्कता आयोग के सम्बन्ध में इतनी पुरानी रिपोर्ट लाकर हम लोगों से कहा जाये कि उसके ऊपर बहस हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसी बहस से क्या लाभ हो सकता है। यह अवास्तविक है। मैंने यह भी कहा है कि विभाग और सतर्कता आयोग के बीच में कोई सहयोग नहीं है। वैमनस्य है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी में भी यह सिफ़ारिश की गई है। लोकपालों की व्यवस्था हो तभी कुछ अंकुश लग सकता है। मेरा जहां तक व्यक्तिगत निवेदन है, मैं इस सदन के समक्ष खड़ा होकर इस प्रतिवेदन पर विचार करना इस सदन का और अपना अपमान समझता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट ही पुरानी नहीं हो गई है जिस कमिश्नर ने रिपोर्ट दी थी वह भी नहीं रहा है। यह नया काम कर रहा है। उनकी रिपोर्ट कोई नहीं आई है। इस तरह से सदन का अपमान होता है और रिपोर्ट का महत्व समाप्त हो जाता है। अब इस तरह से यह निश्चित हो गया है कि कमीशन भी सरकार का अंग हो गया है। उनको खामखां तनखाह दिये जाने से लाभ क्या है? अगर भ्रष्टाचार देश का रोकने का काम करते हैं तो वह बढ़ता ही जा रहा है। कमीशन को पावर्स क्या हैं? इन्क्वायरी करने वाली तो गवर्नमेन्ट ही है। कमीशन कर क्या सकता है। बेकार समय खराब करने के अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय······

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, 1 साल 3 महीने होगये हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माननीय सदस्यों को चाहिये था कि वह इसके बारे में जल्दी करने के लिये कहते।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : बार बार कहा गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : अब यह सवाल है, मैं पेश करना चाहता हूं : मैंने जो प्रोसीजर बताया है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी समझेंगे। खास तौर से माननीय विरोधी दल के नेता महोदय का डिस्प्लेज़र मैं समझ सकता हूं। उनकी नाराज़गी को मैं समझ सकता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय मन्त्री महोदय को मैं अदब से निवेदन करूंगा कि जब भी यह प्रश्न बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में आया है, तभी बार बार मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया है। इतनी देर से रिपोर्ट आये तो विचार करना अवास्तविक है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट भी देर से पेश की जाती है। हर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

साल यह होता है। लास्ट ईयर भी यही किया। अब भी वही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट है।

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, इतना समय लगता ही है। ट्रान्सलेशन करवाने में, इण्डीवीजुअल केसेज की जा... मंगवाने में·······

श्री दौलतराम सारण : सवाल यह है, सरकार बार बार यह घोषणा करती है कि सारा काम काज हिन्दी में होगा। फिर अंग्रेजी में वह क्यों होता है। क्यों अनावश्यक ढील की जाती है। क्यों नहीं कमीशन को यह कहा जाये कि वह हिन्दी में काम करें।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपका सुझाव उनको पहुंचा दिया जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : आप अपने आदेशों पर स्टेण्ड नहीं करते हैं। आप आर्डर करते हैं कि 26 जनवरी से सारा कामकाज हिन्दी में होगा। फिर यह क्यों नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल।

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय यह बात तो सही है कि 1967 की रिपोर्ट पर आज 3 साल के बाद यह सदन विचार करे। और उसके बाद की रिपोर्ट के पश्चात् भी 2 साल गुजर गये। 1968-69 और 1969-70।

श्री उपाध्यक्ष : एक साल सतर्कता आयोग ने लगाया। एक साल सरकार ने लगाया। एक साल विधान सभा ने लगाया।

(हंसी)

श्री शंकर लाल : वैसे सरकार की ओर से यह कहा गया है······

श्री गिरधारी लाल व्यास : विरोधी दल के नेता गलत कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें चीफ़ व्हिप की कोई ग़लती नहीं है?

श्री दौलतराम सारण : यह तो उपाध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा है? हाउस बिजनेस तय करने की जिम्मेदारी चीफ़ व्हिप की है। आख़िर 1200 रु. तनख़्वाह ये किस बात की लेते हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप लोग ही इनको टालते जाते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने रास्ता बता दिया है कि किसकी गलती है?

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि 24 मार्च, 70 को पेश की गई थी······

जैसे कि इससे यह हो जायगा, यह बहुत जल्दी पेश की गई है। 24 मार्च 1970 को भी पेश की गई है तो भी दो साल के बाद पेश की गई है, तो भी देरी हुई है। उसके

Page No 88

(श्री शंकरलाल)
बाद यह कहना कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने उसको बिजनेस के लिये नहीं रखा, मैं समझता हूं, उसमें भी सरकार की कुछ जिम्मेदारी है, साथ साथ सरकार के साथ साथ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी इस बात को वहां पर उठाया नहीं......

श्री भैरोंसिंह : आपको क्या मालूम है?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : रोज उठाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री शंकर लाल: यह दोनों बातें हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम इतना उठा रहे हैं। गवर्नमेन्ट के नोटिफिकेशन, आर्डर का हवाला देते हुए ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव भी दिया है कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है। अब फिर कैसे उठायें, गोद में उठायें।

श्री शंकरलाल: मैं माननीय सदस्यों की तरफ से आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, वास्तव में जैसा फ़र्माया, सरकार की तरफ़ से, साथ साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इन दोनों की तरफ़ से, हाउस में इसे पेश करने के प्रति कुछ ढिलाई हुई है और बहुत समय गया है, जो वास्तव में चिन्ता का विषय है। इस कारण ऐसी रिपोर्ट, जो हाउस में आ जानी चाहिये थी, वह नहीं आयी। अब इस विषय में क्या करना है.......

श्री उपाध्यक्ष : अब डिस्कशन चालू करना है। मैं समझता हूं कि अब डिस्कशन तुरन्त शुरू करदें

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय 1967 के बाद एक रिपोर्ट और आ जानी चाहिये। गृह मन्त्री जी ने बताया, एक रिपोर्ट और आ गई है, वह आई होगी 1966 तक की। मैं उसके बाद निवेदन करूंगा, 70 की अब आ सकती है और 1971 चल रहा है, इसलिये जितनी आपके पास लेटेस्ट इन्फार्मेशन हो वह दें, क्योंकि माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहें, और उसके अन्दर कोई कमी निकालें तो आप कह देंगे कि इस कमी की पहले से पूर्ति कर ली है। आप कह देंगे कि 1970 में कमी की पूर्ति कर ली है, कदम उठा लिया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों के सुझाव कारगर नहीं होंगे। इसलिये दोनों रिपोर्ट साथ में आ जायें, दोनों रिपोर्ट पर साथ में विचार कर लें, उसके बाद में मैं समझता हूं, माननीय सदस्य सुझाव देंगे उनका मूल्य होगा और उससे सरकार को भी लाभ होगा, सदन को भी लाभ होगा और उसका कुछ हल निकल सकेगा। इसलिये इस रिपोर्ट पर अभी तक आज विचार मेरे ख्याल में स्थगित रख दिया जाय, और दूसरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सरकार पेश कर दे और दोनों पर एक साथ विचार हो। ऐसी व्यवस्था आसन की तरफ़ से की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय!

श्री मनोहर सिंह मेहता : मुझे दो शब्द निवेदन करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जब तक 1968-69, 1969-70 दो दो सालों की रिपोर्ट नहीं आवे तब तक इस पर विचार करना व्यर्थ है क्योंकि दो वर्ष की रिपोर्ट नहीं आई है। तीनों को एक साथ आने दीजिये, और साथ में उन पर

Page No 89

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
विचार करें तो अच्छा रहेगा। इस पर विचार कर लेंगे तो इनको चिन्ता नहीं होगी। इनको चिन्ता होगी जब हम यह कहें कि इस पर विचार नहीं करना हैं। वह दोनों रिपोर्ट भी आ जाय तब विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा, यह प्रतिवेदन है, जिस पर गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप दूसरा प्रतिवेदन कब तक पेश कर देंगे। ऐसा एश्योरेन्स दे सकते हैं कि इसी सत्र में, इन दोनों रिपोर्ट को पेश कर देंगे ताकि उन पर विचार कर लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरे प्रतिवेदन के लिये मैंने मालूमात की, वह नवम्बर लास्ट में आ गई थी। उसके बाद हिन्दी अनुवाद भी हो रहा है, क़रीब क़रीब पूरा हो चुका है। दूसरे छब्बीस महकमों को लिखा गया था, उनके जो केसेज थे, उनके बारे में, उनमें से 12 महकमों का जवाब आया है, बाक़ी का नहीं आया है? मैं कोशिश करूंगा इस बात की कि बाक़ी के महकमों का जवाब आ जाय और यह रिपोर्ट इसी सदन में पेश करके डिस्कशन का मौक़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह रहे हैं, कोशिश करूंगा इसी में सन्देह हो रहा है।

श्री दामोदर लाल व्यास : इसमें सन्देह मत करिये, कोशिश ईमानदारी से की जायगी।

श्री भैरोंसिह : ईमानदारी है, तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई?

श्री दामोदर लाल व्यास : रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री भैरोंसिह : हाउस में नहीं आई है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं कह रहा हूं, हाउस में पेश कर दूंगा किसी भी हालत में।

श्री भैरोंसिह : एक बात और रिपोर्ट हाउस में पेश करें, लेकिन हाउस एडजोर्न हो रहा है, उसके दो दिन पहले पेश करदी, तो वह डिस्कशन में नहीं आयगी। इस लिये आप बता दें कि इस रिपोर्ट को निश्चित रूप से······

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह कैसे कह सकते हैं। यह तो बिजनेस एडवाईज़री कमेटी तय करेगी।

श्री भैरोंसिह : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी तय करती है....

श्री दामोदर लाल व्यास : वह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी तय करती है, वह चाहे, तो हो सकता है डिस्कशन।

श्री भैरोंसिह : वह आयं तब है। लेकिन जब तक विधान सभा लेगी आप राज्य सरकार की तरफ़ से आश्वासन दे सकते हैं कि विधान सभा के स्थगित होने से पहले विचार करने के लिये उसको प्रस्तुत किया जायेगी? अगर गवर्नमेन्ट की तरफ़ से आपत्ति नहीं है तो हमें भी आपत्ति नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : विधान सभा का समय तो 25 तारीख़ तक रहना चाहिये। पच्चीस से पहले आनी चाहिये।

श्री भैरोंसिह : यह जरूरी नहीं है।

Page No 90

श्री शंकरलाल : समय वही रहे। इसमें ही विचार कर लें।

श्री भैरोंसिंह : विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो उसके पहले पहले इस विचार होना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : तय करवादें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से।

श्री वृद्धिचन्द जैन : फ्राइड, सेटर डे का अवकाश बन्द करें।

श्री भैरोंसिंह : वह कर देंगे बन्द।

श्री दौलतराम सारण : तीन दिन की छुट्टी बेकार है।

श्री भैरोंसिंह : अगले फ्राइडे को रख लीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने मालूमात की, तो मालूम हुआ कि फ्राई डे तक सब डिपार्टमेन्टस् के कमेन्ट्स आ जाय और सदन के अन्दर पेश हो जायें यह मुमकिन नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या मतलब है, रिपोर्ट तो गई।

श्री दामोदर लाल व्यास : रिपोर्ट पेश कर सकता हूं : लेकिन रिपोर्ट के साथ डिपार्टमेन्ट के कमेन्ट्स् लेना चाहता हूं कि क्या एक्शन लिया, क्या नहीं ;

श्री भैरोंसिंह : उसको जाने दीजिये, रिपोर्ट पेश कर दीजिये। कमेन्ट्स् वह देते हैं कि विजिलेन्स कमीशन की सिफ़ारिश को मानते या नहीं मानते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : कमेन्ट्स् वह जिनके आधार पर माननीय सदस्यों को जवाब देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब देंगे, जो गवर्नमेन्ट की तरफ़ से जवाब आना चाहिये, उसमें एक दो बात कह देंगे, विजिलेन्स कमीशन की कौनसी सिफ़ारिश स्वीकार नहीं-कर रहे हैं, बाक़ी को सिफ़ारिशों की कम्प्लायन्स कहां तक हुई है। वह आप पेश कर दें : तो ह उस में जो पेश करने का सवाल है वह पेश करने में असहमति की टिप्पणी पेश करने में कि इन सिफ़ारशों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या बाधा है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में करते हैं, वैसे विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कर सकते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास :—I will try my best but I cannot commit my self दूसरे डिपार्टमेन्ट से कमेंट आया नहीं है. मैंने अभी आफिसर से पूछा तो वह कहा है It is not possible to get the comme. nts by next Friday.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : we are not concerned with the commits.

श्री दामोदर लाल व्यास : you are not concerned not I am concerned.

श्री भैरोंसिंह : एक बात से कन्सर्न है, आप कौनसी रिकमन्डेशन को स्वीकार नहीं करते हैं और गवर्नमेन्ट ने किस किस के खिलाफ़ क्या क्या एक्शन लिया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है, पिछली बार एक दफ़ा कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हुई थी, माननीय सदस्यों

(श्री दामोदर लाल व्यास)

को इस बात की जानकारी है, जिन जिन व्यक्तियों, जिन जिन आफिसरों के खिलाफ़ कमीशन ने कुछ रिकमन्डेशन की हैं, किसी के खिलाफ़ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हुई है, उसको क्या सज़ा हुई, क्या प्रासीक्यूशन हुआ और क्या रिजल्ट निकला यह तमाम बातें बतानी पड़ेंगी। अगर नहीं बताता हूं तो मेरा केस डिफाल्ट में जाता है, और आपका केस रहेगा। अपना केस मैं डिफाल्ट में नहीं जाने देना चाहता।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट इनएफ़िशियेन्ट है तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं अर्ज़ कर सकता हूं कि मेरे लिये यह जानना जरूरी है कि डिपार्टमेन्ट्स् के क्या कमेन्ट्स् हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई यह मैं जल्दी से जल्दी मंगाऊंगा। मैं वायदा करता हूं कि इस सत्र के ख़त्म होने के पहले मैं मंगवाने की पूरी कोशिश करूंगा, I will personally attened to this work.

मैं इस बात को मानता हूं कि नवम्बर में रिपोर्ट आ गई और मई तक इस सदन में वह रिपोर्ट नहीं आई। यह गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स की नाकाबलियत का इज़हार है इसमें सन्देह नहीं है, उस पर जो एक्शन लेना होगा वह लूंगा, मैं मुख्य मन्त्री जी को भी कहूंगा इस बात के लिये। जो फ़र्म कमेन्ट्स् चाहें कि बाकी के डिपार्टमेन्ट्स् से मंगा कर मैं इस छोटे से अर्से में, फ्राइडे तक मंगवा कर पेश कर दूं तो मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूं। इतना मैं कह सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा इस बात की, हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि डिपार्टमेन्ट्स् के कमेन्ट्स् आ जांय।

श्री भैरोंसिंह: हमारा कहना दूसरा है, आप कम से कम फ्राइडे तक रिपोर्ट पेश कर डिस्कस करलें सात दिन में रिपोर्ट के सम्बन्ध में डिपार्टमेन्ट्स् से इन्फार्मेशन मंगवाना चाहें वह मंगवालें। आपको टाइम मिल जायेगा, हमें भी मिल जायेगा। आप रिपोर्ट पेश करदें।

श्री शंकर लाल : आप यह चाहते हैं जिन सिफारिशों को नहीं माना है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : वह एक पेज का होता है।

श्री शंकर लाल : यह 1967-68 की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है यह ऐसी सिफ़ारिश है जिनको राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना लिखना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : इतना ही गवर्नमेन्ट लिखती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आती है उसमें एक पन्ना लगाना पड़ेगा कि राज्य सरकार ने कौनसी सिफारिश को माना है कौनसी को नहीं। आप लिख देते हैं। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री दामोदर लाल व्यास : उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डिपार्टमेन्ट्स् को कह सकते हैं, क्यों जवाब नहीं भेजते हैं, और जो जवाब नहीं भेजते हैं उनके खिलाफ़ आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने हाउस में सही स्थिति पेश करदी, उसको मानने के लिये आप तैयार नहीं हैं....

श्री रामचन्द्र अग्रवाल : उसको तो हम एप्रीशियेट कर रहे हैं, आपकी डिफ़ीकल्टी को एप्रीशियेट कर रहे हैं। लेकिन आपको रिपोर्ट पेश करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये, वह रिपोर्ट आप पेश कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है। आपने कहा, मैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लूंगा आपने कहा, आफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लूंगा, इस बात को एप्रीशियेट करते हैं, लेकिन आप एक्शन ले लें......

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं उसको छिपाता नहीं हूं : आफिसर की ग़लती है तो मैं बराबर मानता हूं, ग़लती है।

श्री भैरोंसिंह : वह सही है। मैं मानता हूं कि आप एक्शन लेना चाहेंगे। लेकिन सदन के माननीय सदस्य रिपोर्ट को देख कर तथ्य रखेंगे, उस पर जो एक्शन ले लिये गये हों वह बतादें। आप किसी का जवाब नहीं दे पाये। तो इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेन्ट के पास जानकरी नहीं है। इस लिये आप कह देना कि जानकारी नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मुझे आपसे शर्म आयेगी, अगर जवाब नहीं दे पाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : शर्म आयेगी तो हम भी महसूस कर लेंगे।

श्री शंकर लाल : राज्य सरकार की तरफ़ से तैयारी पूरी होनी चाहिये जवाब देने की।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप मान लीजिये, मैं कह रहा हूं, बद्री प्रसादजी ने सुझाव दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता बद्री प्रसाद जी ने जो सुझाव दिया है, कि महकमा ही तोड़ दिया जाए। बद्री प्रसादजी कुछ वर्ष पहले गवर्नमेन्ट के सदस्य थे। उनके ज़माने में सतर्कता आयोग बना था।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह ग़लत बात है। मेरे बाद में बना है, यह भारत सरकार ने बनाया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी भ्रष्टाचार की जो बात उन्होंने वहां और कहा कि सतर्कता आयोग के महकमे को ही तोड़ दिया जाए; इसके लिये मैं कमेन्ट नहीं करना चाहता...

श्री रामानन्द अग्रवाल : You welcome the idea.

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't make any commitment. You might welcome the idea or others might welcome the idea.

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बहस अपरिपक्व स्थिति में होती है, सरकार तैयार नहीं है, तो इससे बेहतर होगा कि इस सैशन में सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर बहस न रखें, नवम्बर में चाहें तो आश्वासन दें कि आप तैयारी करके आयेंगे, तब तो मेहनत करें, यह एक मिनट का काम नहीं है, हमारी दिक्कतें भी हैं। हम अगर तैयारी करें और 12-1 बजे तक तैयारी करें तो फिर आधा घंटा या 40 मिनट

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कोई बोले उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो, सरकार कहे तैयार नहीं तो इस तरह की व्यवस्था......

श्री दामोदर लाल व्यास : हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि सरकार तैयारी करके नहीं आई। जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, उसके लिये मैंने नहीं कहा कि तैयारी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय मैंने स्पष्ट अपने विचार व्यक्त किए कि इस पर बहस करना मैं अपना अपमान समझता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आपका विचार है। यह बहस दूसरी रिपोर्ट पर है जो सदन में नहीं आई है। आप नवम्बर महीने के लिये मेरा कमिटमेन्ट चाहते हैं, मैं इसी सैशन के लिये कमिटमेन्ट कर रहा हूं। पूरी कोशिश करूंगा कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट आपके सामने पेश हो जाए और बहस हो जाए।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : विरोधी दल के नेता महोदय का अपमान नहीं होने दें।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : Let us adjourn now. We are not going to speak on this report.

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : We cannot participate.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 2.54 बजे दिनांक 13-5-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(सा. प्र. सं. 746 की सूची)

A. No. 650

Award by the Land Acquisition Officer Chambal Project Kota

Case No. 215 Year 1962-63

Land pertaining to plot Nos. 96 village Chhaoni Ram Chandrapura in village/Tehsil Ladpura District Kota has been acquired from Manak Chand Paliwal for Small & Medium Scale Industries, Kota.

Enquiry to measurements into valuation of the land into buildings and into the respective interests of persons claiming the compensation has been made with the conclusion as to the:

(1) True area of the land which is 2400 sq. feet. two thousand four hundred sq. feet.

(2) True measurement of the building which is

(3) Compensation twenty time purchase of value of Rs. 75/- amounting to Rs. 1500/- Comp acquisition charges @ 103 amounting to Rs. 150/- Total Rs. 1650/- should be allowed and in words Rs. One thousand and six hundered fifty only.

(4) The compensation should be apportioned among the persons as mentioned below Manak Chand s/o Phul Chand Paliwal R/o Dhanmandi Kota (Rajasthan)

The award announced and notice given under the hand of G.S. Acharya, Land Acquisition Officer Chambal Project, Kota this day dated 12-11-62 and signed by.

Sd/-Land Acquisition Officer Chambal Project, Kota Rajasthan.

Duplicate copy
Sd/-Land Acquisition Officer
Chambal Project Kota.

A. No. 571

Case No. 31 Year 1962-63

Land pertaining to plot Nos. 607 village Chhaoni Ramchandrapura in village/Tehsil Ladpura District Kota has been acquired from (1) Manak Chand Paliwal (2) Madan Lal Kasliwal for small & medium scale Industries, Kota E.E. Mandi Divi. Kota.

Enquiry to measurement into valuation of the land into buildings

and into the respective interests of persons claiming the compensation has been made with the conclusion as to the:

(1) True area of the land which is 1800 sq. yards.
(2) True measurement of the building which is.
(3) Compensation Twenty times purchase value of Rs. 150/- amounting to Rs. 3000/- comp. acquisition charges @ 103 amounting to Rs. 850/- Total Rs. 3300/- should be allowed and Rs. three thousand three hundred.

(4) The compensation should be apportioned among the persons mentioned below (1) Manak Chand s/o Phool Chand Paliwal Rs.1650/-
(2) Madan Lal S/o Sukhlal Kasliwal Rs. 1650/-
Total: 3300/-

r/o Dhanmandi, Kota.

The award announced and notice given under the hand of G.S. Acharya Land Acquisition Officer, Chambal Project, Kota this day dated 30-11-62 and signed by him.

Sd/- G.S. ACHARYA
Land. Acquisition Officer Chambal Project, Kota Rajasthan.

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 747 की सूची)

बारां सब-जेल के गत तीन वर्ष में प्रति माह कैदियों की संख्या:—

माह	1968	1969	1970
जनवरी	53	62	65
फरवरी	53	53	52
मार्च	57	55	48
अप्रेल	58	78	51
मई	61	83	69
जून	59	75	70
जुलाई	50	58	66
अगस्त	53	71	70
सितम्बर	60	68	63
अक्टूबर	57	62	65
नवम्बर	61	81	52
दिसम्बर	57	67	50

परिशिष्ट 2

(सा. प्र. सं. 750 की सूची)

Copy of letter No. AO/CE/Dep/573, dated 31-3-70 from Dy. Accountant General (Adm.) Rajasthan, Jaipur to the Chief Accounts Officer, Rajasthan State Agro-Industries Corporation P. Ltd., Jaipur.

Sub:—Deputation of Shri Hanuwant Raj Mahnot SG UDC of the office of the Accountant General, Rajasthan, Jaipur on foreign service to the State Agro-Industries Corp oration P.Ltd., Jaipur.

Ref:—Your No. RSIC/3981, dated 25-3-70.

I am directed to convey sanction of the Accountant General, Rajasthan to the deputation on foreign service of Shri Hanuwant Raj Mahnot, SG UDC of this office to the State-Agro Industries Corp. P. Ltd. as Accountant in the time scale of Accountant of State Govt. for the period of one year with effect from the 31-3-70 (AN) on the following terms.—

(*i*) *Pay.*—The officer on transfer to foreign service may elect to draw either (a) the pay in the scale of the post under the foreign employer as may be fixed under the normal rules or (b) his basic pay in the parent department plus 10% thereof as deputation (duty) allowance in terms of the Govt. of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M.No. F. 10(24) E.III/60, dated 27-1-70, subject to the condition that the basic pay plus the deputation (duty) allowance shall not exceed the maximum of the scale of the post of the under th foreign employer; plus dearness allowance admissible under the rules of the Foreign employer or under the rules of the Central Government, according as the officer elects to draw pay under (a) or (b) ibid; plus usual local allowances (C.C.A., H.R.A. etc.) as admissible under the normal rules of the Central Government at the discretion of Foreign employer.

(*ii*) Contributions on account of Leave Salary and person will be paid by the Foreign employer at the following rules to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur within 15th days from the end of the month in which the pay on which it is based has been drawn by the officer, failing which penal interest will be leviable. The contributions should be remitted by means of accrossed cheques/Demand Drafts and in no case should these be credited in cash at a Government Treasury/Bank.

Leave Salary Contributions:

1-4-70 to 24-8-70 @ Rs. 43.35 P.M.
25-8-70 to 31-3-71 @ Rs. 44.00 P.M.

Pensions Contributions:

1-4-70 to 10-6-70 @ Rs. 50.00 P.M.
11-6-70 to 30-6-70 @ Rs. 44.00 P.M.

(*b*) The above rates may be treated as provisional pending confirmation by the Audit Officer and will be subject to adjustment retrospectively.

(*iii*) *T.A. & D.A.*—As admissible under the Rules of the foreign employer.

(*iv*) *Medical Attendance and Treatment.*—Not inferior to that admissible to an officer of his status under the Central Government Rules.

(*v*) *Leave.*—He will remain subject to the Leave Rules applicable to the service of which he is a member.

(*vi*) Pay during joining time, both in transfer to foreign service and reversion therefrom, to be regulated under the rules of the Central Govt. and paid by the foreign employer; period of joining time being regulated under the same rules.

(*vii*) The foreign employer will be liable to pay leave salary in respect of any disability incurred in and through foreign service even though such liability manifests itself after the termination of foreign service.

(*viii*) T.A. both on transfer to foreign service and on reversion therefrom, to be regulated under the Rules of the foreign employer and paid by the foreign employer.

(*ix*) If residential accommodation is provided by the foreign employer the officer will have to pay rent to the foreign employer @ 10% of his monthly emoluments or the standard rent calculated under the rules of the foreign employer, whichever is lower; plus additional charges for furniture is provided.

(*x*) The foreign service will commence from the date the officer makes over charge and ends on the date he takes over charge of his post under the Central Government.

(*xi*) The whole expenditure in respect of any compensatory allowance for periods of leave in or at the end of foreign service shall be borne by the foreign employer.

(*xii*) If the officer occupies accommodation provided by the Government, the foreign employer will charge from the Officer rent under F.R. 45-A limited to 10% of his emoluments and then pay rent to the Central Government according to Govt. of India Rules and orders issued from time to time.

(*xiii*) The officer will be entitled to leave travel concession from the foreign employer on the scale he is entitled, under the Central Government Rules and the cost of such concession will be borne by the foreign employer.

(*xiv*) The officer will be entitled to an advance in lieu of leave salary as admissible under the rules of the Central Government.

(*xv*) He will be entitled to reimbursement of tuition fees or children education allowances under rules of Central Government.

(*xvi*) Acceptance of the terms be sent early.

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (ख-1) विभाग

आज्ञा

जयपुर, अप्रेल 25, 1970

संख्या प्र. 2(60)नि. ख.168:–इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 28 जनवरी, 1970 व 7 फरवरी, 1970 के क्रम में सर्व श्री गोविन्दप्रसाद तिवाड़ी व राधेश्याम नागर, शीघ्र लिपिकों की राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा.) लि., जयपुर में प्रतिनियुक्ति की शर्तें निम्नलिखित होंगी:—

प्रति नियुक्ति की अवधि:—प्रतिनियुक्ति की अवधि सर्वप्रथम एक वर्ष के लिये होगी।

वेतन:—इनका मूल वेतन जो समय समय पर इनके जनक विभाग में देय है व उस पर 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता या प्रतिनियुक्ति वाले विभाग की वेतन श्रृंखला में इस प्रकार वेतन निर्धारण जिसमें इस सीमा तक आर्थिक लाभ हो।

अवकाश वेतन व सेवा निवृत्ति अंशदान:—राजस्थान सरकार के नियमानुसार राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा.) लि. द्वारा देय।

अवकाश:—राजस्थान सरकार के नियमानुसार।

कार्यभार संभालने व प्रतिनियुक्ति से वापिस आने के समय का वेतन:—कार्यभार संभालने व वापिस आने पर कार्यभार संभालने की अवधि का वेतन निगम द्वारा देय।

अन्य भत्ते (नगर क्षतिपूरक व मकान किराया):—राजस्थान सरकार के नियमानुसार।
सफर खर्च व भत्ता:–निगम के नियमानुसार।
सरकारी भत्ता:–निगम के नियमानुसार।
स्वास्थ्य सेवायें:—निगम के नियमानुसार।

यतीन्द्रसिंह,
उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित:—

(1) नियुक्ति (ग) विभाग ।
(2) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
(3) सचिव, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर को उनके पत्र सं. एफ. 6 (7)।आर एस. ई. आ.ई.सी./एस्टा/70।4320, दिनांक 7-4-70 के संदर्भ में/
(4) संबंधित व्यक्ति ।
(5) निजी पत्रिका ।
(6) एस. ओ. बी. ।
(7) स्टेन्थ लिपिक ।
(8) गोपनीय शाखा ।
(9) अवकाश शाखा ।
(10) ऋण शाखा ।

ह.
पंजीयक,
शासन सचिवालय, जयपुर ।

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 751 की सूची)

प्रश्न (1) की सूची:—

योजना का नाम	पानी शुरू होने का वर्ष	दिये जाने वाले पानी की मात्रा प्रतिदिन लाख गैलन में
लाडनूं	1965	3.00
जसवन्तगढ़	1964	0.70
डावड़ी	1969	0.05
लेढी	1969	0.10
सुजानगढ़	1966	1.00

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 752 की सूची)

सूची (अ)

पचपदरा में नमक के क्रय एवं विक्रय की दरें

अवधि			सैंट प्रति क्वि. रु.		अनसैंट प्रति क्वि. रु.
क्रय की दर					
1-4-60 से 30-9-61 तक	..	..	1.00		0.94
1-10-61 से अब तक ..	..	..	1.10		1.05
विक्रय की दर					
1-4-61 से 16-6-62..	..	..	2.10 प्र.क्वि.		
17-6-62 से 16 6-64	..	..	2.27 ,,		
17-6-64 से 27-7-67	..	..	1.80 ,,		
28-7-67 से 14-12-67	..	..	ए ग्रुप प्रति क्वि. रु.	बी ग्रुप प्रति क्वि. रु.	सी ग्रुप प्रति क्वि.
			1 70 ,,	1.90	2.00
15-12-67 से 31-3-69	..	..	1.70 ,,	1.90	2.10
1-4-69 से 30-6-69..	..	..	2.00 ,,		
1-7-69 से 24-3-70..	..	..	1.85 ,,		
25-3-71 से अब तक ..	..	..	1.95 ,,		

सूची (ब)

डीडवाना नमक की क्रय एवं विक्रय की दरें

अवधि			प्रथम श्रेणी प्रति क्विण्टल रु.	द्वितीय श्रेणी प्रति क्विण्टल रु.
क्रय की दर:—				
1960-61	..	..		0.36
1966	..	..	0.57	0.46
1968..	..	..	0.69	0.58
1971	..	..	1.00	1.00

1	2	3	
विक्रय की दर:—			
1960-61		0.72	
1961-62	2.10	1.95	
1962-63	2.27	2.27	
1963-64	2.27	2.27	
30-6-64	2.27	1.70	
1965-66	1.85	1.80	
1966-67	1.95	1.85	
	2.00	1.95	
	2.05	1.95	
	2.15	1.95	
	2.25	2.05	
1967-68	2.35	2.15	
	2.97	2.77	
1968-69	3.20	2.77	
1969-70	3.20	2.35	(पुराना स्टाक जो नवम्बर 69 से शुरू हुए सत्र में उत्पादित हुआ)
1970-71	3.20	2.00	(नवम्बर 68 से जुलाई 1969 के उत्पादित पुराना स्टाक)
	3.20	2.50	(नमक जो सत्र 1969-70 में उत्पादित किया गया नवम्बर 1969 से जुलाई 70) ।

सूत्रो (स)

डीडवाना एवं पचपदरा नमक से हुआ लाभ

वर्ष	डीडवाना शुद्ध लाभ रु.	पचपदरा शुद्ध लाभ रु.
1961-62	2,78,393	1,57,630
1962-63	4,59,111	4,63,198
1963-64	2,30,051	1,23,833
1964 65	4,91,351	18,449
1965-66	5,28,241	51,513
1966-67	5,39,730	(−) 57,015
1967-68	11,18,264	90,820
1968-69	11,06,643	2,88,323
1969-70	6,66,950	1,21,280
1970-71	8,00,000 (अनुमानित)	1,50,000 (अनुमानित)

बाजार में नमक का भारी स्लम्प आया था जिससे माल उचित मात्रा में न बिक सका था।

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 753 को सूची)

List of the Tubewells being operated for irrigation by Raj. Ground Water Board.

S.No.	Name of tubewells	District	Remarks.
1.	Chandah I	Jaisalmer	
2.	Bhojaka	,,	
3.	Karmoki dhani	,,	
4.	Lathi II	,,	
5.	Sodakaur 13ı	,,	
6.	Bhaguka gaon	,,	
7.	Sgara	,,	
8.	Jetha (New)	,,	
9.	Kapri nadi	,,	
10.	Karmeri	,,	
11.	Dhaisar II	,,	
12.	Sodakaur 5	,,	
13.	Ajasar	,,	
14.	Bardhana	,,	
15.	Bhair	,,	
16.	Khniasaria	Jodhpur	
17.	Lorta	,,	
18.	Chamu	,,	
19	Chordia	,,	
20	Pelwa	,,	
21.	Jethania	,,	
22.	Chadi	,,	
23.	Sihara	,,	
24.	Ratri	Barmer	
25.	Sujan desar	Bikaner	
26.	Swaroopdesar	,,	

List of the irrigation tubewells ready for operation but not being operated due to reasons given against each:

S. No. 1	Name of Tubewells 2	District 3	Remarks. 4
1.	Asarlai	Jodhpur	Land still not prepared by the cultivators.
2.	Kolu	,,	-do-
3.	Banasar	,,	-do-
4.	Ransigaon II	,,	Power connection not provided by the R.S.E.B. so far, and laying of Channels required.

1 – 3		3	4
5.	Palana II	Bikaner	Power connection not provided by the R. S, E. B. so far and laying of channels required.
6.	Palana IV	,,	-do-
7.	Surpura	,,	-do-
8.	Padru I	Barmer	-do-
9.	Padru II	,,	Land not prepared by the cultivators and laying of channels required.
10.	Loharwa	,,	-do-
11.	Chandan II	Jaisalmer	Land allotted recently could not prepared by cultivators.
13.	Rajmathai	,,	Land not allotted so far
13.	Sawala	,,	-do-
14.	Jaund	,,	-do-
15.	Lathi VI	,,	Tubewells has become defective.
16.	Dhaisar III	,,	Co-operative society to whom land allotted not working.
17.	Baroragaon	,,	Land not allotted.

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. स. 503 की सूची)

गांधी शताब्दी के उपलक्ष में आवन्टित भू-खण्डों की सूची

क्र.सं.	आवन्टी का नाम	योजना	भू. सं.	क्षेत्रफल	आवन्टन की तिथि	कब्जा देने की तिथि	दर	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	कुमारी कमला भील	नालकोठी	डी. 1	750 वर्ग	8-9-70		6/-	
2.	श्री समरथ लाल	जनता कालोनी	बी. 294	333-33	12-3-70		6/-	19-7-70 को नजराने की राशि जमा हुई है और अब कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी।
3.	श्री किशनलाल एम.एल.ए.	,,	बी. 360	333-33	24-9-70		6/-	भू-खण्ड विवादग्रस्त है अब कब्जा दिया जाना विचाराधीन है।
4.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	(बापूनगर प्राकृतिक)	एस. 1	1005	19-1-70		6/-	राज्य सरकार काटे है
5.	श्री जयनारायण सालोदिया	,,	एस. 5	1000	28-8-70		6/-	अतः कब्जा नहीं दिया गया है
6.	श्री जमनालाल बेरवा	,,	एस. 4	1056	,,		6/-	
7.	श्री सूरजमल	अम्बाबाड़ी	डी. 145	388-88	6-2-70	12-3-70	4/-	
8.	श्री रामचन्द्र मीणा	,,	डी. 128	,,	29-4-70	11-5-70	6/-	
9.	श्री नथमल	,,	डी. 20	333-33	5-2-70	20-5-70	4/	
10.	श्री चन्द्रप्रकाश	,,	डा. 17	388-88	18-4-70	10-8-70	6/-	
11.	श्री श्रवणलाल एम.एल.ए.	,,	डी. 131	388-88	28-2-70		6/-	राशि जमा नहीं होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया है

सूची

1.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	एम. पी.
2.	श्री जमनालाल बैरवा	एम. पी.
3.	श्री दिनेशराय डागी	एक्स. एम. एल. ए.
4.	श्री रामचन्द्र मीणा	आई. ए. एस.
5.	श्री चन्द्रप्रकाश	आई. ए. एस.
6.	श्री नथमल	एम. एल. ए.
7.	श्री समरथलाल	एम. एल. ए.
8.	श्री गोकुलचन्द	एम. एल. ए.
9.	श्री जयनारायण सालोदिया	एम. एल. ए.
10.	श्री श्रवणलाल	एम. एल. ए.
11.	श्री किशनलाल मीणा	एम. एल. ए.
12.	श्री देवाराम खटीक	
13.	श्री सूरजमल	एम. एल. ए.
14.	श्री कुमारी कमला भील	
15.	श्री हरिशंकर	
16.	श्री रामचरण	एम. एल. ए.

परिशिष्ट 8

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

754. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आज से दो साल पहले गंगानगर जिले में गोगामेड़ी के स्टेशन से लेकर गोगाजी के धाम तक एक मील के टकड़े पर पक्की ईंटें बिछाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस टुकड़े पर बिछी हुई, तारकोल नहीं पड़ने के कारण उखाड़ उखाड़ कर मसाफिर तथा स्टेशन के लोग ले जा रहे हैं ?

(3) आज तक इस पर तारकोल नहीं पड़ने के क्या कारण हैं ?

(4) अब इस पर कब तक तारकोल डलवा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि भादरा से गोगामेड़ी तक की पक्की सड़क पिछले मेले में उत्तर प्रदेश से 10 हजार बसों के आने जाने से काफी स्थानों पर समाप्त हो गई है ?

(6) इसकी मरम्मत कब तक करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कुछ ईंटे उखड़ गई हैं, लोगों को ईंटें ले जाते देखा नहीं गया है ।

(3) अर्थाभाव ।

(4) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(5) मेले के ट्रैफिक से सड़क खराब हुई है ।

(4) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

755. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रीयां (मेड़ता तहसील) में अब तक जल वितरण योजना लागू नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि वहां की आबादी एवं पंचायत समिति हैडक्वार्टर आदि के महत्व को देखते हुए वहां शीघ्र ही जल वितरण योजना का निर्माण होना आवश्यक है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां जल वितरण योजना का सर्वे एवं एस्टीमेट बना लिया गया है यदि हां, तो निर्माण काय कब तक शुरु हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, योजना सरकार के विचाराधीन है, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

756. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में बकानी से भालता जो कच्ची सड़क जाती है, उसे ग्राम भालता के पास के दो मील के टुकड़े को पिछले 12 महीनों में पक्की बनवायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने इन दो मीलों को इस सड़क पर पक्का बनवाने की मंजूरी कब दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क पर ये दो मील की पक्की सड़क बिना मंजूरी के ही बनवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

757. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर परिषद् में पड़ाव धानमंडी में कितनी दुकानें व अनाज गोदाम कितनी कितनी लागत में बनवाये हैं व किस किस को एलाट किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) अजमेर अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा स्टेशन रोड पर किस किस को दुकानें नीलामी में देदी हैं और कितनी कितनी रकम में तथा किस किस को दुकान एलाट की गई हैं और कितनी कितनी रकम में ?

(3) अजमेर नगर परिषद् और कितनी दुकानें और गोदाम बना रही है और वे कब तक तैयार हो जायेंगी ? और क्या ये दुकानें और गोदाम भी किसी को एलाट करदी गई है ? यदि हां, तो किस किस को ?

(स्थगित किया गया)

डींगरी-बसी-सलूम्बर वाया सल्लाड़ा सड़क निर्माण कार्य

758. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डींगरी से सल्लाड़ा, बसी, सलुम्बर वाया सल्लाड़ा सड़क का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण के लिये कब और कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(2) क्या उक्त सड़क पर सल्लाड़ा गांव के पास गोमती नदी पर कांज वियर व छोटी पुलियों का कार्य पूर्ण हो चुका है यदि नहीं, तो क्या सरकार की ओर से कार्य पूर्ण करने के लिए कोई धनराशि का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि रखी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि डींगरी सलुम्बर, बसी वाया सल्लाड़ा सड़क जयसमन्द रेल्वे स्टेशन डींगरी, नठारा, थाना, डांयली, चावण्ड आदि गांव को जोड़ती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 58-59 से 66-67 तक 8,1014) रुपया व्यय हुआ है।

(2) जी नहीं, धनराशि का प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां ।

कृषि भूमि के बेचान की रजिस्ट्रियां

759. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कठूमर सब तहसील द्वारा कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों की कृषि भूमियों के बेचान की रजिस्ट्रियां गत पांच वर्षों में गैर अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के नाम हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों की भूमि का बेचान गैर जातियों के लोगों के नाम नहीं होना चाहिये फिर भी नायब तहसीलदार ने रजिस्ट्रियां की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सब तहसील कठूमर में गत पांच वर्षों में (जनवरी 66 से 31-3-71 तक) अनुसूचित जाति के 93 लोगों तथा अनुसूचित जन-जाति के 6 लोगों की कुल 99 लोगों की कृषि भूमि के बेचान की रजिस्ट्रियां गैर अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के नाम हुई हैं ।

(2) जी हां, यह सही है कि रजिस्ट्रियां की गई हैं क्योंकि राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के सम्बन्ध में दस्तावेज मुन्तकिल रजिस्ट्री न किये जावें ।

कृषि अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत स्थायी एवं अस्थाई पद

760. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि विभाग में कृषि अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कितने स्थायी एवं कितने अस्थाई पद हैं ?

(2) क्या स्थायी पदों के अन्तर्गत सभी पदों पर लगे कृषि स्नातकों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राजस्थान कृषि सेवाओं के अन्तर्गत कितने पद (स्थाई व अस्थाई) रिक्त हैं ? यदि रिक्त हैं, तो क्यों ?

(4) क्या कृषि विभाग में राजस्थान लोक सेवा आयोग से अचयनित प्रत्याशी भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने व कब से और क्या उनको सेवा से पृथक् करने का प्रावधान है ?

उत्तर

1. कृषि विभाग में कृषि अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत 789 स्थायी एवं 240 अस्थायी पद हैं ।

2. नहीं, क्योंकि कृषि स्नातकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची अभी हाल ही में दिनांक 22-4-71 को निकाली गई है, इस सूची के आधार पर अब रिक्त स्थायी पदों पर शेष स्नातकों को स्थायी करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(कृषि मंत्री)

(3) राजस्थान राज्य कृषि सेवा के अन्तर्गत 157 पद स्थायी एवं 5 पद अस्थायी रिक्त हैं। स्थायी पदों पर नियुक्ति विभागी पदोन्नति कमेटी से चयनित होने पश्चात् की जा सकेगी। जिसकी कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग से 528 अचयनित प्रत्याशी भी कार्य कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर अचयनित व्यक्तियों को सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

अस्थाई कर्मचारियों को सुविधाएं

761. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3857 अस्थाई श्रमिक जो 10 वर्ष की सेवा के हैं उनको स्थायी बनाकर सभी सुविधा देने का एलान किया है ? अगर हां, तो अब तक आदेश क्यों नहीं निकाले ?

(2) क्या यह सच है कि रिटायर होने वाले निर्माण विभाग के श्रमिकों को सरकार ग्रेच्युटी देने का सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक आदेश होंगे ?

(3) क्या राज्य सरकार के निर्माण विभाग के श्रमिकों को रेगुलर श्रमिकों की तरह 12 वर्ष की सेवा पर 1 ग्रेड इंक्रीमेन्ट देना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने 5602 वर्क चार्ज पदों को नियमित स्थायी पदों में परिवर्तित करने का एलान किया है विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन हेतु आवश्यक आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) यह प्रश्न वित्त विभाग के विचाराधीन है।

चत्रभुजपुरा अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा अलांट की गई भूमि

762. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निवाई तहसील की पंचायत चत्रभुजपुरा को अलाटमेंट कमेटी ने 15 बीघा भूमि अलाट की थी ? यदि हां, तो कौन से गांव में कौन से खसरा नम्बर में से किस के प्रार्थना-पत्र पर अलाट की थी ?

(2) अब तक पंचायत ने उस भूमि पर क्या क्या काश्त की और उससे कितनी आमदनी सालवार हुई ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सच है कि जमीन को पंचायत हर साल बोली बोलकर बांट पर काश्त कराती थी ? यदि हां, तो अब तक किस किस को बताई और उससे पंचायत को कितनी आमद हुई और अब जमीन किसके कब्जे में है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह भी सच है कि इस जमीन

(श्री जयनारायण सालोदिया)
का केस एस. डी. एम., टोंक में चला था ? यदि हां, तो किस की ओर से उसमें पंचायत की ओर से क्या पैरवी की गई और क्या फैसला हुआ ?

(5) क्या यह भी सच है कि इस पंचायत की जमीन को पंचायत के सरपंच नारायणलाल ने प्रताबा पुत्र श्योदाना मीना मड़गपुरा को बेच दी और रुपये पंचायत कोष में जमा नहीं कराये ? यदि हां, तो कितने रुपयों में बेची ?

(6) क्या सरकार सरपंच की इस कार्यवाही पर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत चत्रभुजपुरा प. स. निवाई को माह अक्टूबर, 1961 में निजी काश्त हेतु 15 बीघा सिवाय चक भूमि खसरा नं0 453 वाके ग्राम मड़गपुरा में तहसीलदार निवाई द्वारा आवंटित की गई है ।

(2) इस भूमि पर पंचायत द्वारा केवल वर्ष 1964 में ही काश्त की गई । जिसमें बाजरा, ज्वांर व तिल की काश्त की गई जिससे पंचायत को 73 रु. प्राप्त हुए । पंचायत ने वर्ष 1963, 1965, 1966 और 1967 से 1969 में नीलामी द्वारा अन्यों से काश्त कराई जिसमें पंचायत को क्रमशः 150, 151, 152 और 200) रुपये की आय हुई है ।

(3) पंचायत द्वारा केवल वर्ष 1963 और 1965 से 1969 तक नीलामी द्वारा काश्त कराई गई थी । जिस जिस व्यक्ति को जितने रुपये में नीलामी द्वारा भूमि काश्त को दी गई उसकी सूची संलग्न है । भूमि पंचायत के कब्जे में बताई जाती है ।

(4) यह सही है कि इस भूमि का केस एस. डी. एम. कोर्ट टोंक में प्रतापा पुत्र श्योदान मीना निवासी ग्राम मड़गपुरा द्वारा कब्जे का किया गया था । पंचायत की ओर से सरपंच अथवा किसी व्यक्ति ने पैरवी नहीं की इसलिये मुकदमा प्रतापा के हक में डिक्री हो गया है ।

(5) जी नहीं, सरपंच द्वारा भूमि किसी को बेचा जाना नहीं पाया जाता । अतः सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

सूची

सन 1963 और 1965 से 1969 तक नीलामी द्वारा काश्त करने वालों की सूची ।

क्र. स.	नाम काश्तकार	वर्ष	नीलामी द्वारा काश्तकार से प्राप्त धन राशि
1	श्री बोरया पुत्र छंया मीना ग्राम, घोरिया	1963	150) रु.
2	श्री नाथू पुत्र भूरा मीना नि. मड़गपुरा	1965	151) रु
3	श्री सादू पुत्र छन्ना खाती ग्राम मड़गपुरा	1966	152)
4	श्री प्रतापा पुत्र श्योदाना मीना ग्राम मड़गपुरा	1967 1968 1969	200) रु.

नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सडक निर्माण कार्य

763. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में दस वर्षों में यानि सं. 2017 से 2027 तक अकाल राहत कार्यों में किन किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई एवं उनमें से किस किस सड़क पर कितना कितना काम व क्या क्या काम कितनी लागत से उस वर्ष में हुआ? सड़क का नाम स्वीकृति की तारीख, रकम जो व्यय की गई एवं काम जो किया गया, उसके विवरण का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अकाल राहत कार्यों में शुरु की गई नागौर जिले की सड़कों की मौजुदा में क्या स्थिति है? इस बाबत जिलाधीश नागौर की सड़कवार विवरण की रिपोर्ट सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जवाई बांध की डूब में आई भूमि

764. श्री पृथ्वी सिंह चौहान (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम विसलपुर तहसील बाली की कुछ खातेदारी भूमि जवाई बांध की डूब में आई हुई है? यदि हां, तो किन 2 खातेदारों की कितनी 2 भूमि डूब में आई है? जिसका कितना 2 लगान लगता है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ खातेदारों में इस भूमि का लगान बकाया है? यदि हां, तो कितना कितना बकाया है?

(3) क्या सरकार उन काश्तकारों का नियमित रूप से लगने वाला लगान माफ करने का इरादा रखती है?

केकड़ी-खादेडा सड़क

765. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकडी से खाडा तक बनने वाली सडक का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था?

(2) सरकार ने उक्त सडक को पूर्ण करने का कितने समय का लक्ष्य रखा था?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस सडक का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है? अगर हां, तो किसको और किस हिसाब से दिया गया है? और कितने समय के लिये दिया गया? और किस किस कार्य हेतु किस-किस समय तक के लिये दिये गये है?

(4) अब तक राज्य सरकार ने इस सडक पर कुल कितनी राशि व्यय की है?

उत्तर

(1) दिसम्बर 1960 में आरम्भ हुआ था।

(2) 3 मील तृतीय पंचवर्षीय योजना में तथा 9 मील अगली योजना में बनाने का लक्ष्य था।

(3) जी हां। श्री हीरालाल

(सा. नि. मंत्री)
रामस्वरूप ठेकेदार को मील 4 से 9 मील का ठेका जनवरी 71 में शिड्युल जी से 68% ऊंची दर पर 12 माह के लिये दिया गया है।

(4) 229421 रुपया व्यय हुआ है।

एसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लि. रामगंज मंडी द्वारा ठेके के रजिस्टर्ड करवाना

510. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन), श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि एसोसियटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लि., रामगंज मन्डी ने अपने को सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेके लेने के लिये रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ? यदि हां, तो कब से और किस ग्रेड में ?

(2) उक्त कम्पनी को रजिस्ट्रेशन के बाद किन-किन कार्यों का कब कब कितने-कितने रुपयों का ठेका दिया गया है व कहां-कहां कार्य अधूरा है अथवा कार्य पूरा किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की घोषित नीति के बावजूद इन्होंने किसी बेरोजगार इंजीनियर को अपने कार्यों के निरीक्षण हेतु नहीं रखा हुआ है ?

(स्थगित किया गया)

यादगार तथा पुरानी हाईकोर्ट की इमारतों की घड़ियां

517. श्री दुर्गालाल डाउदार (हवा महल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में यादगार की इमारत तथा पुरानी हाई कोर्ट की इमारत के ऊपर जो क्लाक लगे हुए हैं व कब से बन्द पड़े हुए हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें चालू कराने का इरादा रखती है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट ६

(ता. प्र. सं. 748 की सूची)

प्रश्न 1, 2 व 3 की सूची

झुन्झुनु जिले में स्वीकृत जल प्रदाय योजनाएं	स्वीकृत लागत लाख रुपयों में	वित्तीय वर्ष 1970-71 में आवंटित धनराशि लाख रुपये में	वित्तीय वर्ष 1971-72 में आवंटित धनराशि लाख रुपये में	पाइप जल प्रदाय योजना या पम्प एवं टैंक जल प्रदाय योजना	जन संख्या सन 1961 की जनगणना के आधार पर
1	2	3	4	5	6
झुन्झुनु	9.00			शहरी पाइप्स जल प्रदाय योजना	24,962
मुकन्दगढ	4.81			,,	8,144
मन्डावा	4.00			,,	8,200
चिरावा	10.82			,,	12,928
वगढ	5.10			,,	7,174
नवलगढ	16.86	0.10	0.20	,,	24,911
बिसाऊ	5.50	5.50		,,	9,021
खेतड़ी	7.89	5.70	0.75	,,	8,053
पिलानी	6.94	2.65		,,	11,565
सूरज गढ	4.77	0.89	0.30	,,	8,101
मलसीसर	1.47		0.07	ग्रामीण पाइप्स जल प्रदाय योजना	4,919
चिराता	1.10	0.14		,,	7,158

श्ररडावता	0.86	0.02		ग्रामीण पाइप्स जल प्रदाय योजना	1,190
बेरी	1.01	0.05		,,	1,198
इस्लामपुर	1.78	0.08		,,	3,953
बबाई	1.70	0.10		,,	3,823
मंडासी	1.00	0.06	0.06	,,	1,093
उदामंडी	0.23	0.09		पम्प एवं टैंक योजना	513
बुडी श्रजीतगढ	1.74	0.08		ग्रामीण पाइप्स जल प्रदाय योजना	3,564
टोक पसाई	1.60	0.07		,,	3,105
माथारन	0.55	0.20	0.40	पम्प एण्ड टैंक योजना	1 696
मांडेला	3.50	0.04	2.30	पाइप्स ग्रामीण जल प्रदाय योजना	5,985
छापोसी	2.14	0.70	1.50	ग्रामीण पाइप्स जल प्रदाय योजना	4 231
बख्तावरपुर	0.61	0.40	0.25	पम्प एण्ड टैंक योजना	1,335
सुल्ताना	1.80	0.10	1.00	ग्रामीण पाइप्स जल प्रदाय योजना	4,692
डाबरी पलोदा	1.24	0.10	0.60	,,	2,425
नूम.	1.07	0.10	0.60	पम्प एवं टैंक योजना	1,741
खिरोड	1.15	0.08	0.50	,,	4,400
बसाया	1.04	0.08	0.50	,,	2,189
पांचरी कलां	0.99	0.08	0.50	,,	2,420
सिंरघ	0.96	0.08	0.50	,,	2,565
बूश्राना	1.48	0.08	0.60	पाइप्स जल प्रदाय योजना	2.795
महनसर	0.70	0.10	0.50	पम्प एवं टैंक जल प्रदाय योजना	2,095
सिंधाना	3.51	0.10	1.50	ग्रामीण पाइप्स जल प्रदाय योजना	5.405
मूंडसोद	2.68	0.10	1.30	,,	4.162
श्रलसीसर	1.61	0.10	0.50	,,	2,199

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 684 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 129।अ. ता. से सम्बन्धित सूची

क्र सं.	नाम ज़िला	सरकारी पड़त भूमि जो आवन्टन हेतु उपलब्ध है (एकड़ों में)	भूमि हीन किसानों की संख्या
1.	अजमेर	32,078	3,779
2.	अलवर	2,463	2,75,619
3.	बांसवाड़ा	50,210	17,719
4.	बाड़मेर	2,56,566	7,556
5.	भरतपुर	13,855	24,372
6.	भीलवाड़ा	7,000	26,544
7.	बीकानेर	11,96,728	23,586
8.	बूंदी	32,188	6,216
9.	चित्तौड़गढ़	10,000	6,000
10.	चूरू	3,899	3,413
11.	डूंगरपुर	28,428	17,377
12.	गंगानगर	17,204	45,076
13.	जयपुर	37,724	20,880
14.	जैसलमेर	अप्राप्त	919
15.	जालौर	17,786	3,790
16.	झालावाड़	7,837	2,707
17.	झुन्झुनू	2,234	8,057
18.	जोधपुर	17,180	11,076
19.	कोटा	97,649	25,584
20.	नागौर	6,229	5,386
21.	पाली	2,15,743	5,783
22.	सवाई माधोपुर	3,71,204	44,333
23.	सीकर	2,006	11,209
24.	सिरोही	3,566	2,639
25.	टौंक	36,412	3,106
26.	उदयपुर	29,999	41,269
	योग	25,45,819	6,45,257

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 12 मई, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1		10	कारागह	कारागृह
1	अन्तिम से	1	की	हिस्से की
8		5	मध्धावधि	मध्यावधि
9		18	भूवनमोजंद	भवन मौजूद
11	अन्तिम से	10	माननी	माननीय
15		10	ना ायणपुर	नारायणपुर
16		10	कम्पलेम्ट नहीं	कम्पलेम्ट में नहीं
19	अन्तिम से	8	पूछं	पूछें
21		7	ह	हैं
21		10	इनक	इनके
22		6	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
22		19	एल. एस. जी. डी	एल. एस. जी.
25		7	भमि	भूमि
25	अन्तिम से	2	श्रीं जय कृष्ण शर्मा	श्री जयकृष्ण शर्मा
26		16	आ	ऑफ
27		7	उसम	उसमें
31		10		
39	शीर्ष	1	फाईननसियल	फाईनेन्सियल
47		15	(श्रो म मि	श्रीमती सुमित्रा
			दिला	बिलाया
47	अन्तिम से	6	श्री ैलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
50	अन्तिम से	10	श्री मनोहरलाल मेहता	श्री मनोहरसिह मेहता
74		4	श्री मैरसिह	श्री भैरोंसिह
79		1	श्री भैरोंसिह	श्री अध्यक्ष
84	अन्तिम से	4	Submitted day	Sumitted today
92		11		हा

Page No 119

1		2	3	4
92		16	मुत	मुक्त
97		1	चथी	चौथी
100		5	कनाल	कैनाल
101		3	श्री हुरवल्लभ शर्मा	श्री हरिवल्लभ शर्मा
102	अन्तिम से	5	गह निर्माण सहकार	गृह निर्माण सहकारी
102	अन्तिम से	3	बत	बताने
103	अन्तिम से	3	ो	तो
102	अन्तिम से	2	स्थगन-स्ताव	स्थगन प्रस्ताव
111	शीर्षक		स्थगम	स्थगन
113		9	का वाही	कार्यवाही
114		5	श्री रामचन्द्र आर्यः	श्री रामचन्द्र आर्य××××
113 व 114	अन्तिम			---++अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
126	अन्तिम से	9	श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
127		10	डाकक्यूमेट	डाक्यूमेन्ट
132		5	बेघ ग्राउन्ड	बैक ग्राउन्ड
133	अन्तिम से	7	समन्स	सम्मन्स
133	अन्तिम से	11		
147		2	सदन की इस प्रश्न का ून	सदन ही इस प्रश्न कानून
147	अन्तिम से	6	कास्टिक सोचा सोडा	कास्टिक सोडा
153		9	समात	समाप्त
156	अन्तिम से	3	बद	बन्द
157	अन्तिम से	2	महावल श्री लक्ष्मणसिह	महारावल श्री लक्ष्मणसिह
178		15	एडवाईजरी	एडवाइजरी
179		4	इस विचार	इस पर विचार
179		17	कमेन्म	कमेन्ट्स
184		7	गवर्गमेन्ट	गवर्नमेन्ट
190	अन्तिम से	6	qf accrossed	of acrossed